[redacted]

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ३७ वां दिवस [संख्या २४

बुधवार, दिनांक १८ अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, कृषि, गृह, सामुदायिक विकास, सार्वजनिक निर्माण, पंचायत एवं सहकारी-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

तृतीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशें

२३६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तृतीय वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी है ? कृपया उस रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ? अगर हां, तो राज्य सरकार को कितनी अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी ?

उप-मन्त्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां, तृतीय वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी है व समाचार पत्रों में इसके अंश प्रकाशित भी हो चुके हैं । एक कॉपी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार राजस्थान को केन्द्रीय करों में हिस्से व सहायतार्थ अनुदान के रूप में सन् १९६२–६३ में कुल १,५३,४०० लाख रुपये प्राप्य हैं जब कि पूर्व सिफारिशों के अनुसार केवल ११०८,५६ लाख रुपये ही प्राप्त होते थे ।

(तृतीय वित्त आयोग का प्रतिवेदन विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये आंकड़े आपने बताये हैं वे टैक्सेज के हैं या इसमें ग्रान्ट-इन-एड भी शामिल है ?

Page No 2

श्री चन्दनमल वैद : दोनों बताये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप दोनों के अलग-अलग मद में कितने हैं, यह बतलाइये ?

श्री चन्दनमल वैद : हैड्स तो इसमें बहुत हैं । आप कहें तो सब पढ़ दूं ।

श्री भैरोंसिंह : आप इन दो हैड्स के ही बता दीजिये ।

श्री चन्दनमल वैद : इन्कम टैक्स में शेअर मिलने वाला है ३५६ लाख और यूनियन एक्साइज ड्यूटी में........

श्री भैरोंसिंह : यह टोटल बता दीजिये, सारी ग्रान्ट्स नहीं पढ़ें ।

श्री चन्दनमल वैद : आप जोड़ लगा लीजियेगा ।

श्री भैरोंसिंह : यह जोड़ लगाने का काम तो आपका ही है ।

श्री अध्यक्ष : यह स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रख दें ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २३७

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये ।)

श्री दिग्विजयसिंह ।

तहसील पंचायत, उनियारा के गल्ले के हिसाब की जांच

२३८. **श्री दिग्विजयसिंह** [(उनियारा)-श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) द्वारा पूछा गया]: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, उनियारा ने तहसील पंचायत, उनियारा से गल्ले का हिसाब मांगा था ? यदि हां, तो क्या वह हिसाब मय स्टॉक गल्ला समिति को संभला दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या यह सही है कि समिति ने इस विषय में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिला टोंक को लिखा था कि वे इस मामले की जांच करें ?

(ग) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, टोंक की ओर से कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या जांच हुई ? यदि नहीं, तो अब तक जांच क्यों नहीं की गई ?

(घ) क्या यह भी सही है कि उक्त गल्ला वितरण नहीं करके सेक्रेटरी, तहसील पंचायत ने अपने निजी कार्य में लिया और अब भी ले रहा है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां । हिसाब पंचायत समिति के पास आ गया । गल्ले का स्टॉक नहीं सम्भलाया गया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या सरकार अब ऐसी सूचना प्राप्त करने की चेष्टा करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि अपने काम में ले रहे हैं, ऐसी सूचना नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या इस सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, जानकारी करने के बाद ही कहता हूं कि उन्होंने खुद ने अपने काम में नहीं लिया। आउट स्टैंडिंग है उनके खिलाफ और रिकवरी की कार्यवाही जारी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वहां कितना स्टॉक मौजूद है?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टॉक तो कुछ नहीं है, सब वितरण किया हुआ है।

पुलिस द्वारा निम्बाहेड़ा में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या निम्बाहेड़ा में पुलिस द्वारा किसी की जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया गया है?

(२) क्या गुरुद्वारा निमित्त खरीदी जाने वाली जमीन पुलिस, निम्बाहेड़ा ने अपने अधिकृत बता कर कब्जा कर लिया है?

(३) क्या पुलिस और म्युनिसिपल बोर्ड, निम्बाहेड़ा के बीच कुछ तनाव पैदा हुआ है?

(४) क्या पुलिस, निम्बाहेड़ा ने जिस जमीन पर कब्जा किया है उस पर किसी और का हक है?

(५) अगर कब्जा किया गया है, तो क्यों और कब, किन शर्तों पर हट सकता है?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। अनाधिकृत कब्जा करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। कथित जमीन पुलिस थाना, निम्बाहेड़ा की चारदीवारी के अन्दर है। उसे म्युनिसिपल बोर्ड ने बेचने के लिये कुछ व्यक्तियों से सौदा किया है। किन्तु उस जमीन पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में पुलिस के कॉन्स्टेबल व हैड कॉन्स्टेबलान् के क्वार्टर्स बनवाने का प्रावधान है।

(३) जी नहीं। इस सम्बन्ध में पुलिस व म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों में पत्र-व्यवहार चल रहा है।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि पट्टा नम्बर २४ इश्यू किया हुआ है? वह मैं सदन के सामने पेश करता हूँ। गुरुद्वारा के लिये म्युनिसिपैलिटी ने जमीन बेची है। तो क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा फरमावेंगे कि क्या जो जमीन गुरुद्वारे के लिये बेची है उस पर भी कब्जा किया है पुलिस ने?

श्री मथुरादास माथुर : उसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री अब्दुलजब्बार : कृपया यह बतायेंगे कि पुलिस क्वार्टर्स यहां बनाने का प्रोविजन

(श्री अब्दुलजब्बार)

बताया गया है, क्या वहां पर सब-इन्सपेक्टर के क्वार्टरों के बाद में जगह रहती है जहां पुलिस क्वार्टर बन सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका भी उत्तर दे चुका हूं।

श्री अब्दुलजब्बार : सेनीटेशन और लोकेशन के लिहाज से और म्युनिसिपैलिटी के एक्ट के अनुसार, मकान बनाने के नियमों के, अनुसार क्या मकान वहां बनाये जा सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार : यह पट्टा मैं सदन के सम्मुख पेश करता हूं। कृपया इस पर गौर फरमावें। सही बात जो है वह जाहिर हो जावेगी।

श्री मथुरादास माथुर : यह पट्टा म्युनिसिपैलिटी ने दिया है जो उसको देने का अधिकार नहीं था।

श्री अब्दुलजब्बार : यह तो जाहिर है। क्या म्युनिसिपैलिटी ने जमीन नीलाम की तो नोटिस निकाला था ?

श्री मथुरादास माथुर : म्युनिसिपैलिटी ने नीलाम नहीं किया है, अलॉट कर दिया है। पुलिस थाने की बाउन्ड्री के अन्दर थी इसलिए पुलिस का इस पर कब्जा है। यह कब्जा सन् १९२३ से, जब से थाना बना, तब से चला आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : थाने की बाउन्ड्री भी डिफाइन की जाती है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : पुलिस थाना जहां बना होता है तो उसकी भी चारदीवारी होती है। इसके अन्दर मिट्टी की चारदीवारी थी। वह गिर गई थी इसलिये म्युनिसिपैलिटी ने कुछ लोगों को वह जमीन अलॉट कर दी, जो कि करने का उसको अधिकार नहीं था। इसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड और पुलिस विभाग में काफी अर्से से कॉरस्पोन्डेन्स भी चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या थाने की बाउन्ड्री डिफाइन की जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर : उस थाने की बाउन्ड्री डिफाइन्ड है। जहां थाना बनाया जाता है वह सरकारी जमीन होती है और डिफाइन्ड होती है बाउन्ड्री उसकी। रेवेन्यू रेकॉर्ड में भी कई जगह इन्दराज मिलते हैं। कहीं आबादी में होता है तो पी. डब्लू. डी. रेकॉर्ड में इन्द्राज होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस थाने की जो बाउन्ड्री डिफाइन की हुई है उसमें यह जमीन नहीं आती ?

श्री मथुरादास माथुर : उसी बाउन्ड्री में यह जमीन है।

श्री अब्दुलजब्बार : उसकी बाउन्ड्री कभी बनी ही नहीं है, क्या इसकी सूचना मन्त्रीजी देने की कृपा फरमावेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : बाउन्ड्री बनी हुई है और मौके पर जाकर देखें तो अब भी

Page No 5

(श्री मथुरादास माथुर)

बाउन्ड्री की नींव आपको मिलेगी। यह आप वहां जाकर देख सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या निम्बाहेड़ा के थाने का सर्वे हो चुका है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न मेरे से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : अगर यह सिद्ध हो जावे कि यह बाउन्ड्री बनी हुई नहीं है तो मन्त्री महोदय क्या आश्वासन देते हैं ?

प्रश्न संख्या २४०

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

विकास खंड

२४१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कुल कितने ब्लॉक्स को प्रीएक्सटेन्शन फर्स्ट स्टेज एवं सैकिण्ड स्टेज में परिवर्तन करने हैं ?

(ख) लूणकरणसर तहसील के लिये क्या अप्रेल में प्रीएक्सटेन्शन ब्लॉक की स्वीकृति देने का सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, सामुदायिक विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : (क) ४६ विकास खण्ड।

(ख) कार्यक्रम के अनुसार लूणकरणसर में अक्टूबर, १९६२ में पूर्व प्रसार खण्ड खोल दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रीएक्सटेन्शन ब्लॉक खोलने के लिए सरकार ने क्या क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जिला परिषद् की सिफारिश के अनुसार ही खोले जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें जिला परिषद् की सिफारिश को ज्यादा महत्व दिया जाता है या सरकार के नियमों को !

श्री दिनेशराय डांगी : सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार सोचती है।

श्री भैरोंसिंह : वे सारी परिस्थितियां बता दें, कौन कौन सी हैं ? जिला परिषद् की सिफारिश है या और भी हैं ?

श्री अध्यक्ष : और भी हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : जमीन के बारे में भी देखते हैं, वहां कितने कितने ट्रेक्टर हैं। सारे साधन खेती के भी देखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो जंचा नहीं। जमीन, ट्रेक्टर और जिला परिषद् की सिफारिश अगर आप कहेंगे तो सरकार की अब तक की व्यवस्था के ये प्रतिकूल होंगे, मन्त्री महोदय जरा विचार कर लें।

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : एम.एल. ए. की भी राय ली जाती है।

Page No 6

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इसके खोलने के लिए सरकार के दस नियम बनाये हुए हैं। इनके विपरीत अगर जिला परिषद् सिफारिश करती है तो विभाग किस चीज को सही मानेगा और किसे प्रिफेरेन्स देगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसी स्थिति आवेगी तो सरकार एन्क्वायरी करेगी कि वास्तव में वह जगह खोलने लायक है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या आपने लूणकरणसर के बारे में यह जांच कर ली है कि वहां बाकी सभी शर्तें पूरी होती हैं ?

श्री भीमसेन : बाकी शर्तें भी पूरी होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप मन्त्री नहीं हैं, वे हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : डिस्क्रिशन तो गवर्नमेन्ट पर है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : १९६२ के अन्त तक सभी छाया खंडों को ही एक्सटेन्शन में ले लेंगे।

सड़क निर्माण

२४२. **श्री उदयलाल वरदिया** (लसाडिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या लसाड़िया तहसील हैडक्वाटर्स तक चातुरमास में पहुंचने के लिए मोटर का कोई भी रास्ता नहीं है ?

(२) क्या यह भी सच है कि सन् १९५७ में इस तहसील को बान्सी बोहड़ा रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए रोड का सर्वे होकर कार्य प्रारम्भ हो गया था ?

(३) यदि हां, तो इस कार्य के अब तक प्रारम्भ न होने के व पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह सही है।

(२) सर्वे हुआ था पर इस विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उदयलाल वरदिया : अब भी कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह सर्वे कब हुआ था साहब ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १९५७ में हुआ था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २४३।

विद्युत्-वितरण

२४३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने

(श्री विजयसिंह झाला)

चम्बल डेम से बिजली देने की स्कीम के अन्तर्गत उदयपुर तथा चित्तौड़ जिले में कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन जिलों के किन २ गांवों में बिजली की सप्लाई हो जायेगी ?

(३) अब तक सरकार ने इन जिलों में बिजली सप्लाई करने की क्या व्यवस्था कर रखी है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) :

(१) जी हां।

(२) इसका कार्यक्रम विचाराधीन है।

(३) उदयपुर व चित्तौड़ जिले में निम्न स्थानों में राजकीय विद्युत् मंडल के पावर हाउस से बिजली दी जा रही है :—

१. कांकरोली	(उदयपुर जिला)
२. नाथद्वारा	(उदयपुर जिला)
३. चित्तौड़गढ	(चित्तौड़गढ़)
४. प्रतापगढ़	(चित्तौड़गढ़)

श्री विजयसिंह झाला : इसके सिवाय बीच में गांव वाले लेना चाहें तो क्या आधार है ? क्या उनको भी देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : उनकी मांग आनी चाहिये और अगर वहां लोड है तो दी जावेगी।

श्री विजयसिंह झाला : मांग आने से पहले आधार जानना चाहता हूं। क्या जन-संख्या और दूरी के आधार पर भी आप गौर करते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जनसंख्या भी एक आधार है। अगर, चार पांच हजार की बस्ती है और बीच में लाइन आती है तो जरूर देंगे।

श्री विजयसिंह झाला : मेन लाइन से कितनी दूरी हो और इसके बाद में खर्चा कितना सरकार देगी या गांव वालों को भी देना होगा ? मान लीजिये पांच हजार की जनसंख्या का गांव है और दस मील दूर लाइन है तो क्या व्यवस्था होगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोशिश इस बात की की जा रही है कि जितने भी पांच हजार की आबादी के गांव हों उनको दी जावे। हो सकता है एक, दो रह जावें डिस्ट्रिब्यूशन-लाइन से बहुत ही दूर हों तो। पर कोशिश यह की जावेगी कि पांच हजार तक के सभी गांवों को बिजली दी जावे।

श्री विजयसिंह झाला : जैसे नाथद्वारा की बात अर्ज करूं। इसके आसपास पन्द्रह मील की दूरी में कई पांच हजार के गांव हैं और वे लाइन के कई तरफ हैं, एक ही लाइन में नहीं आते। तो क्या उनके लिये अलग अलग सब-स्टेशन बना कर उनको देंगे या क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी यह नहीं कह सकता कि कौनसा गांव है और कौनसा नहीं। आप कोई पार्टीक्युलर गांव बताएं तो बता सकूंगा।

Page No 8

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : राजसमन्द के इलाके में बिजली का प्रयोग होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये प्रयास कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह प्रयोग आपके लिये जरूर किया जावेगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : निम्बाहेड़ा में हो रहा है ? सब-स्टेशन लाइन कहां डाली गई है ? इसमें निम्बाहेड़ा का नाम नहीं आया। क्या वहां सब-स्टेशन कायम हो रहा है और वहां भी लाइट दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : जिनमें अभी बिजली चल रही है उनकी फहरिस्त दी है यह तो। उनके नाम इसमें नहीं दिये हैं जिनमें बिजली आवेगी।

श्री भैरोंसिंह : मेन लाइन से दूर हो, ऐसे भी नियम हैं उसके लिये कि १।४ हिस्सा उस लाइन के लाने के कुल खर्च का सरकार को दिया जावे और लाइन का पेमेन्ट इन्स्टॉल-मेन्ट में किया जावे तो उस आधार पर क्या बिजली लगा दी जावेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप इसके लिये अलग से प्रश्न करें।

श्री भैरोंसिंह : पॉलिसी का सवाल है। क्या सरकार ने ऐसी पॉलिसी निर्धारित की है कि मेन लाइन से दूर यदि ग्रामवासी बिजली लेना चाहें तो उनको कुल खर्चे का १।४ हिस्सा सरकार को देना पड़ता है और उसके बाद सरकार से लाइन देने की स्वीकृत प्रदान की जाती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा निर्णय नहीं लिया गया। अगर वे देते हैं तो हम एक्सैप्ट करेंगे और वहां काम जल्दी करायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने ऐसा निर्णय लेने की चुनावों के दिनों में घोषणा की ?

श्री हरिश्चन्द्र : किस बात की ?

श्री भैरोंसिंह : यही कि यदि ग्रामवासी कुल खर्चे का १।४ हिस्सा दे दें तो हम उनको बिजली दे देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या ऐसा निर्णय भी लिया गया है कि जो सब-स्टेशन बनते हैं उनके आसपास के गांवों को बिजली मिलनी चाहिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विजयसिंह झाला।

पंचायत समिति के निर्णय के विरुद्ध दी गयी निषेधाज्ञा

२४४. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथ-द्वारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बड़गांव पंचायत समिति, जिला उदयपुर के कितने निर्णय हैं जिनके विरुद्ध ए. डी.-एम., उदयपुर ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है ?

Page No 9

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : केवल दो निर्णयों के विरूद्ध स्थगन आदेश दिए गए थे।

श्री विजयसिंह् झाला : वे कौन कौन से निर्णय हैं, जरा बता दें ?

श्री दिनेशराय डांगी : वह निर्णय कदमाल के तालाब में से नाला निकालने सम्बन्धी था। पहली बार पंचायत समिति को रिमाण्ड किया गया और इसके बाद दूसरी बार ए. डी. एम. ने स्टे-ऑर्डर्स इश्यू किये। इस तरह से दो नम्बर हुए।

श्री विजयसिंह् झाला : पंचायत ने निर्णय दिया है, उसके कितनी देर बाद स्थगन-प्रस्ताव दिए गए थे।

श्री दिनेशराय डांगी : यह रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है।

श्री विजयसिंह् झाला : क्या आपने जांच की है कि जो स्टे-ऑर्डर दिया गया है वह दरअसल में कानूनी आधार पर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, जो निर्णय दिया गया उस पर बहस नहीं करें। कानून के अन्तर्गत आपको अपील के अधिकार हैं तो पहले उनका इस्तेमाल करें।

श्री विजयसिंह् झाला : तो एक प्रश्न और उठता है, क्या पंचायती फैसला दोनों पार्टियों का होने के बाद भी उसके विरूद्ध स्टे-ऑर्डर दिया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : Pardon.

श्री विजयसिंह् झाला : ऐसा निर्णय जो कि पंचायती फैसले पर हुआ हो उसके बाद में क्या उस निर्णय के विरूद्ध भी स्टे-ऑर्डर दिया गया है ?

पंचायत मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : पंचायत का फैसला हुआ उसकी अपील पंचायत समिति में हुई और पंचायत समिति ने फैसला किया; ए. डी. एम. ने उसको स्टे कर दिया। एक बार स्टे करके उस केस को वापिस रिमाण्ड कर दिया। दुबारा पंचायत समिति ने वही निर्णय दे दिया और इसको फिर दुबारा ए. डी. एम. ने स्टे कर दिया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या बी. डी. ओ. को अधिकार नहीं होते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अधिकार रिवीजन के हैं।

श्री विजयसिंह् झाला : तो एक प्रश्न और उठता है कि आर्बिट्रेशन के मुताबिक पंच नियुक्त करें और उस निर्णय के विरुद्ध भी क्या स्टे-ऑर्डर दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया गया है।

श्री विजयसिंह् झाला : प्रश्न नियमों के विरुद्ध का नहीं पूछ रहा हूँ। प्रश्न तो यह है कि क्या आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक पंच नियुक्त किया गया था और उसने जो फैसला दिया उसके विरुद्ध भी स्टे-ऑर्डर मिला ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप तो फैसले की मेरिट्स के ऊपर बहस कर रहे हैं। पंचायत समिति का फैसला है, चाहे वह आर्बिट्रेशन

(श्री अध्यक्ष)

के आधार पर हुआ हो या किसी पर भी हुआ हो; उन्होंने कानूनी तौर से उसको स्टे कर दिया।

श्री विजयसिंह झाला : तो एक प्रश्न और उठता है कि स्टे-ऑर्डर जो दिया गया, क्या विरोधी पार्टी थी उसके कारणों की जानकारी के लिए जो नोटिस दिया जाना चाहिए था, वह दिया गया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारा काम कानूनी कार्यवाही को ध्यान में रख कर ही किया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : स्टे-ऑर्डर देने के बाद शो कॉज नोटिस का जवाब पेश करना चाहिए था। उसके बाद में कितनी पेशियां तब्दील की गयीं और शो कॉज नोटिस से देने के लिए....

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री विजयसिंह झाला : शो कॉज नोटिस के बाद जो ऑपोर्चुनिटी विरोधी पार्टी को मिलनी चाहिए थी वह नहीं दी गई, इसकी वजह से ४० हजार का नुकसान गन्ने का हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा कि शो कॉज नोटिस ऑपोर्चुनिटी दी गयी उसके बाद कितनी पेशियां हुई ?

श्री अध्यक्ष : अभी तक स्टे-ऑर्डर ही चल रहा है। स्टे-ऑर्डर तो बिना सुने भी दे सकते हैं।

श्री भीमसेन।

जल प्रदाय योजना

२४५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जलप्रदाय-योजना, कालू, लूणकरणसर, सिंथल, जिला बीकानेर के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये ?

(२) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) कालू, लूणकरणसर जलप्रदाय योजना के लिए बोरिंग कराये गये। सिंथल ग्राम की जल वितरण योजना के लिए सर्वे की जा रही है।

(२) कालू, लूणकरणसर जल प्रदाय योजना का निर्माण कार्य मीठे पानी के उचित मात्रा में उपलब्ध होने पर ही शुरू किया जा सकता है और सिंथल ग्राम की जल-योजना के निर्माण के बारे में सर्वे पूरा हो जाने के बाद ही कहा जा सकता है।

श्री भीमसेन : यह कालू में बोरिंग कराया गया और मीठा पानी निकला है तो उसकी स्कीम बनने में क्या देरी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उस ट्यूबवैल को गहरा कराया गया था लेकिन पानी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाड़दार।

Page No 11

पुलिस रेडियो शाखा के कर्मचारी

२४६. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या पुलिस रेडियो शाखा (वायरलैस) राजस्थान पुलिस विभाग की ही एक शाखा है ?

(ख) क्या पुलिस विभाग के कर्मचारियों को विभागीय परीक्षाओं के लिए विभागीय उम्मीदवार माना जाता है ?

(ग) क्या पुलिस रेडियो शाखा के कर्मचारियों को भी विभागीय परीक्षाओं में विभागीय उम्मीदवार माना जाता है ? यदि नहीं, तो यह भेदभाव क्यों किया जाता है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, सब-इन्सपेक्टर पद के चयन के लिए होनेवाली विभागीय परीक्षाओं में पुलिस रेडियो विभाग के कर्मचारियों को विभागीय उम्मीदवारों के रूप में बैठने की अनुमति नहीं है। क्योंकि उनके कार्य एक विशेष प्रकार के टैक्निकल श्रेणी के होते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें पुलिस कार्य के अनुभव का भी अभाव होता है। इसके अतिरिक्त उनकी शाखा में भी सब-इन्सपैक्टर के पद होते हैं जिनमें उन्हें उन्नत किया जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : निवेदन करना यह था कि जब इस क्लास सर्विस को जनरल पुलिस क्लास सर्विस माना जाता है तो जनरल रूल्स भी उन पर एप्लीकेबल होते हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर मान लीजिये ऐसी पोज़ीशन है तो यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि इनकी सर्विस के अन्दर जो बेनीफिट्स इनको मिलते हैं, क्योंकि पहले प्रश्न के उत्तर में आपने 'हां' बतलाया है और तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपने उनके नियमों में बांध लगा दी है तो पहले प्रश्न का उत्तर 'हां' में आ जाता है; तो जनरल प्रिविलेजेज उनको मिलने चाहिए क्योंकि यह एक दूसरे का कॉन्ट्रोडिक्टरी उत्तर हो जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : उत्तर में कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं, लेकिन आपके विचार ऐसे हो सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे विचारों का प्रश्न नहीं है। आपका उत्तर ही ऐसा है।

श्री अध्यक्ष : जनरल रूल्स, क्योंकि पुलिस सर्विस पर लगते हैं ऐसी बात नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा निवेदन करना यह था कि पहला प्रश्न यह है : "क्या पुलिस रेडियो शाखा (वायरलैस) राजस्थान पुलिस विभाग की ही एक शाखा है" वह पार्ट एण्ड पार्सल उसका हो गया और तीसरा प्रश्न यह यह है "क्या पुलिस रेडियो शाखा के कर्मचारियों को भी विभागीय परीक्षाओं में विभागीय

Page No 12

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

उम्मीदवार माना जाता है ? यदि नहीं, तो यह भेदभाव क्यों किया जाता है" There is a question of discrimination. अब उसके लिए आप यह कहते हैं कि रूल्स डिफरेन्ट बने हुए हैं और वे प्रिविलेजेज़ नहीं मिलेंगे तो वह उनके प्रिविलेजेज़ को कर्टेल करता है तो it is inconsistent with the Act itself.

श्री मथुरादास माथुर : I will reply to this question in the demand which I am just taking.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के आर्म्ड फोर्स के जमादारों को सिविल फोर्स में सब इन्सपेक्टर नियुक्त किया जाता है ? अगर ऐसा है तो फिर उनको विभागीय कर्मचारियों की श्रेणी में गिना जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वायरलैस के कई ऐसे इन्सपेक्टरों में से डाइरेक्टली सिविल पुलिस में असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर इससे पूर्व नियुक्त किये गये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह भी अलग प्रश्न है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्या यह सही है कि आर. ए. सी. के कुछ इन्सपेक्टर्स को भी ऑर्डिनेरी सब-इन्सपेक्टर ट्रान्सफर किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बिल्कुल ही अलग प्रश्न है।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सीधा प्रश्न है कि वायरलैस वालों को प्रमोशन का सवाल आता है तो उनके लिए उस समय यह हो जाता है कि रूल्स अलग हैं और जब राजस्थान के आई.जी.पी. के स्टेनोग्राफर्स हैं तो उनको सब-इन्सपेक्टर्स नियुक्त कर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : सब-इन्सपेक्टर नहीं, इन्सपेक्टर।

श्री मानसिंह महार : एस. आइ. और यह भी माननीय गृह मन्त्रीजी के चार्ज लेने के बाद में दो स्टेनोग्राफर्स को बनाया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : Stenographers are Police men.

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, अगर स्टेनोग्राफर्स को पुलिस कर्मचारी माना जाता है तो वायरलैस वालों को नहीं माना जाये, तो यह तो उनके साथ ज्यादती है।

श्री मथुरादास माथुर : Because stenographers undergo all the Civil Police Training, while Wireless Police are only technicians.

श्री मानसिंह महार : Honb.le Home Minister is not in the know of the things.

जो पुलिस विभाग के अन्दर क्लर्क वगैरह होते हैं कभी कोई पुलिस ट्रेनिंग में नहीं जाता है। I may be excused and I might inform

(श्री मानसिंह महार)

the Hon'ble Minister that he is misinformed and he should take action againstt hose who have given him wrong information.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

२४७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सांचोर में किन किन पंचायतों में आबादी-भूमि की समस्या है तथा इसे हल करने के लिये निकट भविष्य में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या यह सच है कि कुछ पंचायतें कृषि-भूमि को आबादी-भूमि में कन्वर्ट करवाना चाहती हैं ? यदि हां, तो ऐसी कौन कौन सी पंचायतें हैं व कन्वर्शन की कार्यवाही कब तक पूरी होने की आशा है ?

(३) क्या यह सच है कि पंचायत भाब में भी कृषि-भूमि को आबादी-भूमि में कन्वर्ट कराने का प्रश्न चल रहा है ? क्या यह भी सच है कि पंचायत भाब कुछ लोगों के मकान बने हुए होते हुए भी उस भूमि को कन्वर्ट कराने की कार्यवाही जान बूझ कर रोक रही है ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार उस पंचायत के खिलाफ क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) तहसील सांचोर में निम्न पंचायतों में आबादी भूमि की समस्या है:— १-भाब, २-चोतलवाना, ३-सांचोर, ४-हाडेता, ५-अरनाय, ६-सरनाऊ, ७-दूठवा, ८-नेनोल, ९-सुथड़ी, १०-गुन्दाऊ, ११-सुराचन्द, १२-गोलासन १३-इटावा ।

जिन जिन ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास किये हैं उनके सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

(२) जी हां । पंचायत भाब एवं सुथड़ी हैं । उनमें से भाब की कार्यवाही पूरी हो चुकी, सुथड़ी की शीघ्र ही पूरी होने की आशा है ।

(३) जी हां । जी नहीं । जिन व्यक्तियों ने गोचर-भूमि पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है उनके प्रति कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या सच है कि पंचायत भाब में कुछ मकान पक्के बने हुए हैं, उनको गिरा रहे हैं, उसके बारे में सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसी सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सूचना चाही गई थी कि कुछ पक्के मकान बनाये गये थे उनको पंचायत गिरा रही है ? एक्वीजेशन की कार्यवाही, जब कि आप कह रहे हैं, जेरतजवीज है, तो मकान क्यों गिराये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मकान आबादी की जमीन पर बनाये गये हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आबादी की जमीन के कन्वर्शन का सवाल है वह कुछ वर्षों से चल रहा है । आबादी की जमीन नहीं थी, लेकिन जो मकान बने हैं उनको गिराने की कार्यवाही चल रही है पंचायत में पंचों के आपस के टंटे की वजह से ।

पंचायत मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ऐसा है कि झाब की गोचर-भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, बिना कानूनी कार्यवाही के और मकान बना लिये हैं तो मकानों को गिरवाये जाने के लिए पंचायत ने नोटिस दिया है। यह बात सही है कि आबादी की भूमि कम है। उसके लिए पंचायत ने यह प्रस्ताव भी पास किया है कि आबादी भूमि के लिए भूमि को बढ़ाया जाय और जो पास में लैंड पड़ी हुई है उसको आबादी में कन्वर्ट किया जाय। वह कार्यवाही करीब करीब मुकम्मिल हो चुकी है। अगर इनके मकान उस जमीन के आसपास मे हों तो उस एरिया को एडीशनल तरीके से जोड़ कर ठीक किया जा सकता है। अगर कहीं दूर हैं और आबादी की भूमि में आने के लायक नहीं हैं और मकान अनऑथोराइज्ड बना लिये हैं तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बिल्कुल आबादी से लगे हुए हैं और पंचायत जिस जमीन को कन्वर्ट करना चाहती है आबादी लैंड में वह १०० गज की दूरी पर है। जो आबादी बताई जाती है उसमें पक्के मकान बने हुए हैं और बिल्कुल लगे हुए हैं आबादी से।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस वक्त मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी भूमि को आबादी में लाने के लिए पंचायत ने सिफारिश की है रेवेन्यू ऑफिसर्स को। अगर वह जमीन वही है जिस पर कि मकान बने हुए हैं और जो कि वे आबादी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो मकान गिराने की नौबत नहीं आयेगी और कुछ पेनेल्टी वगैरह चार्ज करके मामले को ठीक किया जा सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो जमीन बिल्कुल पास में आई हुई है वह गोचर की बताई गई है और जो जमीन आबादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं वह बहुत दूर है जो कि उपयुक्त नहीं है और वास्तव में देखा जाय तो वह कन्वीनियेन्टली हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : जो अधिकारी कन्वर्शन कर सकते हैं उनके पास प्रतिवेदन पेश करें। सरकार के सामने मामला नहीं है, इस वक्त।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बिल्कुल पास में लगी हुई है जमीन....

श्री अध्यक्ष : चाहे कहीं भी लगी हुई हो, लेकिन एक अमुक अधिकारी को कन्वर्शन करने का अधिकार है तो आपके एतराजात उस अधिकारी के पास में प्रतिवेदन करके पेश करें। सरकार के सामने मामला पेश नहीं है। रेवेन्यू ऑथोरिटी कार्यवाही करती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लैंड कन्वर्ट करने की इजाजत के बगैर ही मकान बनाने की इजाजत के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति अब तक थी वह वहां पर क्यों नहीं लागू की गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या कहा ?

श्री भैरोंसिंह : बिना कन्वर्ट किये ही, जिस अधिकारी को अधिकार है कन्वर्ट करने का उसके पास एप्लीकेशन मूव किये बिना, मकान बनाने की कुछ को इजाजत दे दी। कुछ कन्डीशन्स के ऊपर और उन कन्डीशन्स के ऊपर यह करार दिया जाता है तो इन लोगों को मकान बनाने की इजाजत क्यों नहीं दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे पता नहीं। कोई स्पेसिफिक बात कहें तो मैं जवाब दे सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आपको पता नहीं। मैं समझता हूँ कि आपको पता तो होगा।

प्रश्न संख्या २४८

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

सड़क-निर्माण

२४६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कनेरा (तहसील निम्बाहेड़ा) व आसपास के ग्रामीणों ने श्रमदान द्वारा कोई पहाड़ी रास्ता बनाया है? यदि हां, तो वह रास्ता कितना लम्बा है?

(२) क्या इस रास्ते से बेगूं सड़क को जोड़ा जा सकता है?

उप-मंत्री, सामुदायिक विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, रास्ता एक मील लम्बा है।

(२) जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार : श्रमदान की लागत कितनी आंकी जा सकती है?

श्री दिनेशराय डांगी : फिर से बोलिये, कृपया।

श्री अब्दुलजब्बार : इस श्रमदान की कितनी कीमत आंकी जा सकती है?

श्री दिनेशराय डांगी : ग्रामीणों ने लगभग ५,०००) रु० का श्रमदान किया है।

श्री अब्दुलजब्बार : एक मील पहाड़ काटने का सरकार की तरफ से, असेसमेन्ट होता है तो कितना होता है?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : पहाड़ कितना बड़ा है और कितना कांटा है उसके हिसाब से उसका असेसमेन्ट होता है। एक मील पहाड़ काटने के ५ लाख रुपये भी हो सकते हैं और छोटे-मोटे मामूली ढिगले हैं तो उन पर ५,०००) रु० भी हो सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि उनके उत्साह को देख कर जो प्रश्न किया गया था कि आगे उसको बेगूं लाइन से कनेक्ट करने के बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे विचार का सवाल पैदा नहीं होता। एक मील का टुकड़ा काटा है और उसके श्रमदान की कीमत ५,०००) रुपया बताई है।

श्री अब्दुलजब्बार : बेगूं लाइन से कनेक्ट करने के लिये पहाड़ को काटा गया है। सड़क से कनेक्ट किया है तो थोड़ा सा टुकड़ा था इसको बेगूं लाइन से कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि कनेक्ट किया जा सकता है।

श्री अब्दुलजब्बार : कब तक आशा की जा सकती है कि इसको किया जायगा?

Page No 16

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने ५ हजार का श्रमदान किया है तो पंचायत समिति को चाहिये कि रोड फण्ड से मदद करे, ऐसे लोगों की ।

श्री अब्दुलजब्बार : पंचायत द्वारा कनेक्ट करने का प्रश्न होता तो यहां तक आने की नौबत नहीं आती । आपकी इस सम्बन्ध में क्या विचारधारा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी विचारधारा काम आती नहीं है । कुछ कामों का जिम्मा पंचायत समितियों के पास में है । आप उनकी गुड सेन्सेज को अपील करें ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह तृतीय पंच-वर्षीय योजना में पूरी हो सकेगी ? बेगूं लाइन से पूरा कनेक्टेड हो सकेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचायत समिति ही कुछ आपकी सहायता कर सकती है ।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, मासलपुर

२५०. महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल (करोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, मासलपुर के भवन निर्माण का ठेका किसको दिया गया है ?

(२) क्या भवन निर्माण कार्य चालू है ?

(३) निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) श्री नरसिंह-दास ठेकेदार को ।

(२) जी हां ।

(३) मार्च, १९६२ तक २७२२) रु० का कार्य हुआ है ।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : यह ठेका कब दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फरवरी में ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : काम कब पूरा हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ६ महीने में पूरा हो जाने को था । परन्तु दिक्कत यह थी कि जहां पर मकान बनाया जा रहा है वहां पर तंग गलियां थीं और मोटर वगैरह का रास्ता नहीं था । तो पंचायत ने अक्टूबर में चबूतरियां तुड़वाई हैं और अब काम जल्दी ही हो जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ठेके का अक्सटेन्शन किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : कब तक के लिए ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जब तक वह काम चलता है ।

श्री भैरोंसिंह : कितना किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : किस समय तक के लिए एक्सटेन्शन किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जिस समय तक वह काम पूरा हो जायगा ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जब तक पूरा हो जायगा उसका मतलब यह है कि फिर नदी बहने लगेगी, फिर एक साल का अर्सा हो जायगा ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जल्दी ही कराया जायगा ।

श्री मानसिंह महार : जल्दी कब तक ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह नहीं कहा जा सकता है । जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जायगी ।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार काम छोड़ना चाहता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

सड़क निर्माण

२५१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** [अलवर-श्री कुमारानन्द (ब्यावर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले में कौन कौनसी सड़कें बनाने का विचार है ?

(२) इन्हें कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : सूची प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री कुमारानन्द : कब तक बन जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो सूची आपको दी गई है उसमें सारी चीज दर्ज की गई है ।

श्री कुमारानन्द : आप यह बताने की कृपा करें कि इस विषय में कोई पत्र आया था, किसी ने चिट्ठी लिखी थी कि कब तक पूरा होगा, इसका जवाब दें ?

श्री अध्यक्ष : लूणकरणसर और सूरतगढ़ के बारे में पूछना चाहते हैं ?

श्री कुमारानन्द : दोनों का है ।

श्री अध्यक्ष : इन दोनों प्रश्नों का उत्तर साथ दे दें ।

सड़क-निर्माण

२५२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** [अलवर-श्री कुमारानन्द (ब्यावर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने लूणकरणसर से सूरतगढ़ तक सड़क बनाने की कोई योजना स्वीकार की है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(२) यदि हां, तो कब तक उसे पूरा करने का लक्ष्य है और अब तक उसका कितना कार्य पूरा हो चुका है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां। हाई पावर्ड कमेटी के निर्देशानुसार केवल सूरतगढ़ से विरथवाल तक कार्य करना है।

(२) आशा है सूरतगढ से विरथवाल तक का भाग तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ण हो जावेगा। सूरतगढ से मील ०।० से ४।० तक कार्य चालू है, बाकी ८ मील के टेन्डर स्वीकृत कर दिये गये हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बरथवाल से रीरमल तक का जो पोर्शन है उसके बारे में सरकार क्या निर्णय करती है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसके बारे में निर्णय स्थगित है और प्रश्न विचाराधीन है।

भादरा से ग्राम गांधी तक सड़क का निर्माण

२५३. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समिति भादरा ने इस वर्ष, कस्बा भादरा से सिरसा (पंजाब) जाने वाले बस रूट मार्ग के लिये कस्बा भादरा से ग्राम गांधी तक १२ मील लम्बी पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव विचारार्थ सरकार के पास प्रेषित किया था ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(३) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या सरकार इस सड़क के निर्माण को तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) इस सड़क को तीसरी योजना में आरम्भ किये जाने का विचार है।

श्री हरदत्तसिंह : क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह काम कब तक चालू हो जायगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(दिनांक ४ अप्रेल, १९६२ का स्थगित प्रश्न)

गुड़ खांडसारी समितियां-खमनोर पंचायत समिति

९५. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) खमनोर पंचायत समिति में कुल कितनी गुड़ खांडसारी समितियां हैं तथा उन्हें कितने कितने रुपयों का अनुदान एवं कर्ज दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उनमें कुछ

(श्री विजयसिंह झाला)

समितियां ने गुड़ खांड बनाने का कार्य बन्द कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) प्रत्येक समिति को कितना लाभ या नुकसान हुआ ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकार मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) खमनोर पंचायत समिति में कुल ४ गुड़ खांडसारी सहकारी समितियां हैं, जिनको कुल १८,७०६ रु० ६६ नये पैसे का अनुदान एवं ४४,५४४ रु० ५० नये पैसे का ऋण दिया गया है।

(२) इनमें से ३ समितियों ने कार्य बन्द कर रखा है, जिसका कारण एवं लाभ–हानि का विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में दिया हुआ है। इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : ये ४ जो गुड़ खांडसारी समितियां हैं उनमें से ३ बन्द हैं। क्यों बन्द हैं, इसकी जानकारी करने की कोशिश की गई क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सूची दी हुई है उसमें सब लिखा हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला : सूची में कारण नहीं दिया हुआ है। मैंने सारी सूची देखी है। इसमें लिखा है कि आपसी मतभेद के कारण बन्द है, दूसरी के बारे में लिखा है, पहले वह कार्य करती थी अब, नहीं करती इसलिये बन्द है। इसमें कोई ऐसा कारण नहीं बताया गया है इस काम के लिये पैसा ज्यादा चाहिये था और पूरा नहीं मिला, इसलिये समितियां बन्द है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, पैसे की वजह से बन्द नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला : एक गुड़ खांडसारी समिति को चलाने के लिये कितना पैसा चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके पास कितना धंधा है, कितने मेम्बर हैं, अलग अलग समितियों की जैसी स्थिति होगी, ये सब उस पर डिपेन्ड करेगा।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि जितनी गुड़ खांडसारी समितियां इस डिवीजन में लगी हुई हैं वे मशीनरी से काम करती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनको अनुदान दिया है उनके डिटेल्स दिये हुए हैं। इनमें मशीनरी भी लगी हुई है।

श्री विजयसिंह झाला : जहां मशीनरी से कार्य होता है वहां कितना पैसा देना चाहिये ? उनको ५४ हजार रुपये दिये हैं उनमें से ३ बन्द हैं और उनके पास धन राशि की कमी होने से वे बन्द हैं। बड़ी धन राशि उपलब्ध नहीं है इसलिये बन्द है। क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : धन राशि की कमी के कारण बन्द नहीं हैं। सदस्यों में आपसी मनमुटाव था इसलिये बन्द है। दूसरी का रजिस्ट्रेशन कृषि सहकारी समिति के तौर पर

Page No 20

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हुआ था। उसने कुछ दिन काम किया फिर बन्द कर दिया। मेम्बरों की रजाबन्दी से बन्द किया। एक संस्था का गोदाम नहीं बना था इसलिये उसने काम बन्द कर दिया।

श्री विजयसिंह झाला : कृषि सहकारी समिति को गुड़ खांडसारी के लिये लोन कैसे दे दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बाईलॉज अमेन्ड करके गुड़ खांडसारी का काम शुरू किया।

श्री विजयसिंह झाला : बाईलॉज अमेन्ड करने के बाद कारखाना चलाने के लिये कितने रुपये चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो तीन समितियां बन्द हैं उनका कारण बता दिया है। एक सदस्यों के आपसी मतभेद के कारण बन्द है, दूसरी में गोदाम नहीं बन सका, इसलिये बन्द है और तीसरी ने पहले काम किया फिर बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहते हैं कि पैसे की कमी के कारण बन्द है। आप इस बात की जांच करवालें कि कितना पैसा चाहिये था और कितना अनुदान या ऋण उन समितियों को मिला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने जितना ऋण मांगा, जितनी उनकी हिस्सा-पूंजी है और जितना उनको कायदे से दिया जा सकता था वह सारा का सारा पैसा दिया गया। ऋण या अनुदान नहीं मिलने से काम बन्द नहीं हुआ है। परन्तु जैसा मैंने कहा, एक दूसरे सदस्यों के आपस में मनमुटाव के कारण बन्द हुआ है, दूसरी का गोदाम नहीं बना इसलिए बन्द हुआ और तीसरी ने पहले किया फिर बन्द कर दिया।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जो समितियां बन्द हो गई हैं क्या उनसे ऋण और अनुदान वापिस लेने की चेष्टा करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनका ड्यू है उनसे कायदे से लिया गया है और लिया जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गुड़ खांडसारी समिति का गोदाम से क्या ताल्लुक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खेत में समिति हो तो गोदाम की आवश्यकता है।

श्री विजयसिंह झाला : ऋण वापिस लेने का सवाल नहीं है लेकिन काम चालू करने के लिये क्या उनको और देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी कह चुके हैं कि नियमानुसार जितना ऋण दिया जाना चाहिये, दिया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या मन्त्रीजी यह रेस्ट्रिक्शन लगायेंगे कि कम से कम इतने रुपये होने पर ही इस तरह की समितियां खोली जा सकती हैं; क्योंकि कम से कम ६०-७० हजार रुपये चाहिये। थोड़ा ऋण देते हैं तो बन्द हो जाती हैं और मनी का वेस्टेज होता है। तो कम से कम ४० हजार रुपयों की रकम तो निर्धारित होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है चार समितियों में से ३ बन्द हैं तो उनसे अनुदान वापिस लेकर दूसरों को क्यों नहीं दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछा जा चुका है, उत्तर भी दिया जा चुका है । अनुदान वापिस नहीं लिया जाता ।

सड़क निर्माण

२३७. **श्री गोविन्दसहाय** [गंगापुर–श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या तहसील सपोटरा में डाबरा ग्राम से ताजपुर तक लिंक रोड बनाने की कोई सरकारी योजना है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू होगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर शहर में पानी की समस्या

२४८. **श्री गोविन्दसहाय** [गंगापुर–श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अभी गर्मी आने से पहले ही जयपुर शहर में सब जगह विशेष कर जौहरी बाजार में पानी के नल सारे दिन बन्द पड़े रहते हैं तथा नलों में पानी इतने कम प्रेशर से आता है कि जिससे मकानों की दूसरी मन्जिल पर वह चढ़ता ही नहीं ?

(२) यदि हां, तो जनता के इस कष्ट के निवारणार्थ सरकार अब क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह सही नहीं है कि पानी के नल सब दिन बन्द पड़े रहते हैं, परन्तु दूसरी मंजिल में पानी चढ़ने में दिक्कत अवश्य होती है ।

(२) रामगढ़ से पानी लाने के लिये दूसरी लाइन डाल दी गई है और चम्बल की बिजली उपलब्ध होते ही पम्पिंग मशीनें चालू कर दी जायंगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चम्बल की बिजली कब तक उपलब्ध हो जायगी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : आशा है अगस्त तक ।

श्री भैरोंसिंह : अगस्त महीने तक । गर्मी के दिनों में पानी देने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : पानी पहुंच रहा है । ऐसी दिक्कत नहीं है जो बहुत ज्यादा हो ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गर्मी में अभी से बहुत कम पानी आता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने जांच की है कि पानी की कमी है और टैक्स उतना ही है जितना पहले था और समय में भी रद्दोबदल नहीं किया है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : चौकड़ी विशेश्वरजी, घाट दरवाजा और जौहरी बाजार में थोड़ी पानी की दिक्कत है। बाकी सारे शहर में पानी की सप्लाई बराबर हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : बाकी के हिस्सों में जो नल दिन भर के लिये खुलते हैं उन पर समय की पाबन्दी लगा कर कुछ समय के लिये खोलने की व्यवस्था की गई है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो नल बन्द होते हैं वे सरकार की आज्ञा से बन्द नहीं किये जाते और नल विभाग के कर्मचारी ही मनमानी करते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नल बंद नहीं रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : नल बन्द रहते हैं साहब, और आप कहते हैं बन्द नहीं रहते।

श्री अध्यक्ष : पानी नहीं पहुंचता होगा। नल बन्द नहीं रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन स्थानों पर पहले मीठा पानी मिलता था वहां अब खारा पानी मिलने लगा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिये, मैं आपको दिखा सकता हूं ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : मिला-जुला मिलता होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या खारा पानी पहुंचने का सवाल नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : खारा पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि पानी के नल बन्द नहीं रहते, इसकी व्याख्या नवीन की गई है क्या ? जनता को पानी मिलता नहीं है और आपकी तरफ से उत्तर यह दिया जाता है कि नल बन्द नहीं रहते। इसकी कोई परिभाषा कर रखी है क्या ? पानी वास्तव में नहीं मिलता है। यदि आपके पास यह रिपोर्ट है कि यह असत्य है तो आप मेरे साथ चलिये।

श्री मथुरादास माथुर : कौनसी मंजिल में नहीं मिलता है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं पहली मंजिल की बात करता हूं, तीसरी मंजिल को तो छोड़िये। मैं पुरानी बस्ती की बात कर रहा हूं, जहां ज्यादातर मकान एक या दो मंजिल के हैं। वहां पर भी पानी नहीं मिलता है। आप यह कहते हैं कि नल बन्द नहीं होते, लेकिन पानी नहीं मिलता। इसकी परिभाषा क्या है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने अर्ज किया कि दो-तीन बस्तियों में दिक्कत

Page No 23

(श्री भवानीशंकर नंदवाना)

है, बाकी सब जगह पानी चालू है। यह बात नहीं कि पानी बन्द हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह दिक्कत निरन्तर अगस्त तक रहेगी ? इस गर्मी के मौसम में पानी, जिसे जीवन कहा जाता है, न देकर आप जीवन को कष्ट देते हैं। आप इस पर विचार कर लीजिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वाटर वर्क्स के लिए नल की लाइन डाल दी है और इसके लिए जो १५०० किलोवाट बिजली चाहिए, वह यह पावर हाउस दे नहीं सकता, तब तक ऐसा नहीं हो सकता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हमें पानी चाहिये। हमें यह नहीं चाहिए कि नई लाइन डाल रहे हैं। हमें पानी दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री, बिजली विभाग सदन को यह एश्योरेन्स देंगे कि अगस्त के महीने के पहले वाटर वर्क्स को बिजली दे सकेंगे ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : ऐसा कोई आश्वासन मैं नहीं दे सकता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मेरा निवेदन था कि इस समस्या का सही हल तब ही हो सकता है जब कि जितना प्रेशर शहर में दिया जाता है उतना ही प्रेशर सिविल लाइन्स में दिया जाय ताकि माननीय मन्त्री महोदय को मालूम हो सकता हो कि पानी आता है या नहीं। क्या माननीय उप-मन्त्री यह वायदा करेंगे कि सिविल लाइन्स में भी पानी का उतना ही प्रेशर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह अनड्यू प्रेशर हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गर्मी के दिनों में बाकी के मौसम के मुकाबले पानी का कन्जम्पशन ज्यादा होता है ? यदि हां, तो दोनों में कितना फर्क है और उसको मीट करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : गर्मी के दिनों में वाटर वर्क्स ४५ लाख गैलन वाटर देता है और आवश्यक उपाय करते हुए ७५ लाख से ८० लाख गैलन तक पानी दिया दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूं कि गर्मी के दिनों में जो बढ़ा हुआ कन्जम्पशन है, उसको मीट करने के लिए इस गर्मी के मौसम के लिए क्या व्यवस्था की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ट्यूब वैल्स खोदे हैं, कुओं में पम्प लगाने की व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष : कुओं से खारा पानी आता है।

श्री भैरोंसिंह : जो टोटल एक्स्ट्रा कन्जम्पशन है, उसकी क्या व्यवस्था की है, यह नहीं बताया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ग्यारह, बारह ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं और सात, आठ कुओं में पम्प लगाये गये हैं। इसकी आवश्यक कार्यवाही की गई है।

Page No 24

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(६.० म. पू.)

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनायें और उन्हें विलम्ब से रखने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री दुर्गालाल बाद्दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की मांग के ऊपर जो कट मोशन्स हैं, उनके सिलसिले में मेरा निवेदन करना यह था कि....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट रुक जाइये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र हैं, वे रख दिये जांय ।

श्री नाथूराम मिर्धा (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों-के नियम १६६ (२) के अन्तर्गत पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें पुनः सदन की मेज पर रखता हूं:—

(क) अधिसूचना संख्या एफ. ११६ (४) पी. एस. । रूल्स । कोऑर्ड । डी. डी. ।६१। ७२३८३-६८५ दिनांक २१ अप्रेल, १९६१ (शुद्धि-पत्र संख्या एफ. ११६ (४) पी. एस. । रूल्स । कोऑर्ड । डी । डी. । ६१।८८-२४३-८४५ दिनांक ११ मई, १९६१ सहित) जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (कन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेन्डिग कमेटीज) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं ।

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. २ (४) प्लान। बी। ५९ दिनांक २० फरवरी, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (कोऑप्शन ऑफ मेम्बर्स) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं ।

(ग) अधिसूचना संख्या एफ. २ (१६) प्लान । बी । ५९।१०६८६ दिनांक २४ मार्च, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान जिला परिषद् (कोऑप्शन ऑफ मेम्बर्स) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं ।

(घ) अधिसूचना संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५।१४।४१६७० दिनांक २६ जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एण्ड न्याय पंचायत इलेक्शन रूल्स, १९६० में संशोधन किये गये हैं ।

(ङ) अधिसूचना संख्या एफ. पी. एस.। रूल्स । ६०। ए. ए.। ७२६४३-४५ दिनांक २८ नवम्बर, १९६० जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कन्डक्ट आफ बिजनेस) नियम, १९६० प्रकाशित किये गये हैं ।

(च) अधिसूचना संख्या एफ. ११६ (१५) पी. एस.। रूल्स। को ऑर्ड। डी. डी.। ६१। ७१०८२-६८२ दिनांक १४ अप्रेल, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कन्डंक्ट ऑफ बिजनेस) नियम, १९६० में संशोधन किया गया है ।

(छ) अधिसूचना संख्या एफ. २३ (६) नियुक्ति। (ए) ६०। ग्रुप ३ दिनांक २५ मई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस (पनिश्मेन्ट एण्ड अपील) रूल्स, १९६१ प्रकाशित किये गये हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मन्त्री) :

(श्री हरिश्चन्द्र)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १६६ (२) के अन्तर्गत मैं होम (बी) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(क) अधिसूचना एफ. १ (७) (१) एच. (वी. जी. आर. १) । ५६ दिनांक २६ मई, १६६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १६५१ के नियम १०८ में संशोधन किया गया है, तथा

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. १ (१)(६)-एच. वी. जी. आर. १।६१ दिनांक १० जुलाई, १६६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स कर नियम, १६५१ के नियम १६ में संशोधन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय मन्त्री महोदय जो अधिसूचनायें रख रहे हैं, उनमें जो अधिसूचनायें रखी गई हैं वे पिछली बार विधान-सभा को मेज पर रख दी गई थीं, लेकिन आगे जो रखने वाले हैं, ये ऐसी हैं जो विधान सभा के सत्र के आरम्भ होते ही या पहले वाले सत्र में सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये थीं। नियमों के अनुसार और जो एक्ट है इन्डिया मोटर विहिकल्स एक्ट, उसके अन्तर्गत जो रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार और राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियमों के अनुसार जिस समय ये नोटीफिकेशन्स इश्यू हों, उसके इमीजियेटली बाद जो सेशन आता है उसमें उनको सदन की मेज पर रखना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि ये इतने विलम्ब से क्यों पेश की जा रही हैं? गवर्नमेंट की ओर से ये अधिसूचनायें लागू कर दी गई हैं और विधान सभा के सदस्य अपनी राय दे सकते थे और संशोधन करवा सकते थे, वे सदन के माननीय सदस्य उन संशोधनों और राय से वंचित रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : ये अधिसूचनायें १० जुलाई, १६६१ की हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सदन के पिछले सत्र में ये पेश हो जानी चाहिए थीं, लेकिन नहीं हुई हैं; इस देरी का क्या कारण है?

(विराम)

देरी का कारण यह है कि देरी हुई, गलती हुई।

श्री भैरोंसिंह : यह ऐसा कारण है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक्ट के तहत बने ये रूल्स और राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियमों के विपरीत है।

श्री हरिश्चन्द्र:ऐसा कुछ होगा, माननीय अध्यक्ष, तो उसको ठीक किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मंत्रीजी ने विभाग से इस सम्बन्ध में जानकारी की है कि इन अधिसूचनाओं को विलम्ब से रखवाये जाने के क्या कारण हैं और इसमें इस तरह का विलम्ब क्यों किया गया है?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास सूचना आई और मैंने रख दी, I have no idea at present.

श्री भैरोंसिंह : आपके पास सूचना आई और आपने रख दी। लेकिन क्या आपने यह जानकारी प्राप्त की कि ये विलम्ब से क्यों रखवाई जा रही हैं ? १० जुलाई के बाद में दो सेशन चल चुके हैं। एक बजट का सेशन आखिरी चला है और एक विन्टर सेशन चला है। उसमें ये रखी जानी चाहिए थीं। इसके बाद इस सत्र को प्रारम्भ हुए भी एक महीना हो गया है। एक महीने में इन बातों को रखा जाना चाहिए था।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : विलम्ब के लिए जांच की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : विलम्ब की क्या जांच करेंगे ? विलम्ब तो है ही।

श्री मथुरादास माथुर : विलम्ब क्यों हुआ है, विलम्ब किस इरादे से हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि सदन के सदस्यों से छिपाने या उनकी राय न जानने के उद्देश्य से यह विलम्ब नहीं हुआ है और अगर हुआ है विलम्ब तो उसकी जानकारी करेंगे, इस सदन को कॉन्फिडेन्स में लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जहां तक सदन की राय और इरादे का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह इरादा नहीं हो सकता कि विधान सभा के सदस्यों को इस मामले से दूर रखा जाय और यह मामला सदन की जानकारी में न लाया जाय। इस विधान सभा में इस प्रकार के प्रश्न उठाये गये हैं कि इस तरह के नोटीफिकेशन्स निकलते हैं, उसके इमीजियेटली बाद में सेशन आता है उसमें प्रस्तुत करने चाहिए। यह सरकारी अधिकारियों की ढिलाई है, जिसके कारण इन्हें प्रस्तुत नहीं कर सके। मैं एश्योरेन्स चाहता हूँ, जिस प्रकार अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार की रूलिंग दी है कि अधिसूचनायें समय पर रखी जानी चाहिए, उनकी अवहेलना हुई है, उसके सम्बन्ध में कोई एक्शन लेगें या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नीयत साफ है, कार्य क्षमता में थोड़ी कसर है उसके लिए मैं आप से निवेदन करूंगा–माननीय मन्त्री महोदयों से इस विषय के अन्दर–और भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। अधिसूचनायें जारी १० जुलाई को हो गई तो कोई कारण नहीं हो सकता जिसकी वजह से ये सदन में न लायें। यदि किसी वजह से जानकारी न हुई और इधर उधर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ठीक तरह से पेश नहीं किये जाने की जिन लोगों की ओर से यह बात हो गई तो वे आइन्दा पूरा ध्यान रखें कि इस तरह की बात न हो। सदन में कई बार इस तरह की बातें आई हैं और माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई हैं, उनमें तथ्य है। बगैर कारण से विलम्ब होना उचित नहीं है। इस वक्त यह कहा जा सकता है कि सतर्क रहें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : नीयत साफ के लिए आपने फर्माया उसे तो मानना पड़ेगा, लेकिन यहां पर पेश करने की अनुमति तब तक न दी जाय जब तक कि कारण साथ में संलग्न न करें माननीय मन्त्री महोदय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रूल्स को ले-डाउन करने का प्रोविज़न है, यह मंत्री महोदयों के लिए मेन्डेटरी है। इसको सरकारी अधिकारी मेन्डेटरी ट्रीट करें, डाइरेक्टिव प्रोविजन की तरह नहीं कि देरी हो गई तो कोई बात नहीं। आपने फर्माया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ढिलाई हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती कह कर मन्त्री महोदय अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो गलतियां होती हैं उनके लिए आप जब तक सदन के अन्दर क्षमा मांगने की प्रणाली शुरू नहीं करेंगे तब तक इसका अन्त नहीं होने वाला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो गलती हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है, उसकी मंत्री महोदय को जिम्मेदारी लेनी चाहिये और गलती के लिए क्षमा सदन के सामने मांगनी चाहिये। इतना मेरा निवेदन है।

श्री मानसिंह महार : वे हार गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे मंत्री महोदय हारे हैं या जीते हैं लेकिन........

श्री मथुरादास माथुर : After the observations of the Chair I think there is no issue.

श्री मानिकचन्द सुराणा : No. There is an issue for discussion. It is a complete issue for discussion.

मैं यह निवेदन करूंगा कि सब की जोइन्ट रेस्पोन्सीबिलिटी होती है। इसलिए यह कहना कि पहले दूसरे मन्त्री थे और हमें मालूम नहीं है, उचित नहीं है। अगर गृह मन्त्री यह कहें कि पहले दूसरे गृह मन्त्री थे इसलिये वे इस बारे में नहीं कह सकते तो मैं यह कहूंगा कि यह उनका कहना कहां तक उचित है। इसलिये आपके द्वारा रूलिंग दी जानी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : We have already had a ruling, Sir. We don't need any thing more.

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय आपने जो व्यवस्था दी है वह ठीक है और नियम लिबरल हो सकते हैं। मगर कोई भी पेपर माननीय मन्त्री के सामने आये तो यह हम विश्वास करते हैं कि वे नियम जानते हैं और नियमों के आधार पर ही बिल या कागज रखे जाने चाहिये। यह जानते हुए कि वे लोग नियम अच्छी तरह से जानते हैं और जवाब यह दिया जाता है कि देरी की जानकारी नहीं की। वे नियम जानते हैं और नियमों का जानना वे मानते हैं। वह मानते हुए भी देरी के कारण जानने की चेष्टा नहीं करते और यह उत्तर दिया जाता है........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, जब आपने परम्पराओं और दूसरे सभी प्रश्नों को शामिल करके व्यवस्था दे दी है तो फिर इस प्रकार की बहस इस पर नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !! इस पर कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह की परिस्थिति सदन में आई उस पर बहस हो चुकी है। मैंने आपको बता दिया है सरकार आइन्दा ध्यान रखेगी। देरी

(श्री अध्यक्ष)

हुई है, यह तो हुई है। इसके कारणों में क्या जांच करा सकते हैं?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आपकी तरफ से........

श्री अध्यक्ष; Order please! माननीय सदस्य बैठ जावें। इस पर बहुत बहस हो चुकी है। जितना कहना था कहा जा चुका है। ज्यादा कहने से उस चीज की अहमियत कम हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह मेन्डेटरी प्रोविजन है कि जो भी नोटीफिकेशन निकलते हैं उनको तुरन्त बाद के सेशन में हाउस में रखा जाए। उनको अगर हाउस की टेबल पर नहीं रखा जाता है तो वे इनइफेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि प्रोविजन के अनुसार जो भी नोटीफिकेशन हो उसको बाद में सेशन आए उसमें लाजमी तौर से रखा जाना चाहिये। अगर नहीं रखते हैं तो वह अपने आप इनइफेक्टिव हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: यह तो इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। यह बहुत क्लियर है। अगर ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं तो सरकार इसका खतरा भुगतेगी। They will be responsible for it.

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, सदन ने जो अपने कानून इस सम्बन्ध में बना रखे हैं उनकी जानकारी नहीं रखते हैं, इसके लिये सदन पर भी तो लांछन आता है।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा कि ये कानून इनइफेक्टिव हैं या नहीं, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार खतरा उठाएगी।

श्री मुरलीधर व्यास: अध्यक्ष महोदय, सदन की प्रतिष्ठा को रखने के लिले माननीय मन्त्री महोदय को माफी मांगनी चाहिये.......

श्री अध्यक्ष: Order please!

श्री हरिश्चन्द्र: होम (बी) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ..........

श्री भैरोंसिंह: On a point of order, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं आपको एक्ट लाकर बता सकता हूं कि ये इनइफेक्टिव हैं और इनइफेक्टिव नोटीफिकेशन्स को सदन में लाकर रखना........

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर कानून को लाकर रखने से कानूनी स्थिति बदली नहीं जा सकती है। नियम के अनुसार ये रखे गये हैं। इनके यहां रखने से क्या कॉन्सिक्वेन्सेज होंगे, उसमें हमें जाने और बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इनके लीगल कॉन्सिक्वेन्सेज होंगे उनकी जिम्मेदार सरकार होगी। सदन में इस पर अभी कोई बहस नहीं की जा सकती।

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मन्त्री): (ग) अधिसूचना संख्या एफ. १ (४) (३) एच.बी. जी. आर. ११६० दिनांक १० जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम ११५ में संशोधन किया गया है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(घ) अधिसूचना संख्या एफ. २(६) एच. वी.जी.आर. १।६० दिनांक १० जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम २०३ में संशोधन किये गये हैं।

(ङ) अधिसूचना संख्या एफ. १ (४)(३) एच.वी.जी०आर० १।६० दिनांक १० जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम १४० में संशोधन किया गया है।

(च) अधिसूचना संख्या एफ. १ (४)(३) एच. वी. जी. आर. १।६० दिनांक १० जुलाई, १९६१ ।

(छ) अधिसूचना संख्या एफ.१ (३)(८) एच.वी.जी.आर. १।६१ दिनांक २१ सितम्बर, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम ७७ में संशोधन किया गया है।

मांग संख्या १२–पुलिस

(पूर्व क्रम से)

श्री दुर्गालाल बाड़दार : अध्यक्ष महोदय, पुलिस पर जो मांग चल रही है। As far as the Chapter XVIII of the Rules of Procedure is concerned, the powers conferred on the Speaker are covered under Rule 152, which runs as follows:—

"The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion."

श्री अध्यक्ष : १५२ तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बारे में है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : Now the only provision that is available to me is Rule 282–"Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or any other motion becomes unduly protracted, the Speaker may, after taking the sense of the House, fix a time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill or the motion, as the case may be."

Now my respectful submission is that when the cause list has been fixed and particular items have been set apart for discussion in that cause list, they ought to be discussed. The right of the Memders of the House to speak in respect of a particular motion or Bill and to put up certain suggestions before the House is a right guaranteed to every citizen and specially to every Member who is elected. Now if that right is curtailed in the name of limitation of time, then I may submit that the time may be extended. It is only an administrative ground and that right should not be curtailed on that administrative ground. That is my submission to the Chair.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने दो बातें उठाई हैं। पहली तो यह कि सदन का समय इस मांग के लिए करटेल किया जा रहा है वह नहीं किया जाना चाहिये, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स को लेकर। दूसरी बात यह कि सदन का समय बढ़ाया जावे।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने समय को करटेल करने के बारे में कहा, कोई समय एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर करटेल नहीं किया जाता है। सदन ने स्वयं ने बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया कि एक मांग एक दिन और दूसरे दिन दूसरी मांग ले ली जावेगी। उस निर्णय के अनुसार ही बहस हो रही है और विचार किया जा रहा है। इसलिये यह कहना कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स से अनुचित तौर से समय को कम किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। यह तो सदन का स्वयं का निर्णय है। उसके अनुसार हम बहस कर रहे हैं। एक डिमान्ड लेने का मतलब यह नहीं कि वह दस दस दिन तक चलती रहे।

दूसरा प्रश्न यह है कि समय बढ़ाना चाहिये। इसके लिए पहले भी मांग आई तो समय बढ़ाया गया और अभी भी बढ़ाया जा सकता है।

पहले प्रश्न में कोई तथ्य नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Let it be a request for extending time.

श्री अध्यक्ष : Then you may move a motion for that.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष, मैं यह समझता हूँ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला किया वह जनरल ही था कि एक डिमान्ड को एक दिन में लिया जाय। पर पुलिस बहुत महत्वपूर्ण डिमांन्ड है। इस पर जिस प्रकार समय बोलने के लिये दिया गया उससे यह हो गया कि आधे से कम माननीय सदस्य बोल सके हैं, आधे से कम सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। साथ ही मैं निवेदन करूं कि परसों मॉर्निंग टाइम करने का यही मुख्य कारण था। मैंने इसीलिये समर्थन किया था कि जब तक डिमान्ड्स चलें तब तक दो सेशन कर लें, एक मॉर्निंग और एक इविनिंग। काफी सदस्यों को बोलने में दिलचस्पी है, काफी सदस्य सदन की कार्यवाही में दिलचस्पी लेते हैं, उसकी वजह से कुछ समय तो हमें देना ही पड़ेगा। इसलिये प्रार्थना है कि आज सुबह तो पुलिस की डिमांड ले ली जाय और फिर शाम को ५ से ६ बजे तक सेशन और बुला लिया जाय। हमको कई मौकों पर कह देते हैं कि सटरडे को बैठना चाहिये इसलिए हम ट्रेजरी बैंचेज से प्रार्थना करते हैं कि सदन के माननीय सदस्य अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सकें, इसलिये तीन दिन तक डबल सेशन, डबल शिफ्ट चल जाय ताकि सारी डिमान्ड्स पर बोलने को हमारी इच्छा भी पूरी हो जायगी और ट्रेजरी बैंचेज को महत्वपूर्ण बातों से अवगत करा सकेंगे। आज का मॉर्निंग सेशन पुलिस के लिये छोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : शाम को सदन की बैठक हो, इस बारे में तो इस तरह निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे कई माननीय सदस्यों को असुविधा होगी। इसके बारे में माननीय सदस्य चाहें तो....

श्री मानसिंह महार : असुविधा का प्रश्न इसलिए नहीं उठेगा कि लीडर ऑफ दी हाउस को मैं यह विश्वास दिला दूं कि हम डिविज़न क्लेम नहीं करेंगे, इविनिंग सेशन में। वे छुट्टी दे दें अपने मित्रों को घर जाने की। यह जिम्मेदारी भी हम अपने ऊपर ले लेंगे कि कोरम रखें। यह भी ट्रेजरी बेंचेज का काम है, इसे भी हम अपने जिम्मे ले लेंगे सदन में हमारे साथियों को लेकर। हां, सिर्फ दो तीन मन्त्रियों को असुविधा हो सकती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमको छुट्टी दे दी जाय। हम अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं। आप अपनी व्यथा को ही रखें तो ठीक है।

श्री मानसिंह महार : अच्छी बात है। माननीय सदस्य की असुविधा का सवाल नहीं आता तो ५ से ८ बजे तक फिर अखाड़ा जुड़ जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करूंगा कि पुलिस की डिमान्ड पर बोलने के लिये पूरा समय दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि शब्दों का हेर-फेर किया करें तो अच्छा हो। सदन की कार्यवाही को अखाड़ा कहा है। बार बार अध्यक्ष महोदय ने उन्हें जताया है, फिर भी उन्होंने सदन की कार्यवाही को अखाड़ा कहा है। यह अखाड़ा नहीं है। ऐसा कहना परम्पराओं के विपरीत है।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात आती है। माननीय सदस्य अपने पुराने पांच साल के कार्यकाल को समझ कर बातें करते हैं। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूँ और वे बीच में बोल उठते हैं। मैं नहीं समझता कि मेरे से उनको इतना प्रेम क्यों है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सदन की कार्यवाही को अखाड़ा कहा जाय, यह क्या उचित है, इसलिए मैंने कहा।

श्री मानसिंह महार : हमें और कुछ नहीं कहना। हमें तो सदन की बैठक बुलानी है। मैं माननीय सदस्य से भी प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे सुझाव का समर्थन करें।

श्री अध्यक्ष : तो 'अखाड़ा' शब्द हटा कर 'बैठक' शब्द रखा जाय। इस मांग पर....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : शाम की सिटिंग के लिये सुझाव रखा गया, इसके सम्बन्ध में कुछ दिनों पहले चर्चा हो जाती तो अच्छी बात थी। आज कल शाम को बहुत सारे कार्यक्रम निश्चित कर लिये जाते हैं उनको सडनली रिजेक्ट कर देना मुश्किल होता है। ज्यादा बहस करने की बात आती है तो जो जो मांगें सामने हैं उनमें कम समय देकर हो सकता है या फिर जो मांगें रह जायें तो एप्रोप्रियेशन बिल आये उस समय उनके सम्बन्ध में सुझाव दिये जा सकते हैं। आज, कल और परसों तीन दिन ही तो बैठ सकते हैं। पर जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कार्यक्रम निश्चित है उसको सडनली रिजेक्ट कर देना मुश्किल होता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कार्यक्रम में तो रद्दोबदल की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चार पांच रोज का गेप है ।

श्री भैरोंसिंह : कार्यक्रम में तब्दीली तो की है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : आपके अपोजीशन को अकोमडेट करने के लिये किया है । उनका ज्यादा प्रेशर था ।

श्री अध्यक्ष : इस मांग पर साढ़े दस बजे तक बहस की जा सकती है । इसके बाद में मंत्री महोदय उत्तर देंगे । इसके बाद दूसरी मांग प्रस्तुत की जायगी । अभी उस पर बहस चलेगी । कल फिर चलेगी । कल १२ बजे मन्त्री महोदय का उत्तर होगा । इस व्यवस्था पर कार्यक्रम चल सकता है ।

(विराम)

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत हुए :

श्री जोधसिंह (गिरवा) : (५१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (अपराधों की बढ़ती हुई संख्या पर विचार करने हेतु ।)

(५२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की असफलता पर विचार करने हेतु ।)

(५३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा सुविधाओं पर विचार करने हेतु ।)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (५४)Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Ploice Department in the early disposal of the cases reported in the various Police Stations.)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (५५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस का रवैया परम्परा से निष्पक्ष रक्षा करने में असफल रहा है, पर विवाद करने हेतु ।)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : (५६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) की कटौती की जाय (पुलिस विभाग के प्रति आम जनता का असंतोष व उसके कारणों पर बहस करने हेतु ।)

(५७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस थानों में कर्मचारियों की Strength बढ़ाने पर बहस करने हेतु ।)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : (५८)मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (जन सुरक्षा के कार्य में पुलिस विभाग की निष्क्रियता पर तथा पुलिस स्टेशनों की व्यवहार कुशलता बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु ।)

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : (५९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (जन–सुरक्षा के

(श्री फूलचन्द जैन)

कार्य में पुलिस विभाग की निष्क्रियता पर तथा पुलिस स्टेशनों की व्यवहार कुशलता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु ।)

श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : (६०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग का कार्य सुचारू रूप से कैसे हो, उस पर विचार करने निमित्त ।)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (६२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस के खर्च में बी-४ (१) में नरेशों के प्रासादों पर नियुक्त रक्षकों के खर्च बन्द किये जाने पर बहस करने हेतु ।)

(६३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस में नवीन व्यय के खर्च में राशि कम की जाने पर बहस करने हेतु ।)

(६४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (बी-१ के अधिकारी अपने दायित्व को पूरी तौर पर नहीं निभा पा रहे हैं, इस पर बहस करने हेतु ।)

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : (७१) Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by Re.1/- (to discuss the failure of the Police Department to checkmate the growing number of the cases of murder, theft and decoity, gambling and smuggling in the Ganganagar District.)

(७२) Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government in remobing in-efficiency and corruption, rampant in the Police Department in Ganganagar District.)

श्री दुर्गालाल वाढ़दार((हवामहल, जयपुर) : (७६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १)रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के लिये ।)

(८०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (मुकदमात की तफतीश में अधिकारियों द्वारा की जाने वाली बेजाप्तगियों पर बहस करने के लिये ।)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : (८१) Demand No. 12, Major Head 23-Police be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of Government to increase salaries of non-Gazetted staff.)

(८२) Demand No. 12, Major Head 23-Police be reduced by Re. 1/- (to discuss Mal-administration in the Department.)

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक) : (८४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग की आम व्यवस्था पर बहस करने हेतु ।)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (८५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(पुलिस द्वारा बीकानेर के पत्रकारों के साथ किये गये दुर्व्यवहार पर बहस करने हेतु ।)

(८६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा किये गये जुल्म-ज्यादतियों-पूर्ण व्यवहार में मूल परिवर्तन करने की आव–श्यकता पर बहस करने हेतु ।)

(८७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (डाकू जगमालसिंह को गिरफ्तार करने में असमर्थता पर बहस करने हेतु ।)]

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह ।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय, ऐसे मेरे ३ कटौती प्रस्ताव हैं, अपराधों की बढ़ती हुई संख्या पर विचार करने, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की असफलता पर विचार करने और पुलिस कर्मचारियों की वेतन तथा सेवा सुविधा पर विचार करने हेतु । इन सभी पर मैं अपने विचार निवेदन करूंगा ।

जब हमारे यहां भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था और उस समय पुलिस की जो ज्यादतियां थीं, उससे जनता पीड़ित थी । जनता समझती थी कि कब अंग्रेजों का राज्य यहां से जायगा और कब पुलिस की ज्यादतियां बन्द होंगी । गांधीजी कहते थे कि हमारे यहां पर राम–राज्य आयेगा । पुराने जमाने में लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, वैसे ही अब फिर हमारे यहां लोगों को घरों में ताले नहीं लगाने पड़ेंगे । अंग्रेजों का राज्य चला गया पर अफसोस की बात है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमारे नये राजा हुए, जिनके हाथ में हमारे यहां के शासन की बागडोर आई, उन लोगों ने अंग्रेजों की नकल की और उसी ढंग से पुलिस के कायदे रखे, पुलिस का वही रवैया रहा । आज देखने को मिलता है कि पुलिस तरह तरह के जुल्म जनता पर करती है और जनता आज पुलिस से पीड़ित है ।

गत चुनावों में उदयपुर नगर के अन्दर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने किस तरह पुलिस का आतंक जमाये रखा; उदयपुर में चुनाव हो रहे थे, उदयपुर के पास जेठियों का अखाड़ा नामक स्थान है वहां हमारे जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं को पीटा, कांग्रेस के कुछ व्यक्तियों ने पीटा । एक लड़के के ३ टांके आये ।........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : कहां पर ?

श्री जोधसिंह : जेठियों का अखाड़ा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : आपस में ही पिट गये ।

श्री जोधसिंह : हो सकता है आपकी दृष्टि में । तीन–तीन टांके उस लड़के के आये । मैं बारह, एक बजे रात को एस. पी. के यहां पर गया, क्लेक्टर को फोन किया, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी । यही, नहीं जब उस लड़के को लेकर मैं खुद बारह एक, बजे गया जहां एस. पी. रहते थे तो एस. पी. ने संतरी द्वारा कहला दिया कि एस. पी. यहां पर नहीं हैं ।

(श्री जोधसिंह)

मैं जानता हूँ कि यह बात सत्य है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : यह कब का किस्सा है ?

श्री जोधसिंह : उदयपुर में चुनाव हो रहे थे । वोट डालने से तीन दिन पहले की बात है । ३१ तारीख को वोट डालने वाले थे । इससे तीन, चार दिन पहले की बात है । उस लड़के को पीटा गया बुरी तरह से । उसके तीन टांके आये । मैं उस लड़के को एस. पी. के पास खुद लेकर गया और जनता भी काफी गई थी । जनता ने कहा था कि इसका निर्णय होना चाहिये । एस. पी. ने अन्दर से ही कहला दिया कि कह दो एस. पी. नहीं है । हमने सन्तरी से पूछा तो उसने कहा ऐसी आज्ञा है कि कह दो एस. पी. अन्दर नहीं है । हमने कलेक्टर को फोन किया, मजिस्ट्रेट को टेली-फोन किया । हमारी बात किसी ने सुनी नहीं इसका यह फल हुआ कि जनसंघ वहां से हार गया और कांग्रेस वहां से जीती ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अदालत खुली थी ।

श्री जोधसिंह : आप कहना क्या चाहते हैं ? मैंने सुना नहीं ? आप फिर से कहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि पीट दिया तो कम्प्लेन्ट का मसला था । आपको अदालत के सामने मुकदमा दायर करना चाहिये था । अदालत तो खुली थी ।

श्री जोधसिंह : पुलिस के इस प्रकार के अत्याचारों से और केवल उसके रोब से ही कांग्रेस चुनाव जीत सकी है । उदयपुर की १३ सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को ५ मिली हैं और अपोजिशन को ८ मिली हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिर भी आतंक वहां छा गया ।

श्री जोधसिंह : उदयपुर नगर में तो आतंक छाया हुआ था । उसका बदला जनता ने बाहर लिया । उसका रिजल्ट यह है कि अपोजिशन ने ८ सीटें जीती और कांग्रेस ने ५ ।

यही नहीं, मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में एक धाबाई नाम के आदमी थे । कुछ आदमियों को लेकर वे शिकार पर गये और किसी प्रकार उनकी मृत्यु हो गई । जनता ने कहा कि आखिर वे कहां गये । उनकी लाश अस्पताल में मृतक कोठरी में पायी गई । उसकी कोई जांच नहीं हुई है अब तक । किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई ? उसका रेकॉर्ड न जनता को और न ही उनके घरवालों को अब तक बताया गया है । यही नहीं, मैं और भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के आतंक से लोग किस प्रकार परेशान हैं । निम्बाहेड़ा में एक व्यक्ति को मार दिया गया । मैं निवेदन करूंगा कि नये होम मिनिस्टर साहब आये हैं और साथ साथ डाके भी बढ़ते गये हैं । कुछ दिनों पहले मैंने सदन में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था । वह प्रस्ताव इस सम्बन्ध में रखा था कि सरदारशहर में डाका पड़ा और दो आदमी मारे गये हैं । ले-

(श्री जोधसिंह)

किन मेरे स्थगन प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया और उसको xxx उनको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में किस प्रकार से आज पुलिस का आतंक है। पुलिस का यह आतंक बन्द होना चाहिये। भगवान् जाने वह दिन कब आयेगा जब हमारे यहां की पुलिस बढ़िया होगी। लिख तो देती है 'हमारे लायक सेवा'। कोई अन्दर जाय तो सिवाय जूतों की पिटाई के और कुछ नहीं होता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव को xxx गया, यह शब्द xxx प्रोसीडिंग्स में से निकाल देना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : That was in view of the ruling from the Chair. Adjournment motion was not allowed उसको xxx कहना संसदीय परम्परा के उपयुक्त नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : रिजेक्ट करने को ही xxx कहते हैं!

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठायी है वह सही है। माननीय सदस्य ने यह बात कही है। शायद उनको रूल्स की जानकारी नहीं कि स्थगन प्रस्ताव सरकार स्वीकार करती है या नहीं। स्थगन प्रस्ताव जो भी सदन के सामने आते हैं उन पर सरकार का कोई आखिरी निर्णय नहीं होता है। उनके जो निर्णय होते हैं वे सारी परिस्थितियों को देखते हुए होते हैं और अध्यक्षीय व्यवस्था से ही ऐसा किया जाता है, यह आप आगे ध्यान रखें।

श्री जोधसिंह : मैं यह कहूंगा कि उदयपुर नगर में इस कद्र आतंक छाया हुआ था। अभी अभी रोशनलालजी कार्यकर्ता को जो भोपालपुरा के रहने वाले हैं, उनको कुछ गुन्डों ने पीटा। यहां आकर उसकी कार्यवाही की है लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हुई।

यही आपको मालूम नहीं है कि कोटा नगर में गत वर्ष में ८ कत्ल हुए और एक मुल्जिम भी नहीं पकड़ा गया। यह संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। आप चाहें तो विशेष और बाद में कह सकता हूं।

एक उदाहरण इसी प्रकार का पेश करना चाहता हूं जिससे पुलिस भी सबक ले और गृह मन्त्रीजी भी एक्शन लेने का प्रयत्न करें, जिससे जनता को राहत मिले। आपको मालूम होना चाहिये कि इंग्लैंड में किस प्रकार की पुलिस है। एक मेरे मित्र हैं वहां पर। उन्होंने एक साइकिल खरीदी। किसी कारणवश अचानक वे उसका नम्बर न ले सके। दूसरे दिन पुलिस ने साइकिल पकड़ ली। उन्होंने सोचा कि मेरा क्या होगा। किस प्रकार मेरा पुलिस चालान करेगी। उनका नाम पूछ लिया गया, घर का पता पूछ लिया गया। दूसरे दिन सवेरे पुलिस का जवान आता है और किंवाड़ खटखटाता है। वह देखता है किस तरह से यह चालान होगा। किंवाड़ खोलता है तो पुलिसवाला उसको सेल्यूट लगाता है और कहता है कि आपने जुर्म किया है उसकी यह सजा है। इतना जुर्माना लाइये और ये नम्बर लीजिये। भारतवर्ष में वह दिन कब आयगा, जब कि पुलिस वाले जनता की सच्ची सेवा कर सकेंगे,

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री जोधसिंह)

पुलिस का देश में से आतंक हट सकेगा और हर नागरिक सोच सकेगा कि पुलिस हमारी सेवा के लिए है ।

साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनका वेतन बहुत कम है । उससे उनका काम नहीं चल सकता । मैं यह निवेदन करूं कि बोर्डर पर पुलिस मिलिट्री का काम देती है । वे लोग अपने घर-बार छोड़ कर वहां पर रहते हैं । अपने जीवन को हथेली पर रख कर फिरते हैं फिर भी उन गरीबों को थोड़ा वेतन दिया जाता है । मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस के कॉन्स्टेबल्स का वेतन बढ़ाना चाहिये, जिससे वे अपने जीवन का ठीक प्रकार से निर्वाह कर सकें । यही नहीं, यह निवेदन भी है कि हर थाने पर हमारे यहां एक मोटर जरूर होनी चाहिये । आज होता यह है कि थानेदार दूसरों की मोटरों पर कब्जा करके किसी केस में जाता है । इससे अच्छा यह हो कि हर थाने में एक मोटर हो, ताकि कोई कार्य हो तो वह आसानी से कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, कहीं कत्ल का मामला हो तो भी आसानी से पहुँच सके ।

हमारी पुलिस का जो आतंक छाया हुआ है उससे जनता को राहत मिलनी चाहिये और जनता की विशेष सुविधा के लिए पुलिस के छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ना चाहिये, थानों पर मोटर रहनी चाहिये और पुलिस को सही मायने में जनता की सच्ची सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिये । इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग के सिलसिले में जो बहस चल रही है उसके अन्दर दो बातें सम्मानीय सदस्यों ने कही हैं–एक तो नये गृह मन्त्रीजी साहब के बारे में बहुत सी उम्मीदें जाहिर की हैं और सन्तोष प्रकट किया है । यह उम्मीद की जाती है कि उनके द्वारा बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं । दूसरे, बहुत सी वीभत्स घटनायें पुलिस के सिलसिले में यहां पर कही जा रही हैं । एक वातावरण इस तरह का बन गया है जिससे मालूम हो पुलिस का सौ फी सदी उपयोग नहीं हो रहा है । और पुलिस विभाग के सम्बन्ध में इस तरह का जो वातावरण बन गया है उससे आज हमारी पुलिस सर्विसेज को डिमोरेलाइज़ किया जाता है, बनिस्पत उसको सुधारने के, उसको ठीक करने के ।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में जो यहां वातावरण बनाया गया है वह सब के लिये गलत है । हमें इस तरह के मामलों को रखना चाहिये जिससे पुलिस सही मायने में जनता की सेवा के लिए उत्साहित हो सके । इतने बड़े राजस्थान में जहां दो करोड़ के करीब आबादी है, समाज के अन्दर क्राइम करनेवाले तत्व हैं वहां पुलिस को अपना कर्त्तव्य करना पड़ता है । उस कर्त्तव्य को करते हुए यदा-कदा ऐसी घटनायें होती रहती हैं । मैं यह नहीं मानता कि सम्मानीय सदस्यों ने जितनी घटनाओं का जिक्र किया है वे गलत

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हैं । इतना होते हुए भी हमें इन घटनाओं को रोकना है, इन घटनाओं का मुकाबला करना है । इससे भी वीभत्स घटनायें बताई जा सकती हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से उनको कहने के बजाय, जब गृह मन्त्री महोदय के प्रति उनको विश्वास है, उनके नोटिस में लाने की कोशिश करनी चाहिये । जब तक निराश न हों, सच्चाई पर पहुंचने में मदद न हो, इस तरह से किसी बात को कहना हमारी सर्विसेज को डिमोरेलाइज करना है और कमजोर करना है । इस सम्बन्ध में जो बहस हुई उसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है । जिन माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है उनमें से अधिकांश ने पुलिस को एक तरह से क्रिटीसाइज किया है और उसी तरीके से किया है जिस तरीके से पहले से करते आ रहे हैं । पुलिस ने जो कुछ भी अच्छे काम किये उसके बारे में किसी ने उसकी तारीफ नहीं की है । मैं इस बात को नहीं मानता कि इसमें सभी लोग बुरे ही बुरे हैं । सभी जगह सभी तरह के लोग हुआ करते हैं । किसी भी माननीय सदस्य ने उनके कार्यों की तारीफ नहीं की है, यह तरीका ठीक नहीं है ।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : अब आप कर दीजिये....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपको चुनावों में मदद दी है, आप तो तारीफ करेंगे ही ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : धीरज रखिये, मैं अभी आपकी ही की बात पर आता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है, समाज के लिये यह आवश्यक है कि जिन पुलिसवालों ने अच्छे कार्य किए हैं उनको शाबाशी देने-वाला भी होना चाहिये । जो लोग ईमानदारी से रहते हैं उनको एप्रीसियेशन मिलना चाहिये । समाज में जो बदमाश हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिये और उसके साथ साथ उनको यह भी मालूम होना चाहिये कि किस तरह से जनता की सेवा करनी है, उनकी किस तरह से मदद करनी है । इस तरह से उनको अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए बढ़ावा देने की भी बात है । इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस के सामने दो तरह के तरीके हैं । इस तरह का कोई इन्जेक्शन ईजाद नहीं हुआ जिसके लगाते ही समाज के सब लोग क्राइम करना छोड़ दें या रिश्वत लेना छोड़ दें । ऐसा इन्जेक्शन बन जाय तो लगा दिया जाय । आखिर समाज में इस प्रकार के क्राइम करनेवाले किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, आखिर किसी न किसी के रिश्तेदार निकलते हैं । जिस तरह का समाज का वाता-वरण होता है, उसका असर समाज पर पड़ता है और पुलिस पर भी पड़ता है । हमारा कर्त्तव्य है कि उस स्थिति को सही रूप में हम समाज के सामने रखें ताकि पुलिस को एक तरह से सहयोग मिल सके । दूसरी ओर जहां पर जो गड़बड़ी करते हैं या गलत बात करते हैं वहां के जो रिप्रेजेन्टेटिव हैं वे गृह मन्त्री महोदय के ध्यान में लाकर उनको ठीक कराने की कोशिश करें ।

इसके साथ साथ मैं एक बात पुलिस के कर्त्तव्य के बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी ड्यूटीज को देखते हुए उनकी इस सम्बन्ध में रक्षा करनी चाहिये । चुनावों का जिक्र करते हुए पुलिस के बारे में काफी कहा गया । पुलिस के ऊपर आरोप लगाया गया कि वे कांग्रेस-वालों की मदद करते हैं । विरोधी दल की यह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दृष्टि रहती है कि सर्विसेज को किसी भी प्रकार से क्रिटीसाइज किया जाय। मेरा यह दावा है कि आज पुलिस वाले कांग्रेस वालों की खिलाफत करते हैं और दूसरी पार्टी के लोगों को मदद देते हैं। यह इसलिये कि एक ह्यूमन साइकॉलोजी होती है। मैं इसमें किसी का कसूर नहीं मानता। वे देखते हैं कि दूसरी पार्टी वाले कांग्रेस की आलोचना करेंगे, इसलिये इनकी मदद करो। इस तरह से उनको डिमोरेलाइज करने में दूसरे लोगों का काफी हाथ रहता है....

श्री जोधसिंह (गिरवा) : आप तो डिमोरेलाइज नहीं हुए ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी हिस्ट्री आपको मालूम नहीं, उस स्थिति में आप भी डिमोरेलाइज हो जाते। इस सिलसिले में सरकार और पुलिस को बहुत होशियार रहना चाहिये। पुलिस को इस बात के लिये आगाह किया जाना चाहिये कि न्याय के ऊपर वे जम कर रहें। कोई भी हुकूमत उनको परेशान नहीं कर सकती। बगैर राजनीति का खयाल किये हुए, बगैर एम. पी. या एम. एल. ए. का खयाल किए हुए उन्हें न्याय करना है और जो चीज हो वही करनी है। यही समझ कर उन्हें अपना कर्त्तव्य करना चाहिये।

हमारे बारे में यह भी कहा गया कि पुलिसवाले इनकी मदद करते हैं। लेकिन आज तो हम देखते हैं कांग्रेसवालों की तो क्या मदद करेंगे महार और महाराजाओं की वे पैरवी करते हैं। वह इसलिये कि वे जाने क्या कह देंगे या कर देंगे। मिनिस्टरों के पास शिकायत कर देंगे तो वे उनके कहने पर इन्क्वायरी शुरू कर देंगे, उनके पीछे पुछल्ला छोड़ देंगे। इस तरह की स्थितियों में से पुलिस को निकालना है, यह स्पष्ट बात है।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। वह यह कि आज पुलिस विभाग के अन्दर जितने ऑफिसर्स या अधिकारी हैं उनको न्याय दिलाने का प्रयत्न किया जाय तब जाकर जनता को अधिक से अधिक न्याय मिल सकेगा। पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार है, मैंने देखा है ढाई-ढाई और तीन-तीन साल तक लोग ससपेन्डेड पड़े हुए हैं। उनके मामलों का तसफिया नहीं होता। यह ठीक है कि पुलिस के लोग हैं, वे डिसीप्लिन में रहें लेकिन डिसीप्लिन कायम करने का यह तरीका नहीं कि एक आदमी की जिस पर नाराजगी हो उसको सस्पेन्ड कर दे और वह दो-तीन साल तक सस्पेन्शन में चलता रहे। सस्पेन्शन का ज्यादा से ज्यादा समय तीन महीने का होना चाहिये। इससे ज्यादा समय के जो सस्पेन्ड लोग हैं उनको ड्यूटी पर ले लेना चाहिये और उनके खिलाफ जो भी इन्क्वायरी है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देनी चाहिये। मैं हाई कोर्ट के फैसले की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं जिसमें लिखा है कि तीन महीने या छः महीने से ज्यादा सस्पेन्शन पीरियड नहीं चलना चाहिये। उसके बाद जो समय होता है वह पनिशमेन्ट में शामिल हो जाता है। इससे भी पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में डिससेटिसफेक्शन होता जा रहा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह डिपार्टमेंट पहले अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ जो भी स्थिति गुजर रही है उस स्थिति को समझने की कोशिश करे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ताकि उनकी खुद की हालत ठीक हो जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले घर संभालिये, इसको पहले ठीक कीजिये। यहां की पुलिस का हाल मैंने राजस्थान में अपने राजनैतिक जीवन में भी देखा है, उस समय के ढंग को भी देखा है और आज दूसरे ढंग से भी देख रहा हूँ। पुलिस ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है और अपने आपको, समाज को आगे बढ़ाने में कोशिश की है। क्राइम में काफी कमी हुई है। इसके यह मायने नहीं कि माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं वे ठीक नहीं हैं। इसके लिये भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसी हालत में जहां तक पुलिस का सवाल है, वह जनता की सेवा के लिये है तो जनता का भी कर्तव्य है कि वह क्राइम करनेवालों को पकड़ने में मदद करे। मैंने पुलिस वालों से पूछा है कि तुम्हारे पास जो कस्टडी में आदमी आता है उसको मारते क्यों हो? वे कहने लगे कि आप कहें तो उनको चाय पिलावें और पूछें कि आपने चोरी की है या नहीं। जब वे नहीं बतलाते हैं तो हमें उनको खुलवाने के लिये कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। ये बातें चाय पिला कर नहीं निकलती हैं। पीटते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं उनसे कबूल करवाने का। जनता यदि मदद करती है तो कई मामले जल्दी से सामने आ सकते हैं। पुलिस का कहना है कि यदि वे चोरों को नहीं पकड़ते केवल इन्क्वायरीं करके बैठ जाते हैं तो उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता है और वैसे ही बदनाम होते हैं। आज इस तरह से पुलिस दो पत्थरों के बीच फंसी हुई है। इसलिये हमारा सब का कर्तव्य है कि सही तौर से हम पुलिस की मदद करें। इसका मतलब यह नहीं कि जो भी इन्स्टान्सेज़ माननीय सदस्यों ने बतलाये हैं उनमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जो उनका कहने का तरीका है, मैं उसको गलत मानता हूँ। इस तरह की चर्चा करना सर्विसेज के मोरेल को गिराना है।

इसी तरह से मैं कहूंगा कि पुलिस विभाग के भीतर भी जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वह भी ठीक नहीं है। उनको भी न्याय मिले, ताकि आने वाले समय में पुलिस वाले अपने आपको जनता के सेवक मानें। इस तरह का कार्य करना हम सब राजनैतिक दलों का कर्तव्य है।

मैं फिर एक मर्तबा यह कहना चाहता हूं कि इस बात का भी रेकॉर्ड रखा जाय कि किस एस. एच. ओ. ने कितना काम किया। जब तरक्कियां देनी हों तब उस काम का ध्यान रखा जाय। आज हम देखते हैं कि तरक्कियां देते वक्त उस काम को वकत नहीं दी जाती। सरकार के जो आदमी हैं उनका जनरल रेपूटेशन कैसा है, इसकी सीक्रेट डायरी रखनी चाहिए। वह जनता में कैसे जाता है या क्या करता है, उसके बारे में जनता की आम धारणा कैसी है, इस सम्बन्ध में कॉन्फिडेन्शियल सर्विस में नोट करना चाहिये। एक अफसर के बारे में आपकी धारणा होनी चाहिये। वह धारणा सीधे आई. जी. अथवा किसी डी. आई. जी. की राय पर आधारित नहीं होनी चाहिये, बल्कि मिनिस्टर की होनी चाहिये और मिनिस्टर के अपने आदमियों की राय पर आधारित होनी चाहिये। मिनिस्टर के पास अपनी ऐसी मशीनरी जनता के आदमियों की मार्फत होनी चाहिए। उसके पास इस बात

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

की पूरी जानकारी होनी चाहिये कि फलां जगह का एस. एच. ओ. घूंस खाता है या नहीं। इसकी जानकारी सीधी मिनिस्टर को होनी चाहिये और उस एस. एच. ओ. या किसी भी अधिकारी की सीनियोरिटी और जूनियरिटी या तरक्की के वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

इसके अलावा कई बातें जनता में सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि डी. आई. जी. और आई. जी. तक के पास घूंस के पैसे का हिस्सा जाता है। इसका प्रचार सही हो रहा है या गलत, पर आज इस बात ने सारे समाज के वातावरण को गन्दा कर रखा है। आप इसकी खुद जांच करायें और अगर हिस्सा वहां तक जाता है तो साफ ऐसा कहें, अगर आपका दिल बोलता है तो। नहीं तो इस वातावरण की सफाई देनी चाहिये। क्यों अनाचार के अड्डे चलते हैं, क्यों जुए के अड्डे चलते हैं क्यों चोरियों या दूसरी चीजों को बराबर मौका मिलता है? किनकी कनाइवेन्स से ये सब चलते हैं आप स्पष्ट जानकारी के साथ यह बताइये? अगर इसमें कोई अफसर शामिल नहीं है तो इसकी खबर आप दें और समाज को इस गन्दे वातावरण से बचावें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि केसों की सही पैरवी हो, सही सजा मिले। इसके साथ जो रेकॉर्ड है वह सही रखा जावे और जो जैसी चाकरी करे उसे वैसा फल देने की पुलिस के अधिकारी और मिनिस्टर कोशिश करें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १२ में मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पुलिस आज एक हौवा बनी हुई है, साधारण जनता के लिये। पुलिस का रवैया जनता के प्रति खराब है और वह इस तरह से आतंक फैलाती है कि सारा वातावरण काला बना हुआ है। यह बहुत हद तक ठीक भी है। पर सरकार का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। वह सीधे-फेयर ढंग से कार्यवाही नहीं करती। सरकार के सामने कई बार ये मामले आये, पर हमेशा उसने ना कहा। इस ढंग से पुलिस-वालों को मदद मिलती रहेगी सरकार की तरफ से तो इससे देश में गन्दा वातावरण फैलता रहेगा। हम यह नहीं कहते कि आप पुलिसवालों को सजा दे दो, पर आपको उन्हें कन्ट्रोल तो करना चाहिये। पर यह कन्ट्रोल भी सरकार की तरफ से नहीं हो सकता। कारण, सरकार खुद उनसे गलत काम करवाती है, अपनी पार्टी के आदमियों की खातिर।

एक कामाणा डकैती के बारे में पुलिस-वालों ने मालिक से फर्जी दस्तखत करा कर ८००) रुपये ले लिये और जाली केस बनाया। धमकी देकर डरा कर तो फर्जी दस्तखत करा लिये! इसके बारे में कई तरह की शिकायतें हुई। हाई कोर्ट में मुलजिम भी बरी हो गया, इसलिये कि डी. एस. पी. ने करवाया। पर आज तक उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद वापिस १८२ में उस मालिक के ऊपर केस बनाया, हालां कि उससे डरा धमका कर दस्तखत खुद पुलिस ने कराये थे, डी. एस. पी. जैसे अधिकारी ने

(श्री हीराभाई)

करवाये थे । मजबूर होकर उसने किये । पर उसकी कोई नहीं सुनता, सरकार भी नहीं, और उस पर आज १८२ का केस चल रहा है । सरकार ने कोई जांच नहीं की ।

इसी प्रकार रतनगढ़ में सूरजप्रकाश पत्रकार था । वह जनता की सीधी आवाज अपने पत्र में छापता था । पुलिस ने उस आदमी पर फर्जी मुकदमा बनाया । दूसरे बदमाशों को वहां भेजा, मारपीट कराई और इस तरह जाली मुकदमा बना कर गिरफ्तार किया । उसे सरे आम हथकड़ी डाल कर घुमाया और आखिर में छोड़ दिया और थोड़े दिन दिखावटी तौर पर थानेदार को मुअत्तिल कर दिया । पब्लिक का आदमी डराने, धमकाने से, डर से अगर दस्तखत कर देता है तो सरकार उस पर १८२ के मुकदमे की कार्यवाही करती है । पर इस तरह खुद के आदमी झूठे मुकदमे बनावें, जो जनता के जान-माल की हिफाजत करने का दावा करते हैं, वे पुलिस के अधिकारी बनावे तो सरकार भी उनके खिलाफ कुछ नहीं करती, उन पर १८२ का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । तो मैं पूछता हूं जनतन्त्र की कैसे रक्षा हो सकती है ? तो यह सरकार की गलती है न कि पुलिस वालों की, क्योंकि सरकार कन्ट्रोल नहीं करती ।

इसी तरह से आज के कुछ दिन पहले का ४।३।६२ का किस्सा है । बांसवाड़ा में एक मोटर ड्राइवर था । वहां के पुलिस अधिकारी थानेदार गजराजसिंह ने उसे मिर्ची का थैला लाने के लिये कहा था । वह नहीं लाया तो उसको गिरफ्तार कर लिया । कहा-तुम्हारा लाइसेन्स लाओ । नम्बर नहीं है तुम्हारे पास । तुम्हारे पिताजी का गलत नाम है । उसको जानबूझ कर हथकड़ी डाल कर घुमाया, कोर्ट में पेश किया और जमानत पर बाद में रिहा किया । तो इस तरह से इन बातों को अगर सरकार कन्ट्रोल नहीं करेगी तो वातावरण नहीं सुधर सकता । इस गजराजसिंह के बारे में पांच साल पहले भी बांसवाड़ा की जनता की तरफ से शिकायत की गई थी कि वह बहुत अत्याचारी है, तो उसका थोड़े दिन तबादला भी कर दिया ; पर फिर बांसवाड़ा में चुनावों से पहले भेज दिया गया, क्योंकि कांग्रेस को चुनाव में जिताना था । इस तरह का रवैया पुलिस का और सरकार का है । यह गलत है ।

हरणोदा तहसील में सरपंच का नाम-जदगी का पत्र पेश करनेवाला था एक आदमी । तीन पुलिसवालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया । पत्र दाखिल करने के समय के बाद उसे छोड़ दिया गया । तो अगर सरकार ऐसे केसों में भी पुलिस को शह देगी, उन पर कन्ट्रोल नहीं करेगी तो जनता की शिकायत मिटेगी नहीं ।

कुशलगढ़ में एक कांग्रेसी नेता हैं सुरेन्द्रसिंह वकील । एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी । विधवा नहीं, उसका खाविन्द तो था । उस औरत के पास जाकर बोला कि मैं सम्मन लेकर आया हूं पुलिस का, यह माल मुझे दे दो । कोई उसके पास पांच मवेशी और पांच सौ, हजार का माल था । वकील था, पांच आदमी मिल गये । तो इस तरह इल्लीगल कार्यवाही करके माल को

(श्री हीराभाई)

अपने कब्जे में करके ले गया। इसकी शिकायत हुई। इसके बाद कार्यवाही की जाती है तो गिरफ्तार किया जाता है उन पांच साथी भीलों को। जो मुख्य आदमी वकील था उसको गिरफ्तार करने की नौबत नहीं आती! आखिर नौबत आती है तो पुलिस वाले इशारा कर देते हैं। रात भर छिपा रहता है और दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के पास अदालत में जाकर जमानत-पत्र पेश करवा देता है। तो कांग्रेसी लोगों के लिये तो इस तरह कानून लागू होता है और उन पांच भील लोगों के लिये दूसरी तरह। वहां के थानेदार और सर्किल इन्सपेक्टर का इरादा नहीं था पकड़ने का, पर ऊपर से जोर पड़ा तो उसको भी लाना पड़ा अदालत के सामने।

लेकिन ऊपर से एस. पी. और डी. एस.-पी. की सूचना थी और उसी के आधार पर उसको गिरफ्तार नहीं किया और ५ भीलों को गिरफ्तार कर लिया और उनको छिपाये रखा और वह भी कहां छिपाये रखा? कुशलगढ़ के दरबार हैं, वह कांग्रेस के चुनाव अधिकारी थे उन्हीं के गढ़ में उनको छिपाये रखा। तो इस तरह से घटनायें घटें और कोई कांग्रेसी लीडर हैं उनके यहां छिपाकर रखा जाये तो इस तरह से पुलिस को राजनीति में अपनाना बहुत बुरी बात है। यह पुलिस वालों की गलती नहीं है, यह सत्तारूढ़ दल की गलती से होता है। पुलिसवालों को तो बेचारों को बुलाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और अगर उनके खिलाफ कोई बात आई तो उनको मुअत्तिल होना पड़ता है। जब तक आप पुलिस को स्वतन्त्र बोडी नहीं मानते तब तक हमारी रक्षा होनेवाली नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाये और यह भी इस ढंग से किया जाये कि उसमें निष्पक्ष लोग हों। अगर निष्पक्ष लोग उसमें नहीं होंगे तो जैसा केरल और उड़ीसा में हुआ वैसा ही यहां होगा। कारण यह है कि कई तरह के दल हैं। एक एक जिले में एक एक दल रहेगा और वह दल पुलिस को दल के कन्ट्रोल में रखेगा। तो कई तरह की फूटा-फूट होगी और पुलिस को सही ढंग से देश की जो रक्षा करनी चाहिए वह नहीं कर सकेगी। जैसे मैं समाजवादी हूं और मेरे क्षेत्र में जो थानेदार और एस. पी. हैं मैं उनको समाजवादी ढंग से ले जाना चाहूंगा, आप कांग्रेसी हैं तो आप उसको कांग्रेसी ढंग से ले जाना चाहेंगे और अगर कोई स्वतन्त्र पार्टीवाला है तो वह उसको अपने ढंग से लेजाना चाहेगा! अगर इस तरह से दलबन्दी का वातावरण रहेगा जन-रक्षा के प्रति तो यह वातावरण गन्दा होने वाला है; इसलिये कमेटी का गठन किया जाये तो वह स्वतन्त्र बोर्डी होनी चाहिए वर्ना राजनैतिक दलों को इस तरह से नहीं फंसा दिया जाये; नहीं तो उड़ीसा और केरल में कई बार विधान सभा भंग हुई उसी तरह से यहां होगा। पुलिस को किसी दल में नहीं डालना चाहिए और पुलिस को स्वतन्त्र ढंग से काम करना चाहिए। अगर पुलिस में बदमाश लोग जाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं तो उन तमाम लोगों को सजा दी जाये ताकि आइन्दा के लिए सौदा साफ हो जाये। अगर पुलिसवालों को बढ़ावा मिलता है और वह भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं तो उनको सजा देने में कोई बुरी बात नहीं

(श्री हीराभाई)

है । १० पुलिसवाले भ्रष्टाचारी हैं और आप उनको सजा नहीं देते हैं तो आप १० को बचा कर लाखों, करोड़ों जनता को खतरे में डालते हैं और चाहते हैं कि जनता गोली और लाठियों के नीचे दब जाये । इस तरह जनहित की रक्षा नहीं हो सकती । इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिसवालों को आप बिल्कुल स्वतंत्र रखें और जो आदमी गुनाह करे उसको गवर्नमेन्ट की तरफ से जांच की जाकर सजा दी जानी चाहिए ताकि आगे जाकर खराबी पैदा न हो ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १२ में मैंने २ कटौती के प्रस्ताव संख्या ५६ और ५७ रखे हैं । पुलिस की जो ज्यादतियां हैं, जिसकी वजह से जनता को असन्तोष हो रहा है, उसके बारे में विरोधी पक्ष की ओर से काफी सदस्यों ने जानकारी दी । माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष ने पुलिस के प्रति जो एक्सट्रीम व्यू दिया है कि पुलिस का कोई उपयोग नहीं है और पुलिस की वजह से जनता बड़ी परेशान है इसलिए पुलिस में सुधार किया जाना चाहिए, यह बात समझ में नहीं आई । स्वतन्त्रता के बाद बहुत से डाकू राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों में काम करते थे और उन बहुत से डाकुओं के दलों का इस राजस्थान की पुलिस ने सफाया किया, उसके लिए हमें उसके कार्यों की सराहना करनी बहुत जरूरी है और ऐसे शब्दों में हम उसकी सराहना करना चाहते हैं जो हम ढूंढ़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे गैंग जो दिन-रात डकैतियां करते थे, लूटखसोट करते थे, उन सारे गैंग्स को राजस्थान पुलिस ने समाप्त किया । दूसरी ओर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस से जनता क्या चाहती है और जनता के प्रति पुलिस को क्या रवैया अपनाना चाहिए, इसके बारे में मैं एक–दो बातें कहूंगा । जहां तक पुलिस के उच्च अधिकारियों का सवाल है, उनके रवैये में तो कुछ तब्दीलियां जरूर आई हैं परन्तु कुछ सब-इन्सपेक्टर्स से लेकर कॉन्स्टेबल्स तक जो थानों में काम करते हैं उनका बर्ताव आम जनता के साथ ठीक नहीं है । आम जनता के साथ, गांव वालों के साथ उनका व्यवहार अभद्र है ।

(६.५५ म.पू.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

जब कोई गांव वाला थाने में अपनी शिकायत लेकर जाता है तो उसको शांति से बैठा कर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसकी शिकायत का हल निकालने की कोशिश नहीं करते हैं । इसीलिए आम जनता को पुलिस के प्रति बहुत ही असन्तोष है । अगर उच्च अधिकारी इस तरफ अपना ध्यान दें और यह बन्दोबस्त कर दें कि थाने में कोई भी आदमी आये चाहे वह कितना ही गरीब हो, चाहे अमीर हो, समान रूप से उसकी शिकायत सुनी जाये और उसमें अगर तथ्य हों तो पूरी जानकारी हासिल करके मुलजिम को सजा दिलायें और निर्दोष आदमियों को ख्वाहमख्वाह नहीं फंसायें । ऐसा अगर बन्दोबस्त कर दें तो जनता का असन्तोष बहुत हद तक दूर हो सकता है और जो विपक्ष की ओर से एक्सट्रीम बातें ऐसी कही गयी कि सब कांग्रेस के लोगों से मिल कर ही दूसरी पार्टियों के लोगों पर ज्यादतियां होती हैं, यह बात बिल्कुल गलत है । मैं जिला जालोर का उदाहरण आपके समक्ष पेश करूं कि जिला जालोर में कांग्रेस के प्रति साधारणतया पुलिस

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

का रवैया ठीक नहीं रहा है और इसके विपरीत विपक्षी दल की साधारण तौर पर मदद की जाती है और इस तथ्य की जानकारी अगर कोई करना चाहे तो वहां जाकर कर सकता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, जो विरोधी पक्ष की ओर से बातें कही गयीं हैं और जो असन्तोष का कारण बताया है वह ठीक नहीं है। पर यदि यह भी कह दिया जाय कि असन्तोष कुछ नहीं है और पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, तो यह भी ठीक बात नहीं है। इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

गांवों में आज दिन पुलिस थानों में पुलिस सब-इन्सपेक्टर और दूसरे कर्मचारी आम जनता की शिकायत पर जैसा कि उनको ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे प्रजातन्त्र राज्य में जब कि दूसरे अफसरान का दृष्टिकोण तो ठीक हो गया है परन्तु पुलिस का दृष्टिकोण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। इसलिए इस ओर सक्रिय कदम उठाया जाना चाहिए और यह कदम उठाया जाना निहायत ज़रूरी है वर्ना जनता के असन्तोष की सीमा न जाने कहां तक बढ़ जायेगी। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, थानों में जो बातें होती हैं कोई भी रिपोर्ट ले जाय तो बगैर कुछ लिए रिपोर्ट रजिस्टर नहीं करने की परिपाटी बनी हुई है और किसी अदावत की वजह से दस, बीस आदमियों की सूची पेश की जाती है। यदि निर्दोष आदमियों को फंसाने की परिपाटी को हटा दिया जाये तो जनता का बहुत सा असन्तोष स्वतः ही दूर हो जायेगा। थानों में आज दिन आपसी अदावत निकालने के लिए इन पंचायतों के चुनावों की वजह से या आम चुनावों की वजह से एक आदमी एफ०आई०आर० दायर करता है, कत्ल का मुकदमा होता है और कत्ल में एक-दो ही होते हैं लेकिन आपसी अदावत निकालने के लिए उस मुस्तगीस से मिल कर १५-२० आदमियों की सूची उस एफ०आई०आर० में दर्ज करा दी जाती है और क्योंकि एफ०आई०-आर० में नाम आ गया है इसलिए उनको किसी तरह से नहीं निकाला जा सकता, हालांकि पुलिसवालों को यकीन है कि उस कत्ल में कुछ ईज्जतदार आदमियों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर पुलिस को उसे प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाना चाहिए कि क्योंकि उनका नाम एफ०आई०आर० में है और हालांकि वह निर्दोष हैं लेकिन हमारा तो फर्ज है उनको अदालत में पेश करना और फिर अदालत का फर्ज है कि फैसला करें। लेकिन, सभापति महोदय, आपको महसूस होगा कि अगर झूठे मुकदमों में गलती से निर्दोष आदमियों का चालान कर दिया जाता है तो कितने वर्षों तक उनको फालतू हैरान होना पड़ता है और ऐसे वजूहात अदालतों के सामने आते हैं, और जब सच्ची और झूठी दोनों तरफ से शहादत आती है, तो इन्साफ की तह तक पहुंचना बहुत मुश्कल हो जाता है और वास्तव में जो मुलजिम है उसको भी सजा दिलवाने में पुलिस नाकामयाब होती है और कुछ निर्दोष आदमियों को सजा मिल जाती है। इसलिए पुलिस को यह प्रेस्टिज इश्यू बनाना नहीं चाहिए कि जितने भी मुल्जिम हों उतनों का ही किसी तरह से चालान करने की जरूरत है और अदालत उसका फैसला दे। इस रवैये को अगर पुलिस ठीक कर ले और ऐसे

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

मामलों में जहां भी कोई बात हो पूरी जानकारी हासिल करके और जो फैक्ट्स के अनुसार मुल्जिम हों या कातिल हों और संगीन मुकदमों में शरीक हों उनको हर हालत में एफ० आई० आर० में दर्ज नहीं होते हुए भी, सजा दिलाना पुलिस का कर्त्तव्य होना चाहिए और ठीक आदमी, जो शरीफ आदमी है और महज अदावत निकालने के लिए जिन्हें सजा दिलाना चाहते हैं और बाद में खुशियां मनाते हैं उस बात को पुलिस अगर किसी तरीके से दूर कर दे और अदालतों से रियली जो एक्यूज्ड हैं उन्हीं को सजा दिलाने की कोशिश करे तो जनता में जो असन्तोष है और जो चारों तरफ गांवों में व्याप्त है वह दूर किया जा सकता है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, जिला जालोर की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वहां पर एक ऐसी ही परिपाटी है कि जब कोई एफ० आई०-आर० तैयार होती है तो १५, २० और ३० की सूची पेश की जाती है आम तौर से और फिर बाद में तफतीश में ज्यादा पर्सेन्टेज में लोगों का चालान किया जाता है। तो ऐसी प्रेक्टिस पुलिस की रहती है, किसी भी हालत में चालान करना है, क्योंकि संगीन मुकदमा है पर वह रियल कल्प्रिट को सजा नहीं दिलाने की कोशिश करेगी और निर्दोष आदमियों को फंसाने की वहां पर परिपाटी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

और ऐसी आदत सी बनी हुई है। इसलिए इस ओर उच्च अधिकारी ध्यान दें ताकि वहां की जो लुटनेवाली आम जनता है उसको राहत मिल सके। इसलिए यह जो आम असन्तोष की बात है यह दो तीन कारणों से है।

दूसरे, छोटे अधिकारियों को जैसे इन्सपेक्टर्स और कॉन्स्टेबल्स हैं उनको उच्च अधिकारियों के पास उपस्थित हो कर अपनी शिकायतों को सुनाने का पूरा मौका नहीं दिया जाता है। अगर वास्तविक ग्रिवेन्स है तो उसे दूर कराने के लिए उच्च अधिकारियों के पास पूरा एप्रोच होना चाहिए ताकि वे अपनी शिकायतों को सुना सकें और अपनी दिक्कतें पेश कर सकें। इस बारे में सुधार किया जाना चाहिये, ताकि वे अपनी बात उच्चाधिकारियों को कह सकें। अगर उनको मौका नहीं देते हैं तो वे अदावत जनता के साथ निकालते हैं। इसलिए इस बारे में सुधार किया जाना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है कि थानों पर जो कुछ स्ट्रेन्थ रखते हैं, दूसरी जगह के थानों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कम से कम जिला जालोर में मुझे ऐसा महसूस होता है कि जीप वगैरह के साधन नहीं होने से और जुर्मों की बढती हुई संख्या को देखते हुए स्ट्रेन्थ कम है और जो संगीन मुकदमात बड़े अर्से तक पड़े रहते हैं और उनमें ठीक तरह से तफतीश नहीं कर सकते हैं और इसलिए जनता के माल और जान की रक्षा करने में पुलिस कुछ नाकामयाब हुई है। इसलिए उसके रीकॉन्स्टीट्यूशन के लिए, थाने में सट्रेन्थ बढाने के लिए, हम महसूस करते हैं कि कुछ आदमी और बढ़ाये जायं, जहां क्राइम ज्यादा हैं और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जहां सम्मन ज्यादा तामील कराने पड़ते हैं और दूसरे क्राइम्स ज्यादा निकालने पड़ते हैं। इसलिए एक यूनिफाइड रूल नहीं होना चाहिए कि जहां कुछ काम नहीं हो वहां भी उतना ही स्टाफ हो और जहां ज्यादा काम हो वहां भी उतनी ही स्ट्रेन्थ रखी जाय। इस बारे में सरकार विचार करे ताकि ग्रामीण जनता के जान और माल की रक्षा का सवाल है वह पुलिस थाना शान्ति से हल कर सके। यह दिक्कत उनके सामने आती है। इस ओर सरकार ध्यान दे।

श्री सभापति : समय कम है इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ५-५ मिनट में ही अपनी बातें कहने की कोशिश करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, मांग संख्या १२ पर मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है। आजादी के बाद पुलिस की व्यवस्था में हमारे देश में काफी सुधार हुआ है, यह तो हमको मानना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जो गृह मंत्रीजी ने कुछ दिन पहले सुझाव दिये हैं वह काफी सराहनीय हैं जिनकी वजह से जनता में सद्भावना फैलेगी और पुलिस का जो व्यवहार जनता के साथ है और दूसरे लोगों के साथ है उसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा।

अब तक जो पुलिस का रवैया जनता के साथ रहा है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस विभाग के जो लोग हैं वह हमारे यहां के रहनेवाले हैं या हमारे भाई-बन्धु हैं। इससे इतना फर्क जरूर महसूस होता है कि यह लोग कहीं बाहर से आये हुए हैं और इनके बीच और जनता के बीच में कोई फर्क है। यहां की पुलिस और बाहर के देशों की पुलिस का अगर मुकाबला करें तो बाहर के देशों का जो पुलिस विभाग है और जो कर्मचारी हैं उनका जनता के साथ में जो सहयोग और व्यवहार है वह सारा एक भाईचारे का और बन्धुत्व का है, जब कि हमारे देश की पुलिस के व्यवहार में इतना फर्क है कि वे लोग अपने आपको एक शासक वर्ग का मानते हैं और जनता को इस तरह का व्यवहार देते हैं कि जो एक नागरिक के नाते और इस देश के रहने-वाले के नाते सराहनीय नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना आनी चाहिए कि हम हमारे देश के नागरिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। उनके व्यवहार में इस प्रकार की भावना आनी चाहिए, जिससे कि नागरिक यह महसूस कर सकें कि पुलिस हमारी है, इसके रहने से हमारी रक्षा है और हमारे साथ कोई बुराई नहीं हो सकती।

दूसरा अर्ज करना यह है कि पुलिस विभाग में जितने भी गरीब लोग एफ० आई० आर० दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस विभाग मुंह देख कर बात करता है। कोई अच्छा पढ़ा-लिखा आदमी जाता है तो उसके केस को दर्ज कर लिया जाता है और जो गरीब केस लाते हैं तो उनके केस को दर्ज नहीं किया जाता है और उनको हिदायत हो जाती है कि एस० डी०-एम० के पास जाकर ऑर्डर लेकर आइये तो केस की तफतीश की जायगी। इससे गरीब लोगों के साथ में बड़ा जुर्म होता है। बेचारे परेशानी में पड़ जाते हैं और वकीलों के

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चक्कर में पड़ जाते हैं और बड़ा भारी खर्च उनको उठाना पड़ता है । इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो एफ० आई० आर० की जाय तो वह तुरन्त दर्ज की जाकर उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए । अगर गलत है तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो । अगर वह सही है तो उनके केस की तफतीश की जाकर मुल्जिमान का चालान दिया जाना चाहिए ।

मैं आसींद तहसील के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आसींद तहसील में जो दो थाने हैं उनमें से बदनोर थाने में ६०-६१ और ६१-६२ में करीब १० कत्ल के केसेज़ हुए हैं । उनमें से एक भी केस कामयाब नहीं हुआ । एक भी केस का अभी तक चालान नहीं हुआ । मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारी जिस थाने में रखे जायं जिसमें कि १०-१० केस कत्ल के हों और एक भी केस कामयाब करके चालान नहीं हो तो यह पुलिस की नाकाबलियत का एक नमूना है । तो इस प्रकार के जो अधिकारी हैं जिनको ऐसे थानों में रखा जाता है और जिनके खिलाफ जनता के द्वारा बराबर शिकायत की जाती है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाय और किसी भी अधिकारी को भेजकर उनकी जांच नहीं करवाई जाय और उन केसेज का चालान नहीं कराया जाय तो इस बात का जनता पर खराब प्रभाव पड़ता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं खास तौर से इन तीन-चार गावों के नाम बता देना चाहता हूं । पाटन में एक लड़के का कत्ल हुआ जिसका अभी तक चालान नहीं हुआ और कोई मुल्जिम नहीं पकड़ा गया । इसी प्रकार चतरपुरं में एक औरत का कत्ल हुआ उसके संबन्ध में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है । इस प्रकार का राजियास में एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे, तीन आदमियों को कत्ल कर दिया गया है और उनके सम्बन्ध में डी० आई० जी० पी० और आई० जी० पी० वगैरह सब के पास जनता के प्रतिनिधि पहुंचे लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और लूंगा ।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : आधा मिनट में फरमावें, नहीं तो दूसरों को टाइम नहीं मिलेगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक सुझाव यह है कि हमारे यहां का सी० आई० डी० विभाग बहुत इन-एक्टिव है । उसके एक्टिव होने की आवश्यकता है । जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक केसेज़ पूरी तरह से ट्रेस-आउट नहीं होंगे ।

इसी तरह से प्रॉसीक्यूशन के बारे में निवेदन करना है । जिस तरह से जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करना चाहते हैं उसी तरह से प्रॉसीक्यूशन को भी पुलिस विभाग से अलग करके काबिल प्रॉसीक्यूटर्स नियुक्त करें तो ज्यादा लाभ हो सकता है । मुझे यही कहना है ।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द जैन ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, सदन में पुलिस की डिमान्ड पर बहस चल रही है । इस दौरान में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं उनसे एक बात तो साफ समझ में आती है कि पुलिस विभाग में कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं जरूर मौजूद हैं जिससे यहां कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है उसके अन्दर जैसी स्थिति होनी चाहिये उसमें कमियां हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि पुलिस विभाग की ओर से राजस्थान के अन्दर काफी अच्छे और बड़े बड़े काम किये गये हैं। उसके लिये वह सराहनीय भी है और हम आशा कर सकते हैं कि हमारे राजस्थान की जो पुलिस है वह इस मामले में काफी कुछ हद तक सक्षम है । यहां पर किसी जमाने में डाके वगैरह पड़ते थे। उनमें बहुत कमी इन दिनों में हुई है । लेकिन इससे यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां की पुलिस-व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है । सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चाहे हमारे यहां की पुलिस ने अच्छे और सराहनीय कार्य किये हों, लेकिन आम जनता से सम्बन्धित रोजमर्रा के जो काम पुलिस विभाग से पड़ते हैं उनमें जनता को जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं और इसमें जिस प्रकार की बुराइयां पुलिस स्टेशन्स पर हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो जनता में जो असन्तोष है उसको दूर नहीं कर सकेंगे ।

मैं अपने चुरू जिले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां की स्थिति के बारे में यहां तक कह सकता हूँ कि वहां पर कानून की व्यवस्था बहुत कम दिखती है । वहां एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, डकैतियों का तांता लग रहा है, आम तौर से छोटी छोटी चोरियों की गिनती नहीं है । खास तौर से मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र सुजानगढ़ की बात कहूँ । वहां पर कानूनी व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं है । अभी गृह मन्त्रीजी वहां पर पधारे थे तब एक साल से ऊपर पोस्ट मास्टर का मर्डर हुए हुआ था उनके पधारने के बाद उसमें काफी तेजी से तफतीश हुई और मुलजिम पकड़े गये, रुपये भी बरामद हुए । इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि पुलिस थाने में चार महीनों से अधिक समय तक जो रुपये चोरी गये थे वे रहे और जो मुलजिम पकड़े गये हैं उनमें से एक मुलजिम वह है जो वहां के हैड कॉस्टेबल का भाई है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ घटनाएं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : संक्षेप में कहिये ।

श्री फूलचन्द जैन : वहां जो लोकल थाने की व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन लाना चाहिये । इससे पहले एक मर्डर हुआ था महिला का । उसमें दो मुलजिम थे । उनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि वह पाकिस्तान चला गया और दूसरे के लिये पुलिस थानेदार स्वयं गोहाटी गये और उसको पकड़ कर कलकत्ता आ रहे थे । रास्ते में वह मुलजिम कहीं गायब हो गया । थानेदार साहब शायद सो गये थे या पता नहीं क्या हुआ । उन्होंने कहा—हथकड़ी नहीं पहिनाई थी; इसलिये भाग गया। आश्चर्य की बात है कि इस तरह के मर्डर होते हैं, पुलिस विभागवाले वहां तक जाते हैं, मुलजिम को पकड़ते हैं और फिर भी इस तरह

(श्री फूलचन्द जैन)

की घटनाएं हो जाती हैं।

हमको विश्वास दिलाया गया था कि कानूनी व्यवस्था में काफी सुधार होगा। अब भी जिस प्रकार चोरियों का तांता लग रहा है उससे कल्पना नहीं की जा सकती कि किस प्रकार जन-साधारण को कह सकते हैं कि आप निश्चिंत रहिये, हमारा पुलिस विभाग सतर्क है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छोटी छोटी चोरियों का हाल यह है कि हाल ही में मालूम हुआ मेरे स्वयं के मकान के अलावा तीन-चार और मकानों के पीतल के कुंडे निकाल कर ले गये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री अमरसिंह।

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : सभापति महोदय, समय के अभाव के प्रति ध्यान रखता हुआ मैं अपने विचार संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा। पुलिस जैसे अहम विभाग की यहां चर्चा हो रही है और बहुत सी चर्चा हो चुकी है, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये थोड़ा समय और चाहूँगा।

यह निर्विवाद सत्य है कि आधुनिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु दुनिया के सभी देशों के लिये पुलिस का विभाग होना अत्यन्त आवश्यक है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि यह विभाग इतना आवश्यक होते हुए सुचारू रूप से काम करे। इसमें संदेह नहीं कि सुचारू रूप से कैसे काम होना चाहिये, उस पर गंभीरता पूर्वक बगैर आवेश के विचार करना आवश्यक है।

इसकी शुरूआत देखें तो जुडिशियरी और पुलिस दोनों ही भारत को अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजों के राज्य की देन है। जुडिशियरी के लिए अंग्रेज सरकार ने यह परम्परा डाली कि स्वच्छ और निष्पक्ष न्याय भारतवासियों को मिले उन पर यह एन्जोइन किया गया कि यदि किसी जुडिशियल ऑफिसर का भाई हो या उसका दुश्मन हो, सरकारी ऑफिसर हो या गरीब व्यक्ति हो तो उनके साथ सम व्यवहार करते हुए न्यायोचित निर्णय दिया जाय। वह उन पर एन्जोइनिंग था, यह डाइरेक्टिव था, उसके माफिक जुडिशियरी की परम्परा बनी।

इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग अंग्रेजों का हाथ-पांव और आंख था जिसके प्रयत्न से भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन कायम रखना था। लेकिन मैं यह कहने को तैयार नहीं हूँ कि उस समय हर प्रकार का जुल्म करने के लिये पुलिस अग्रसर रहती हो। यह आवश्यक है अपना शासन सुचारू रूप से चलता रहे, लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था भंग न हो उसके लिए सरकार की इच्छानुसार पुलिस को काम में लाना पड़े तो वे नहीं हिचकते थे। यह परम्परा पुलिस को, दुर्भाग्यवश मिली। पुलिस अंग्रेजों के पास से स्वामिभक्ति के साथ निकली........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : संक्षेप में कहें, समय कम है।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : यदि आप चाहें तो मैं अपना आसन ग्रहण कर लूंगा, लेकिन पुलिस विभाग को देखने का मुझे बीस साल तक अवसर मिला है ऑफिशियल केपेसिटी में उस अनुभव को बताना चाहता हूँ........

श्री सभापति : दो मिनट में फरमावें। बहुत से माननीय सदस्य और बोलनेवाले हैं।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : समय की व्यवस्था करने पर, इतने समय में मैं निवेदन नहीं कर सकूंगा। मैं अपने सुझाव गृह मंत्रीजी को लिख कर भेज दूंगा।

अगर आप दस, पद्रह मिनट नहीं दे सकते हैं तो जो मुझे कहना है वह मैं नहीं कह सकता।

श्री सभापति : इसके लिए जरूरी है कि मैं सदन की राय मालूम करूं कि क्या इस बहस का समय कुछ देर के लिए और बढ़ा दिया जाय, क्योंकि बोलनेवाले अभी और हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : समय बढ़ाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : The Speaker has already given a ruling. व्यवस्था स्पीकर महोदय ने कर दी है, अब समय बढ़ाने के लिए हम तैयार नहीं हैं।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष की राय के लिये ही यह कहना है।

श्री मथुरादास माथुर : अभी और डिमान्ड्स आयेंगी........

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस विभाग पर सुझाव आयेंगे, उन सुझावों को आप लेना चाहते हैं तो समय बढ़ाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है लेकिन दूसरी डिमान्ड्स इम्पोर्टेन्ट हैं, उनमें कई माननीय सदस्य इन्ट्रेस्टेड हैं और स्पीकर महोदय ने इन सारी बातों को सुनते हुए ही व्यवस्था दे दी है।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : व्यवस्था कोई रैस जुडिकेटा नहीं है। समय बढ़ाया गया है और सदन फिर चाहे तो समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री सभापति : इस पर समय····

रावल श्री अमरसिंह जासोल : इसके साथ ही मैं निवेदन कर दूं........

श्री सभापति : Order please ! इस मांग पर डिबेट के लिए समय आधा घंटा के लिए बढ़ा दिया जाय. I think I have the sense of the House. डिबेट के लिए आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

(विराम)

माननीय सदस्य अपने भाषण जितने संक्षेप में रख सकते हैं, उतना संक्षेप में रखें। जो चार, पांच मिनट का समय है उससे ज्यादा समय मिलना बड़ा मुश्किल है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चार मिनट का कोई समय नहीं है। चाहे मेम्बर कम बोलें लेकिन समय अधिक मिले।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : यह व्यवस्था भी दें कि दस-बीस मिनट मिलने चाहिए.

Page No 52

श्री सभापति : दस-बीस मिनट नहीं मिल सकते। पांच मिनट का समय दिया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : बस, बहुत है। बहुत बहस हो गई।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : मैं अनुशासन का पालनकरना चाहता हूं। आप एक घंटी बजा दें तो एक शब्द भी आगे नहीं बोलना चाहता हूं। इसलिए प्रथम इस पर स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये, क्योंकि अगर ज्यादा समय मिल सके तो मैं अर्ज करूं।

श्री सभापति : समय ज्यादा नहीं मिल सकता पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। और आपके पांच मिनट समाप्त हो गये हैं।

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थिति)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय सभापतिजी, मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि पुलिस में कई खर्च ऐसे फालतू हैं, जैसे राजाओं और नरेशों के प्रासाद पर रक्षी नियुक्त किये गये हैं, उन पर खर्च किया जा रहा है, वह तीन लाख, ४२ हजार रुपया है। क्या हमारे यहां राजस्थान सरकार ने राजाओं से कोई यह तय किया था कि तुम्हारे यहां रक्षी रखेंगे ? उन्हें अलग से सेन्ट्रल गवर्नमेंट से प्रिवी-पर्स मिलता है। हमारे यहां, डकैतों का जहां नाम लेकर पुलिस राजस्थान में ढोल पीट रही है। उस पर राजस्थान सरकार २ लाख ११ हजार ५० रुपये खर्च करती है और राजाओं के प्रासादों की रक्षा के लिए ३ लाख ४२ हजार रुपये खर्च करती है। गुप्तचर विभाग की हालत बहुत खराब है। उस पर सरकार १६ लाख ६४ हजार रुपये खर्च करती है जब कि राजस्थान का गुप्तचर विभाग बिल्कुल फेल हो गया है, क्योंकि वह यह पता नहीं लगा पाया है कि किस आदमी ने धोखा देकर सरकार से कितना पैसा प्राप्त किया है। मैं आपको बतलाऊं कि किन किन लोगों ने कितना कितना रुपया प्राप्त किया है और कौन आज धोखा देकर पैसा ले जा रहे हैं राजस्थान में। भारत सरकार के गृह मंत्री को धोखा दिया है यहां के नरेशों ने। जो नरेश हैं उनका राज्य नहीं था, जैसे जोधपुर में राज्य जलन्धरीनाथजी का था, उनके जो दीवान थे जोधपुर राज्य के, उन्होंने जबरदस्ती गृह मंत्री से कह दिया कि मैं राजा हूं और उन्होंने प्रिवीपर्स दे दिया। यहां राज्य गोविन्ददेवजी का है, जिनके यहां से माल चोरी चला जाय लेकिन उसका कोई पता ठिकाना नहीं है और एक कुत्ता भी भौंकने के लिए नहीं रखा गया है। गोविन्ददेवजी के यहां से सामान चोरी चला गया और उनके दीवान के घर पर लाखों रुपये के रक्षी रखे जा रहे हैं। उदयपुर में श्रीनाथजी का नाम लूं। वहां श्रीनाथजी का मन्दिर है जिनके नाम से वहां के राजा ने राज्य किया उन श्रीनाथजी के मंदिर में भेड़ पोटे करती है लेकिन आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते और उनके दीवान के घरों की रक्षा की जा रही है। बीकानेर में लक्ष्मीनाथजी का राज्य था। वहां पर कोई राजा का राज्य नहीं था, राजा केवल दीवान थे। लक्ष्मीनाथजी को दिया जाना चाहिए था कम्पन्सेशन लेकिन दिया जा रहा

Page No 53

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

है प्रिवीपर्स उनको जो राजा नहीं थे, दीवान थे। सरदार पटेल नहीं जानते कि राजस्थान में क्या हालत है। राजस्थान में कोई राजा नहीं थे लेकिन प्रिवीपर्स उन्होंने ले लिया....

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा): यह है कि गोरखनाथजी का श्रीनाथजी का गोविन्ददेवजी का राज्य था तो उनके राज्य को सरेन्डर कराने के लिए गोरखनाथजी, श्रीनाथजी, गोविन्ददेवजी की अनुमति होनी चाहिए थी। अगर राजाओं के देने से राज्य चला जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका राज्य नहीं है और उनको प्रिवीपर्स या सरकार की तरफ से अलाउन्स नहीं मिलना चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह माननीय सदस्य नहीं बोल रहे हैं, यह उनका xxxx

रावल श्री अमरसिंह जासोल : आप अपना भाषण जारी रखें। आपने जो बात कही, उस पर मैंने अपनी बात कही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह उनका xxxx यह आपकी राय नहीं है।

श्री सभापति : Order please !

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप जैसे xxxx नहीं हो सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं बता रहा हूं कि जनता और जनार्दन में फर्क नहीं है। जनार्दन का राज्य जनता का राज्य था और जनता ने वापिस ले लिया है तो राजाओं को प्रिवीपर्स का अधिकार नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, दोनों तरफ से सदन में जो कहा गया है आपकी ओर से कहा है, उधर से कहा गया है। आपने जो फर्माया कि तुमने xxxx है, और दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि आपका जैसा xxxx नहीं है। इस प्रकार जो कहते हैं........

श्री सभापति : माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसमें कोई बात नहीं है, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जैसलमेर में यही धन्धा किया करते थे।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या धन्धा करता था, जरा बता देवें, यह मेरे........

श्री सभापति : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : यह मेरे समीप रहनेवाले थे, मिल कर रहनेवाले थे।

श्री सभापति : Order please ! माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा कहना यह है कि भारतवर्ष के गृह मन्त्रालय को धोखा देकर प्रिवीपर्स की रकम रखी गई लाखों रुपये की और उनके प्रासादों की रक्षा के लिए लाखों रुपये खर्च करें। इसके साथ ही पानी भी मुफ्त देते हैं और गरीब को पानी के नल

---

xxxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

xxxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

का कनेक्शन मुफ्त नहीं दे सकते। जयपुर के दरबार क्या इतने गरीब हैं कि उनको सरकार १ लाख, ४४ हजार रुपया पानी के लिए दे और ३ लाख, ४२ हजार उनके प्रासादों की रक्षा के लिए दे? क्या उनमें अपनी रक्षा करने की हिम्मत नहीं है? वे बड़े बहादुर हैं, तलवार के धनी हैं। क्या वे अपने मकान की रक्षा नहीं कर सकते हैं? और इस विभाग का खर्च है उसे डकैतियों की बात कह कर जिन्दा रखें जबकि उस पर केवल २ लाख, ११ हजार रुपया खर्च होता है। राजाओं के ऊपर इतना खर्चा मुफ्त में किया जाता है।

इसके अलावा जो गुप्तचर विभाग है, उसमें खर्चा करते हैं वह इसलिए करते हैं कि कौनसी राजनैतिक पार्टी का आदमी किस पार्टी मीटिंग में गया, उसने किस मीटिंग में क्या किया। बाकी आपका गुप्तचर विभाग क्या काम करता है? इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है? अगर पुलिस दूसरे गुप्तचर के काम को करे तो हर मामले में सबेरे पिक्चर साफ हो जाय। इसलिए जो सवा पांच करोड़ पुलिस पर खर्च करते हैं वह हर महीने राजस्थान की जनता पर चार आने के आसपास पड़ता है। लेकिन इसमें ज्यादा खर्चा गांव के लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि गांव वाले बिल्कुल सीधे हैं। मैं इस प्रस्ताव के जरिये दूसरी बात यह कहना चाहता हूं सदन को कि जिस तरह से योजना में लाखों, करोड़ों रुपया शहरों में ज्यादा परसेन्टेज से खर्च करते हैं उसी प्रकार पुलिस में भी इन शहरियों के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर आप उस पर खर्च कम कर दें तो पुलिस का खर्च कम हो जायगा। योजना के लिए मैंने अर्ज किया था कि १२० रुपया एक साल में एक आदमी पर खर्च किया जा रहा है शहर में, जब कि पांच रुपया खर्च होता है गांव के आदमी पर। अगर योजना की दूसरी मदों में से काट कर गांवों में ज्यादा खर्च किया जाय तो पुलिस का खर्च कम हो जायगा और सत्यानाश कम होने लग जायगा। शहर में ज्यादा खर्चा पुलिस का है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : संक्षेप में कहें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा अर्ज करना है कि जिनका राज्य है, जो श्रीनाथजी का मंदिर है, उसकी रक्षा करने के लिए तो कुत्ता तक नहीं रखा है भौंकने को। हमारे मंत्रियों के यहां बहुत पालतू कुत्ते हैं घरों पर उनमें से एक ले जाकर रखें........

श्री मुरलीधर व्यास : दस लाख कुत्ते आ रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वे आपके लिए आ रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : योजना में है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसी तरह गोविन्ददेवजी के मन्दिर में चोरी हुई, उसमें पुलिस ने क्या किया? इसके अलावा थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं........

श्री सभापति : बहुत संक्षेप में करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापतिजी, पुलिस ने डाकुओं का बहुत सफाया किया है लेकिन पुलिस के खुद के जुल्म कम नहीं हुए हैं। अभी महीना नवम्बर में, मैं अर्ज करूंगा कि करेड़ा थाने के अन्दर एक कुम्हारपुरा गांव

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

है वहां एक गूजर छीतर है। उसके यहां चोरी हुई। थानेदार साहब करेड़ा से वहां गये। जो भूतपूर्व एम. एल. ए. थे उनके साथ गये, हालांकि उनका गांव नहीं था। वहां जाकर उसकी स्त्री और उसके लड़के की स्त्री को बहुत पीटा और रात के वक्त कहा कि थाने चलो। थाना वहां से बारह मील पर है। गांववालों ने मना किया कि रात को मत लेजाइये। तो थानेदार साहब ने कहा, सुबह चमड़ा और सफेद किया जायगा। उस थानेदार के डर से वे कुंए में गिर पड़ी और मर गई। वे दोनों मर गई लेकिन चोरी बरामद नहीं हुई। इसी प्रकार अभी मांडल में एक लादवास........

श्री सभापति : इस तरह एक एक घटना के बारे में कहें, इतना समय नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वहां एक हजारी नाम का कंजर था। उसे घर से पकड़ लिया जाता है और लादवास से मांडल का थाना तीन मील इधर है, लेकिन उसको ले जा रहे हैं मांडल से करीब बीस मील दूर पर और वहां ले जाकर पीटते हैं। उनके रिश्तेदार एस० पी० साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार को पीटा जा रहा है। वे कहते हैं लाडवास चले जाओ। उसको पुलिस ने इतना मारा कि वह मर गया और उसके जगह जगह घाव हो गये। सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यह कहना चाहता हूं कि पुलिस ने अपनी रक्षा के लिये एक डॉक्टर को ३० मील दूर से बुलाया, हालांकि ५ मील और १० मील पर भी डॉक्टर मौजूद थे और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट को भी दूर से बुलाया। मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि उसकी अपने आप मौत हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि हॉर्ट फेल हो गया। घरवाले कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार की लाश हमको दे दो, ताकि हम उस लाश को ले जाकर भीलवाड़ा हॉस्पिटल में उसका मुआयना करावें। मगर नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को लाश नहीं दी और उस लाश को पुलिसवालों ने ही जला दी। आज तक इसका पता नहीं कि उसका क्या हुआ। उसके रिश्तेदार होम मिनिस्टर के पास गये, आई० जी० पी० के पास गये मगर उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस के अपने एस० पी० और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट उसमें शामिल है। वे पुलिसवालों को बचाने में लगे हुए हैं। वहां के पुलिस के लोग यह समझते हैं कि उनका बहुत बड़ा रुतबा है। लोग उनको यह समझते हैं कि पुलिसवाले बड़े घमण्डी होते हैं। वे यह सोचते हैं कि हम पुलिसवाले हैं जो चाहे कर सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस का नाम बदल कर राजस्थान सेवा दल रख दिया जावे तो उनकी भावना बदलेगी और लोगों को यह विश्वास होगा कि हमारी कुछ सेवा हो सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : नाम बदलने से क्या अन्तर होगा ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कुछ तो बदलेंगे ही, नाम बदलने से आत्मा को सन्तोष तो होगा।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : It is already 10. 30 and as the Speaker wanted, the debate should close now.

श्री सभापति : I think we have decided to extend time by half an hour.

श्री मथुरादास माथुर : The House has not taken any decision. The sense of the House has not been taken.

श्री सभापति : It has been taken.

श्री मथुरादास माथुर : It was not taken.

श्री सभापति : It was taken.

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आज की जनता पुलिस के कारनामों से ज्यादा से ज्यादा परेशान हो चुकी है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): What about the observations of the Hon'ble Speaker, Sir ? He has already observed that the debate will conclude at 10.30 and reply will commence after 10.30.

श्री सभापति : वह तो समय एक्सटेन्ड हो गया था । वह भी माननीय सदस्यों की मंशा को देख कर बढ़ाया गया था । इसी प्रकार मैंने भी माननीय सदस्यों की मंशा को देख कर आधा घंटा और बढ़ाया है । इसीलिये इस विषय में ज्यादा वादविवाद न करें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The question should be put before the House and sense determined.

श्री मथुरादास माथुर : I submit, in all humility, that the question has never been put to the House.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : It has been put.

श्री मथुरादास माथुर : The sense was never determined.

श्री मोहरसिंह (चुरू) : The Chair has already....

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : The dcision has already been taken.

श्री सभापति : मैं फिर सदन की सम्मति ले लेता हूं ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय का निर्णय एक बार हो चुका है । अब दुबारा कोई बात आवे तो देख लेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The question should be decided by volume of voice or it should be put to division if the House so wants.

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि आधा घंटा और बढ़ाया जाए ?

श्री अमरसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, इस समय जिन जिन ने अपने कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं उनको अपने प्रस्तावों पर बोलने का फन्डामेन्टल राइट है या नहीं; कृपया आप इस पर अपना निर्णय दें ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सब की

(श्री अमरसिंह)

बात सुनने के लिए ४ घण्टे का समय भी बढ़ाना पड़े तो बढ़ाया जावे। जिन लोगों को अपने कटौती के प्रस्तावों पर बोलने का अवसर नहीं मिला है उनको बोलने का मौका मिलना आवश्यक है; चाहे होम मिनिस्टर इसको पसन्द करें या नहीं।

श्री सभापति : क्या सदन की यह इच्छा है कि आधा घण्टा समय और बढ़ाया जावे ?

(हां और ना की आवाजें)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अगर हमारा इस प्रकार से गला घोटा गया तो हम भी नहीं सुनेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : We cannot succumb to such threats. I take objection to Hon'ble Member's remarks that 'we will not hear'. The Home Minister is not afraid of criticism. We are prepared to reply even if there are ten members.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जब सभापति महोदय ने आधा घंटा बढ़ाने का आदेश दे दिया तो उस आदेश को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। जब इस संबंध में फैसला हो गया कि आधा घन्टा समय बढ़ा देते हैं तो उसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं रहता। जब हम सभापतिजी के सभी निर्णयों को मंजूर करते हैं तो इस फैसले को भी मानना चाहिये। चेयर ने जो फैसला दिया है उसको चैलेंज नहीं किया जावे।

श्री सभापति : I believe, I have the sense of the House to extend the time by half an hour.

(विराम)

श्री मनफूलसिंह

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय सभापति, मैं समझता हूं कि मैं अपने इलाके की बात आपके सामने रखूं ! मगर एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब मैंने लोकल पेपर्स में यह चीज पढ़ी कि पुलिस में बहुत महत्वपूर्ण सुधार होगा तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि जब किसी मस्जिद में नया मुल्ला आता है तो वह बहुत जोर जोर से आवाज देता है, मगर कुछ दिन बाद उसकी भी वही हालत हो जाती है। इसलिये ऐसा न हो कि कुछ दिनों बाद वही मस्जिद रहे और वही पुराने मुल्ला रहें और वही कुरान रहे और वे ही पढ़नेवाले रहें। क्योंकि पुलिस विभाग की ज्यादतियों के बारे में जितना कहा जाय उतना कम है। मेरी यह धारणा है कि १० वर्षों के बाद भी वही जिले का जीवन होगा ! आपकी फिलॉसोफी उनसे मेल नहीं खाती–उस व्यवस्था से-जिस व्यवस्था की ओर आप ले जा रहे हैं। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर के सामने यह रखता हूं कि क्या जो समाज आप लाने जा रहे हैं या जो कॉन्जीनियल कन्डीशन्स (congenial conditions)

(श्री केदारनाथ)

आप पैदा करने जा रहे हैं, आप नये मॉरल ट्रेडीशन्स (moral traditions) जो पैदा करने जा रहे हैं क्या पुलिस अपनी लापरवाही के साथ उसको समाप्त करना नहीं चाहती ? यह मैं आपके सामने पेश करता हूं और मैं उस इलाके की बात कहना चाहता हूं जहां पर पुलिस के जुल्म और ज्यादतियां उस इलाके की भीतों और दीवारों पर लिखी हुई है । वहां पर मर्डर के केसेज और दूसरे केसेज इतने होते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन सारों को आपके सामने रख सकूं । बहुत से लोग आज हमारे सामने नहीं जिनके डिमोरेलाइज्ड स्ट्रक्चर (demoralised structure) के कारण मर्डर हुए ।

मेरे दोस्त उधर बैठनेवाले अपोजिशन के लोगों के लिये यह कहें कि वे लोग मिल कर कोई प्रेसर इस्तेमाल करके काम करते हैं । मैं यह समझता हूं कि एक वक्त था जब कि ऑफिसर लोग इनके साथ बैठ कर ड्रिंकिंग किया करते थे । जैसा रवैया यहां का रूलिंग पार्टी का था कि ३ साल तक १९४९ से ५२ तक उनके साथ ड्रिंकिंग करते और उनको प्रोत्साहन देते उसी तरह की क्लास आज भी हमारे सामने मोनस्टर के रूप में खड़ी है । वह समय तो समाप्त हो गया । मैं एक प्रश्न आप से पूछता हूँ कि हमारा इलाका क्या ऐसा खतरनाक इलाका है ? क्या हम कबायली हैं ? क्या हम सारे ही कातिल हैं ? ऐसी बात नहीं है । हमारे यहां ऐसे भी पुलिस ऑफिसर आये जिनकी प्रसंशा भी करते हैं । हाल ही में इलेक्शन्स में गंगानगर में सिपाही से लेकर पटवारी और क्लेक्टर आदि ने बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से काम किया ।

मगर जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, अगर कोई नेक आदमी इलाके में जाता है तो उसको खतरा रहता है । शहर में माल-करेक्टर शराब की बोतलें लिये हुए झुंड के झुंड फिरते हैं । हर बोर्डर विलेज में स्मगलिंग होता है, खुले आम जुआ होता है और किसी भी छोटे-मोटे झगड़े को लेकर मर्डर केसेज होते रहते हैं ।

हांलाकि वक्त कम है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक गांव में बड़े आदमी के रिश्तेदार को मार दिया । लेकिन किसी की हिम्मत तक नहीं हुई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देने को । उसको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराते हैं । डॉक्टर का फर्ज था कि ऐसे ग्रीवियस हर्ट के संगीन केस के बारे में सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता, पर उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और तीन रोज बाद वह आदमी वहां अस्पताल में मर जाता है । उसका नाम जसा था । तो इस ढिलाई के कारण भी माल-करेक्टर पंजाब से भाग कर आये और भारी तादाद में गंगानगर में हैं । पुलिस की इस लापरवाही के कारण, ढिलाई के कारण उनको सहारा मिलता है और मामूली झगड़ों पर, घरेलू झगड़ों पर, पानी के बंटवारे के झगड़ों पर वहां आमतौर पर कत्ल होते हैं । तो कमेटी मुकर्रर करके, स्पेशल कमेटी द्वारा जांच करवाई जाय उस इलाके के जुर्मों के बारे में कि कौन से केसेज मामूली झगड़ों के कारण हुए, कौन से केसेज सामाजिक झगड़ों के कारण हुए, कौनसे पुलिस की ढिलाई के कारण हुए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री केदारनाथ)

इसकी जांच जब तक नहीं होती तब तक पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हो सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदय, समयाभाव में उदाहरण देकर यदि प्रकट किया जाय कि पुलिस किस किस प्रकार की कार्यवाहियां करती है और उससे जनता किस प्रकार पीड़ित है, तो यह इतने कम समय में कहना असम्भव है। मैं केवल यही निवेदन कर देना चाहता हूं कि पुलिस के कारनामों को देख कर जनता में असन्तोष है। यह जनता मानती है और जो प्रोनाउन्समेंट, अनुभूतियां न्याय मूर्तियों द्वारा दिए गए हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं जैसा कि "In persuance of this liberalised policy of law and also having regard to the present democratic set up under the Constitution and its humane spirit, as distinguished from the bureaucratic system that prevalied before, let us pause and consider one aspect of the matter which may conclusively settle the question. Those who have got long experience of the Law and Law-Courts realise that there are cases (however few and far between they may be) when the police under the colour of its duty directs its energies towards harassment and persecution of a person, who ought to have been left alone."

इस प्रकार के प्रोनाउन्समेंट होते हैं तो मालूम होता है कि पुलिस में व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरी दृष्टि में अनेक कारणों में से एक कारण और मुख्य कारण जो है उसे मैं मन्त्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। वह यह है कि जो स्थानान्तरण तबादले पुलिस ऑफिसर्स के होते हैं उनमें टॉप-रैंकिंग ऑफिसर्स का अनुचित हस्तक्षेप भी हो सकता है। पुलिस के ऑफिसर्स सेवा करने के लिये रखे जाते हैं, पर जनता जानती है कि जनता की सेवा करने के स्थान पर उनके द्वारा कितना जुल्म और अन्याय हो रहा है और जनता किसी स्थानान्तरण के लिये मांग करती है तो वह अधिकारी अनुचित दबाव डालता है और कुछ व्यक्तिगत केसेज में तो मन्त्री महोदय भी इन्ट्रेस्टेड होते हैं कि किसी पर्टीक्यूलर हल्के में किसी पर्टीक्यूलर पुलिस ऑफिसर को ही नियुक्त किया जाय, जिससे कि व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति होती हो। यही कारण है जिसकी वजह से हम जिस पुलिस ऑफिसर से सेवा नहीं कराना चाहते उसको सेवा करने के लिये हम पर थोपा जाता है। तो इस पर मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिये कि स्थानान्तरण का प्रश्न आये तो यह मालूम कर लेना चाहिये कि जनता किससे सेवा करवाना चाहती है, किससे सेवा करवाना नहीं चाहती।

चोरियों के रोकने का जहां तक सवाल

(श्री दुर्गालाल भाड़दार)

है, पुलिस की गश्त होती है, एडीशनल सिपाही चलते हैं। एक चौराहे से दूसरे चौराहे की सिटी को रेस्पोन्ड कर लिया तो गश्त का काम पूरा हो गया। पहले चौकीदारी सिस्टम चालू किया था पुराने जमाने में करीब करीब सभी जगह चौकीदारी सिस्टम था। हमारे यहां पर भी चौकीदारी सिस्टम चालू किया गया था। दो तीन मोहल्लों में से वहां के रहने-वालों में से ही आदमी बांट लिये जाते थे और उनको चौकीदार रखा जाता था। वे लोग उस मोहल्ले में रात के १० बजे से सुबह ४ बजे तक ड्यूटी देने के लिए मुकर्रर किये जाते थे। वे लोग चौराहे पर खड़े हो जाते थे और देखते रहते थे कि कोई दूसरे मोहल्ले का तो उनके मोहल्ले में नहीं जा रहा है। वे लोग वहां के रहनेवाले होने के कारण सब मोहल्ले वालों को जानते थे और कोई भी आदमी जो उस मोहल्ले का नहीं है और उधर से कुछ सामान लेकर गुजरता है तो वे उसको पूछते थे कि कहां से आये हो, कहां सामान ले जा रहे हो। और इस तरह उनको शक हो जाता था कि यह चोर हो सकता है तो उसको पकड़ लेते थे। इस प्रकार की व्यवस्था ठीक रूप से कर दी जावे तो चोरियां भी कम हो सकती हैं और खर्चा भी कुछ कम हो सकता है। अगर चौकीदारी सिस्टम पर पूर्ण रूप से विचार नहीं करते और आप रक्षा करने के लिए ऐसे आदमियों को रखते हैं जो उस मोहल्ले के आदमियों को नहीं जानते तो न लोगों की रक्षा हो सकती है और न चोरियां ही बन्द हो सकती हैं। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि कुछ चौकीदारों को, जिनकी कि तनख्वाह भी कम है, एंगेज करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चोरियों की रोक-थाम के लिए एक प्रतिबन्ध लगा रखा है, रात को रिक्शेवालों, तांगेवालों को गलियों में जाने को परमिट नहीं करते। इससे कोई रुकावट चोरियों में नहीं आती। रिक्शेवाले सवारीवाले सिपाहियों को कुछ देकर चले जायेंगे। तो इस तरह के प्रतिबन्ध से कोई विशेष लाभ नहीं। अगर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो यह करिये कि रिक्शेवाला ५ मिनट का समय लेकर जावे और वापिस आ जावे। इससे सवारियां तकलीफ नहीं पावेंगी। यह मेरा सुझाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा लास्ट पोइन्ट यह है कि इन्वेस्टीगेशन के दौरान में जाब्ता फौजदारी का यह आदेश है कि as soon as possible–जितना जल्दी हो सके–इन्वेस्टीगेशन पूरा करके चालान पेश कर दिया जावे, जल्दी से जल्दी तफतीश को खत्म करके चालान पेश किया जाय। पर आज ऐसा नहीं होता है। मुकदमों के चालान पेश नहीं किये जाते और उनको लटकता हुआ रखा जाता है। कई लोग चिल्लाते हैं कि हमारे साथ इन्साफ होना चाहिये, कोर्ट में चालान पेश किया जाना चाहिये ताकि कोर्ट से इन्साफ मिले। पर न चालान पेश किया जाता है और न फाइनल रिपोर्ट देते हैं। इस पर भी विचार किया जाकर व्यवस्था दी जानी चाहिये। इसकी व्यवस्था नहीं करते तो पुलिस के बारे में असंतोष रहेगा।

श्री सभापति : श्री मानसिंह !

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष बहुत कम समय होने के कारण बहुत कम बातें रख सकूंगा। पुलिस का ऐसा महकमा है कि इस पर दो घंटे तक भी कहा जाय तो वह कम है। इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। जब तक इसे रोकने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाया जायगा तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि पुलिस के जो नॉन गजेटेड अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय। गजेटेड ऑफिसर्स टूर पर जाते हैं तो जो थानों में सुरा का इन्तजाम किया जाता है उसके लिए छोटी तनख्वाह में से कैसे दिया जा सकता है? ऐसे गजेटेड ऑफिसर हैं जो घर पर तो दारू मांस खा नहीं सकते और थानों को ऐशोआराम की जगह समझते हैं। इसमें पांच-पांच, दस-दस हजार रुपया खर्च हो जाता है। इसका ताजा नमूना हमारा चौमू का थाना है, जहां हमारे डी. एस. पी. साहब पधारते हैं तो उनके लिए शराब और मांस का इन्तजाम किया जाता है। आमेर डी. एस. पी. साहब घर पर शराब नहीं पी सकते। वे डिनाई करें तो तीन महीनों के अन्दर अन्दर रेड हैंडेड पकड़ा दूंगा।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में जो तरक्कियां दी जाती हैं उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो तरक्कियां दी जायं वे सीनियोरिटी को देख कर दी जानी चाहिये, कृपा—पात्रों को आंखें मींच कर नहीं देनी चाहिये। सबसे अधिक यह काम सी. आई. डी. विभाग में चल रहा है। चन्द कृपा-पात्र लोगों को बिना किसी प्रकार की सीनियोरिटी के देखे ही प्रोमोशन्स दिये जाते हैं। किसी को आर. ए. सी. से लाकर थानेदार बना दिया, किसी नॉनमेट्रिक को थानेदार बना दिया, पचासों आदमियों को सीनियोरिटी का बिना खयाल किये प्रोमोशन दे दिया गया। इसकी जांच के लिए कमीशन बैठाना चाहिये। सी. आई. डी. के वर्तमान डी. आई. जी. को तीन, चार साल हो गये। वे मिनिस्टरों को खुश रखने में माहिर हैं। हम लोगों के पीछे सी. आई. डी. लगा कर हमारी बातें मिनिस्टरों को कह कर खुश रखते हैं, जनता का काम नहीं करते। इन्ही कामों में लगे रहते हैं। एक थानेदार राजपूत नवयुवक संघ की बातें लाकर देता है। महीने में १५ दिन गांव रहता है। युवक संघ की सच्ची खबरें देता हो, ऐसी बात नहीं, झूंठी बातें देता है। उसका नाम देवीसिंह सब-इन्सपेक्टर है। उसको आर. ए. सी. से स्पेशल ट्रान्सफर करा कर लिया गया है। इतनी भारी अनियमितता कि जिसकी कोई हद नहीं है। आर० ए० सी० से उसको लाया गया और सब-इन्सपेक्टर अपोइन्ट किया गया और वे डी० आई० जी०, सी० आई० डी० के खास कृपा—पात्र हैं। लोगों को गांवों में जाकर कहते हैं कि कहो जो करने को तैयार हूं....

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

अभी तीन मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : राजस्थान के नये गृह मन्त्रीजी आये हैं। नये नये सुधार कर रहे हैं। मैं उनको उनके लिए मुबारकबाद देता हूं।

(श्री मानसिंह महार)

जब तक वर्तमान डी० आई० जी०, सी०-आई० डी० का ट्रान्सफर नहीं होता है यह अनियमिततायें खत्म नहीं होंगी। राजस्थान में पुलिस के अत्याचारों के उदाहरण एक नहीं, हजारों दिये जा सकते हैं। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में एक नांगल नाड़ी करके गांव है। वहां पर एक बैल चोरी गया। मैं बताता हूं कि पुलिस किस प्रकार से अत्याचार करती है। गरीब किसान ने १५ दिन तक मारे-मारे फिर कर उसकी तलाश की और मोरीजा के सुआ मीणा के यहां जाकर उसने उस बैल को पकड़ लिया। २०-२२ आदमी उस किसान के साथ गये और उसके घर को घेरे बैठे रहे, क्योंकि वह बैल देने के लिए तैयार नहीं था। आखिर तीन आदमी चौमू थाने में आये और वहां आकर उन्होंने इसकी शिकायत की कि बैल मौजूद है, या तो आपको उसको कुर्क करके लाना चाहिये, नहीं तो इधर उधर हो जायगा। आप चलिये और बैल को कुर्क करिये। जो आदमी थाने में शिकायत करने गये थे उन आदमियों को बलवे में फांस दिया गया। वहां थानेदार और हैड कॉन्स्टेबल कोई आलमखां है, उन्होंने उनका बलवे के अन्दर चालान कर दिया। यह सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। बलवे में उनका चालान करके बैल के लिये उन्होंने कुछ नहीं किया। अदालत से वे लोग बरी हो गये जिन पर बलवे का मुकदमा चलाया गया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। जब उसके लिए कहा गया कि बैल कहां है तो कहा कि पता नहीं। सुआ मीणा ने या तो बैल ले जाकर हटवाड़ा में बेच दिया या पता नहीं क्या किया। थानेदार को कहा गया तो कहते हैं कि प्रोपर्टी नहीं है तो तफ्तीश किसकी करें। फाइनल रिपोर्ट दे दी। उस मामले में सुआ मीणा ने उस थानेदार और हैड कॉन्स्टेबल को, जब वे बैलवाले लोग थाने में रिपोर्ट करने गये थे, उससे तीन दिन पहले ही ७००) रुपये दे दिये। और उन लोगों को थानेदार ने कहा कि ६००) रुपये दो तो मैं बैल को कुर्क कर सकता हूँ। इस तरह गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री सभापति : श्री हरिकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय,....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मेरा कटौती प्रस्ताव पहले है।

श्री सभापति : I am sorry.

(विराम)

श्री राधाकृष्ण गोयल।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभापति महोदय, जहां तक पुलिस के सम्बन्ध में शिकायतों का ताल्लुक है, यहां सभी ओर से शिकायतों की आवाज आ रही है। यह भी एक आम बात है कि इस प्रशासन के लिए पुलिस विभाग आवश्यक और अनिवार्य अंग है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि इन शिकायतों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

है। मेरा खयाल है कि जो कुछ सुझाव मैं पेश करता हूँ उन पर अगर गृह मन्त्री महोदय ध्यान दें तो शायद कुछ लाभ हो।

पहली बात तो यह है कि जो उच्चाधिकारी दौरों पर जाते हैं वे अपने मातहत कर्मचारियों से किसी प्रकार का खर्चा न करावें। उसके कारण जो उनके पास से खर्चा होता है उसकी पूर्ति करने के लिए उनमें गलत आदत पड़ जाती है और एक प्रकार से घूंसखोरी का वातावरण बन जाता है।

दूसरी बात इसी प्रकार की यह है कि उच्चाधिकारी अपने मातहत अधिकारियों से किसी भी समय तोफा स्वीकार न करें। दैनिक कार्यक्रम में या शादी, विवाह के वक्त भी किसी प्रकार का तोफा स्वीकार न करें।

तीसरी बात यह है कि सब जगह नहीं तो कई जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कभी कभी तो इससे भी ऊंचे स्तर पर ऐसा सुनने को मिलता है कि ऐसे ऐसे जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो अपने मातहत अधिकारियों की अनुचित आय में से हिस्सा लेते हैं। इसके लिए बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखा जावे कि इस प्रकार की आदतों का वे पूर्णतया त्याग कर दें।

चौथी बात यह है कि राज्य से जो सहूलियतें पुलिस विभाग को दी जाती हैं, जैसे मेडिकल एड आदि, वे अधिकतर जो ऊंची तनख्वाह पाने वाले हैं या जो ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं उन्हीं के प्रयोग में अधिक आती हैं और निम्न स्तरीय कर्मचारियों को उनसे महरूम रहना पड़ता है, जिससे असंतोष की भावना बढ़ जाती है। इस पर विचार होना चाहिये। साथ ही उच्च स्तरीय अधिकारी निम्न स्तरीय कर्मचारियों के दैनिक काम में हस्तक्षेप न करें, उनके स्थानान्तरण, उनकी तनज्जुली और तरक्की के लिये पक्षपात न करें तो पुलिस विभाग पर अच्छा असर पड़ सकता है और मजबूती की भावना पैदा हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आखिरी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि उनसे खर्चा कुछ अब तक बनी हुई परम्पराओं के कारण और कुछ अधिक खर्चीली आदतें पड़ जाने के कारण ज्यादा हो जाता है। उनको उनकी तनख्वाहों में अपना और अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है और अधिकतर निम्न स्तरीय अधिकारी हैं उनकी आदतें ऐसी पड़ गई हैं कि वे कुछ न कुछ ले ही लेते हैं। तो उनके खर्चे में भी कमी हो। साथ ही उनकी पे स्केल की ओर भी ध्यान दिया जाय और उनको यदि ड्यूटी अलाउन्स के रूप में कुछ दे दिया जाय तो उनकी गलत आदतें कम हो सकती हैं। और इस पर भी उनकी आदतें कम न हों तो फिर राज्य सरकार राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर ऐसी कमेटियों का निर्माण करे जो उच्चाधिकारियों को सलाह दे और यह देखती रहे कि हमारे हर जिले में और गांव में पुलिस का जो सही भावना से काम होना चाहिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह किस प्रकार से उनके द्वारा हो। उनके

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

उत्साह में किसी प्रकार की कमी तो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं आ रही है ताकि वे आगे जाकर अच्छी सेवा भावना लिये हुए अच्छे अधिकारी बन सके ।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, मैं मेरे तीन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए........

श्री सभापति : Make your speech very short.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I think, I am perhaps the last speaker and there are ten minutes left.

श्री सभापति : Only seven minutes.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में हमने यह महसूस किया है कि वास्तव में राजस्थान में कोई गृह मन्त्री ही नहीं है । डी जोरे गृह मन्त्री रहे होंगे लेकिन डीफेक्टो रूप में गृह मन्त्री राजस्थान में है या उनकी कोई नीति है, या कोई उनका प्रशासन है, ऐसा हमने महसूस नहीं किया है । जो नये गृह मन्त्री आये हैं वे डी जोरे गृह मन्त्री नहीं रहेंगे बल्कि डीफेक्टो गृह मन्त्री बनने की कोशिश करेंगे । आज राजस्थान में जो पुलिस की स्थिति है उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं उनका विवरण नहीं देना चाहता । मैं केवल पत्रकारों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां पुलिस की ओर से हुई हैं उस संबंध में कहना चाहूंगा । उनके साथ हथकड़ी कांड हुए और पुराने गृह मंत्रीजी के कारण उनकी मुकम्मिल जांच नहीं हुई और जो पुलिस अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कोई वाजिब कार्यवाही नहीं हुई ।

(११.० म. पू.)

मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ । एक पुलिस अधिकारी, जिसने एक पत्रकार के हथकड़ी डाली थी और जिसको उस हथकड़ी कांड में सस्पेन्ड किया गया था, रतनगढ के श्री सरजूप्रसाद शास्त्री की जिसने मार-पिटाई की थी, उस सस्पेन्डेड पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो पुलिस विभाग को शिकायत की गई वह सब साबित हो गई । उसके बावजूद भी उस पुलिस अधिकारी को पुनः रीइन्स्टेट कर दिया गया, बिना किसी प्रकार की इन्क्वायरी के । अभी वह उसी जगह काम कर रहा है । श्री सरजूप्रसाद पर चोरी का अभियोग लगाया गया था । आखिर में जांच करने पर वह झूंठा साबित हुआ । उनके लड़के का चोरी के अभियोग में चालान किया गया । श्री सरजूप्रसाद पर बनाया गया केस झूठ साबित हुआ और पुलिस के खिलाफ जितने भी आरोप लगाये गये थे वे सब सही साबित हुए । उसके बावजूद भी उस सस्पेन्ड किये हुए पुलिस अधिकारी को वापिस उसी जगह पर लगा दिया गया । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पत्रकारों के साथ जितने हथकड़ी कान्ड हुए उनके बारे में वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की रिपोर्ट है,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पत्रकार सम्मेलन की रिपोर्ट है, उन्होंने इस बारे में जांच की है और विस्तृत रूप से जांच की है, उनसे इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया है, उनके साथ कड़ाई के साथ व्यवहार किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की कस्टडी में जितने लोगों की मृत्यु हुई उनके बारे में जनसंघ दल के नेता ने बताया कि केवल १७ कांड हुए। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये फिगर्स गलत हैं। वे रेकॉर्डेड फिगर्स है। इसके अलावा ७५ प्रतिशत हत्यायें और हुई हैं जो पुलिस के रेकॉर्ड में नहीं आयी है। मैं इसके बारे में एक ज्वलन्त उदाहरण आपके सामने रखूंगा। ७ मार्च, १९६२ को गांव—दूदू के अन्दर पुलिस की कस्टडी में एक हत्या हुई जिसकी इत्तला न पुलिस विभाग को है और न सी० आई० डी० विभाग को। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन के सदस्यों की एक समिति बनायी जाय। इस दूदू कांड में जिसकी हत्या हुई उसके सम्बन्ध में इस समय नहीं बतला सकता, क्योंकि समय बहुत कम है। सदन के बाहर आप जितने भी सुबूत इसके लिये चाहेंगे मैं देने के लिये तैयार हूँ। मैं स्पष्ट रूप से साबित करूंगा कि पुलिस के सब इन्सपेक्टर और पुलिस कॉन्स्टेबल्स ने मिल कर यह हत्या की है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि पुलिस कस्टडी में जितनी भी हत्यायें हुई हैं उनके लिये एक नॉन-ऑफिशियल कमीशन की नियुक्ति की जाय, जिसमें ट्रेजरी बेन्चेजके चार सदस्य हों और विरोधी पक्ष के चार सदस्य हों और उस समिति का अध्यक्ष होम मिनिस्टर साहब किसी को भी नियुक्त कर दें। इस तरह से ९ व्यक्तियों का कमीशन हो जो पुलिस कस्टडी में हुई मृत्युओं की जांच करे कि उसमें पुलिस का कितना जुल्म है। अगर उसमें पुलिस का हाथ साबित हो जाय तो उसके लिये सख्त से सख्त कदम सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिये।

श्री अमरसिंह (दूदू) : दूदू का जो केस बताया है उसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। मैं वहीं से आया हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह कोई जरूरी नहीं कि आप उस क्षेत्र से आये हैं तो आपको वहां की सब जानकारी हो। लेकिन मैंने जो निवेदन किया है वह बिल्कुल सही है। उसके बारे में आप डिटेल्स चाहेंगे तो मैं सदन के बाहर आपको और मिनिस्टर महोदय दोनों को दे दूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था जो ९ आदमियों की कमेटी बने उसको पुलिस हैड क्वार्टर पर जाना चाहिये और जो भी पब्लिक के केसेज हों उनकी जांच उनके द्वारा होनी चाहिये। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके घर वालों को, उनकी विधवाओं को, बड़े-बूढ़ों को कम्पन्सेशन देने की व्यवस्था होनी चाहिये। वह चालीस रुपया माहवार और पचास रुपया माहवार तक हो सकता है। जब तक गवर्नमेंट क्षमा का एटीट्यूड नहीं बनाती इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आनेवाला है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आज पुलिस विभाग में और इसके प्रशासन में सबसे ज्यादा कमी इस बात की है कि पुलिस में कॉन्शस नहीं, मेनर्स नहीं और मॉरेल नहीं। यह एक बहुत बड़ा चार्ज है पुलिस विभाग पर और गृह मन्त्री महोदय पर। उन्हें चाहिये कि पुलिस में कॉन्शस एक्सपान्ड करने के लिए पुलिस के ऑफिसरों के व्यवहार को सुधारें। पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी आई० जी० पी० हैं। डूंगरगढ़ में जब म्युनिसिपल कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, उस समय वे वहां से पास हो रहे थे। उस समय उनको वहां की हड़ताल के बारे में कहा गया तो वे कहते हैं कि क्या हुआ इससे, हमने अकालियों के आन्दोलन को दबाया है, राज डरने से नहीं चलता। आई० जी० पी० का पब्लिक एजीटेशन के साथ इस प्रकार का दृष्टिकोण होता है तो निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति कॉन्स्टेबल्स आदि का क्या दृष्टिकोण हो सकता है, यह सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि आज के परिवर्तित युग में पुलिस को अपने रुख में परिवर्तन करना होगा। उनके मेनर्स, उनके कॉन्शस आदि को बदलने की जरूरत है। इसके अलावा गृह मन्त्री महोदय ने जिला स्तरीय एडवाइजरी कमेटियों की भी घोषणा की है। मैं एडवाइजरी कमेटीज़ के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि इसमें राजनैतिक दखलअन्दाजी होने का ज्यादा अन्देशा है। दखलअन्दाजी का जहां तक प्रश्न है, एम० पी० और एम० एल० एज० को रखने का आपने सुझाव दिया है और उसके साथ साथ, प्रतिष्ठित नागरिकों के नाम पर कांग्रेसियों को ले कर के आप एडवाइजरी कमेटियों का निर्माण कर देंगे तो इसका पोलिटिकल असर एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा। मैं इस बात का विरोधी नहीं, पुलिस के ऑफिशियल्स पर पब्लिक के रिप्रजेन्टेटिव का कन्ट्रोल रहना चाहिये। यह एक प्रकार की एडवाइजरी कमेटी बने, उसकी एडवाइस को एस. पी. माने या न माने तो उससे क्या हल निकलनेवाला है ? आप यह चाहते हैं कि पब्लिक की आवाज उसमें हो तो आप जिला परिषद् को अधिकार दीजिये कि वह एस० पी० को अपने कन्ट्रोल में रखे। एस०-पी० डाइरेक्टली उनसे रेस्पोन्सिबल हो। जिला परिषद् को आप इस प्रकार के अधिकार दे दें कि वह एस० पी० के कार्य की देखरेख करे, उसके कार्यों की डिटेल्स में जाय। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो। डेमोक्रेटिक जो सेट अप है उसके अन्दर दस एम.एल.एज. को रखने के बजाय डाइरेक्ट जिला परिषद् के सुपुर्द उसको कर दें। इससे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेन्सी आयेगी और जनता का भी उसमें विश्वास बढ़ेगा।

इसके साथ साथ मैं चार-पांच घटनायें आपके समक्ष रख देना चाहता हूँ। गंगानगर जिले के अरायण के अन्दर....

श्री सभापति : ये तो आप बाद में भी दे सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन सारी नीतियों के बारे में मैंने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। एक बात अन्त में निवेदन कर देना चाहता हूँ, वह है डाकू जगमालसिंह के पकड़ने की बात। उसको पकड़ने में हमारा पुलिस विभाग नाकामयाब साबित हुआ है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं। बीकानेर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

डिस्ट्रिक्ट के अन्दर वह इधर उधर घूमता रहता है और कहा यह जाता है कि वह पाकिस्तान में रह रहा है। पिछले तीन महीनों से बराबर यह डाकू बीकानेर के इधर उधर गांवों में रहता रहा है । यह पुलिस विभाग को मालूम है, इसके बावजूद भी पुलिस विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है । हमने यहां तक देखा है कि आर० ए० सी० के एक कर्मचारी श्री गणेशसिंह के यहां, उसके घर में मंगलसिंह डाकू की बन्दूक मिली है । उस केस को रफा-दफा कर दिया है । मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के मामलों में कड़ाई के साथ रुख अपनाना चाहिए । तीन महीने के भीतर भीतर डाकू जगमालसिंह को आप पकड़ नहीं सके तो यह मंत्री महोदय को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए । इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन को अब जनता ज्यादा बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस विभाग के बारे में बहुत सारे सुझाव सदन के सामने रखे । मैं शुरू में यह निवेदन करना पसन्द करूंगा कि जो भी सुझाव आपने रखे हैं उनको हमारा पुलिस विभाग बहुत इज्जत से देखता है और जिस तरह से भी हमारे से मुमकिन हो सकेगा, आपके सुझावों के ऊपर गौर करके उनको अमल में लाने की कोशिश करेंगे । आशा यही की जाती है पुलिस विभाग से । मैं यह मानता हूं पुलिस विभाग, इसे चाहें या न चाहें, सरकार का अनिवार्य अंग है । हमारे देश का विकास, हमारे देश की प्रगति, हमारी योजनाओं की प्रगति देश में नहीं हो सकती जब तक देश के अन्दर लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक न हो ।

देश का हर नागरिक यह चाहता है कि उसको अमन से रहने का मौका मिले और पुलिस का यह फर्ज है कि वह मौका लाने के लिये नागरिक को सहयोग दे ।

पुलिस का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है । सदन का समय उस इतिहास में जाकर मैं लेना नहीं चाहता । मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि पुलिस हर शासन में और हर मुल्क में रही है । आप दुनिया की किसी भी शासन व्यवस्था को देखें, चाहे साम्यवादी शासन को देखें, चाहे समाजवादी शासन व्यवस्था को देखें, चाहे किसी इम्पीरियलिस्टिक शासन व्यवस्था को देखें, पुलिस का काम सब व्यवस्थाओं में पड़ता है । यहां तक कि साम्यवादी देशों में भी पुलिस का अपरेटस कम नहीं हो पाया है ।

तो पुलिस हमारे इस देश में और हमारे इस प्रदेश में भी रहेगी । हां, अब हमें यह सोच कर चलना होगा कि जिस तरह से समाज की सोशल एक्टीविटीज में आज परिवर्तन आया है उसी तरह इस पुलिस के कार्यक्रम और रंग-ढंग में भी तब्दीली लाई जावे । इस मायने में मुझे खेद है कि जनता का ट्रस्ट इस विभाग को जितना हासिल करना चाहिये था वह इन वर्षों में हासिल नहीं कर पाया है और इसीलिये सदन के इस ओर बैठने वाले और-उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने पुलिस के कार्यों पर और पुलिस

Page No 68

(श्री मथुरादास माथुर)

विभाग पर काफी तेजी और तीव्रता से टीका-टिप्पणी की है। कहा गया है कि हमारा यह प्रयत्न रहे कि पुलिस का नुक्ते निगाह जो आज है सोचने का, चिन्तन का जो आज उसका दृष्टिकोण है, उसमें बहुत बड़ा इन्कलाब लाया जावे। मैं इस विचारधारा का स्वागत करता हूं और मानता हूं कि पुलिस हमारी जान माल की सुरक्षा के लिये या एन्टी सोशल एलीमेन्ट्स से हिफाजत करने के लिये ही नहीं है, पर हमारे संविधान में जो नागरिकों को फण्डामेन्टल अधिकार दिये गये हैं उनकी भी सुरक्षा हो और उन अधिकारों का उपभोग करने में जनता को एन्टी सोशल एलीमेन्ट रोक न सकें, इन सब की देखभाल करने के लिये भी पुलिस की जिम्मेदारी पुलिस समझे। इस दृष्टिकोण से इस सारे पुलिस विभाग में, उसके सोचने के तरीकों में रिओरियन्टेशन लाना पड़ेगा। पुलिस ट्रेनिंग में हमें कुछ ऐसी बातें डालनी पड़ेंगी कि वह भी बदलते हुए समाज से मेल खा सके, जनतन्त्र की नींव को मजबूत करने में अपना उचित योगदान दे सके और छोटे से छोटे तबके के आदमी को ऊपर उठा कर समाज को सबल बनाने में अपना योग दे सके। तो इसके लिये हमें पुलिस में भी काफी तब्दीली लानी पड़ेगी। यह नई विचारधारा जो देश में पैदा हुई है उससे हमारे शासन में और खास तौर से पुलिस विभाग की व्यवस्था में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इस बारे में माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इनको मैं और मेरी सरकार अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इतना मैं निवेदन करदूं कि यह कार्य कठिन है। सदियों से समाज का एक तरीका चला आता है, कन्जर्वेटिव शक्तिवादी विचार-धारा उसको जिस तरह चाहे बदल देना एकाएक कठिन है, उसी तरह पुलिस भी जो उसी समाज का एक अंग रही है, उसे भी हम धीरे धीरे और साहस, हिम्मत से और आपके सतत् सहयोग से ही बदल सकते हैं।

राजस्थान में ३२ हजार पुलिस के कर्मचारी हैं। जिनमें पढ़े-लिखे कम हैं, बे-पढ़े-लिखे ज्यादा हैं। वे सदियों से एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली में पनपे हैं। उनमें एक दम तब्दीली नहीं आ सकेगी। धीरे धीरे ही लाने का प्रयत्न किया जा सकेगा। इसलिये मैं आप से भी अपील करूंगा कि आप भी इसमें पूरा सहयोग दें। हल्के हल्के हम आशा करते हैं कि जमाने की तब्दीली के साथ यह विभाग भी बदलेगा और जो आशाएं आप और हम लेकर चलते हैं, एक दिन वे फलीभूत होंगी। हम इसके लिये बराबर प्रयत्नशील रहेंगे। काम कठिन है, इसलिये इसे आगे के लिये हम टाल दें, यह भी सम्भव नहीं है। कभी न कभी तो हमें यह काम शुरू करना पड़ेगा। कठिन है, इसलिये हताश होकर बैठ जाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिये आपके आशीर्वाद से और सहयोग से हम इसका श्रीगणेश तो करते हैं और आगे यह आशा लेकर चलते हैं कि भविष्य में आपका सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा, ताकि इस विभाग के द्वारा जो सेवा हम जनता की सही मायने में करना चाहते हैं उसे हम पूरी तरह कर सकें।

(श्री मथुरादास माथुर)

इतनी बात कहने के बाद मैं माननीय सदस्यों ने जो इस डिमान्ड पर अपने अपने विचार रखे हैं और जो बड़े बड़े मुद्दों पर कहा है उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं यह आपको पहले बता देना चाहता हूं कि मैं और मेरी सरकार यह महसूस करती है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीकों में इन्कलाब आना चाहिये। नये विज्ञान के सहारे हमें अपने तरीकों में भी वैज्ञानिकता लानी चाहिये। इस बारे में दिए गए सुझावों का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारा विभाग इस ओर जागरूक है। जो नये वैज्ञानिक साधन मिले हैं हमने उनकी लेबोरेटरी कायम की है। मनोवैज्ञानिक तरीकों को काम में लाना प्रारम्भ किया है। हमने इनका श्रीगणेश किया है। पर इसमें काफी धनराशि की आवश्यकता है। जिस सीमा तक हम कर सके हैं, हमने किया है।

यह भी कहा गया कि पुराने फिजिकल मैथड जो सदियों से चले आते हैं उनको भी वैज्ञानिक ढंग में बदला जाना चाहिये। यह भी जहां तक धनराशि हमें परमिट करती है, हम करने में प्रयत्नशील हैं।

यह भी कहा गया कि पुलिस कर्मचारियों का वेतन कम है। छोटे कर्मचारियों का वेतन बढना चाहिये। मैं आपकी इस विचारधारा से पूरी तरह सहमत हूं। कोई नहीं चाहता कि अपने मातहतों को कम तनख्वाह मिले। पर जितनी धनराशि यह सदन हमें दे सकेगा उतनी ही तो हम तनख्वाह बढ़ा सकते हैं। इसलिये इसमें भी आपका सहयोग हमें मिलना चाहिये। पर देखने में यह आता है कि जब रिसोर्सेज बढ़ाने की बात कह कर हम यहां आते हैं और टैक्सेशन की बात कहते हैं तो उतना उत्साह आप उस वक्त नहीं बताते। इससे ऐसा भी कभी लगने लगता है कि आप शायद उन छोटे कर्मचारियों को केवल खुश भर करने के लिये कहते हैं। अगर आप इस इरादे से कहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है। पर वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़े तो मेरे हाथ आपको मजबूत करने होंगे।

इसके अतिरिक्त यहां सदन में भी और सदन से बाहर भी कई सुझाव रखे जाते हैं और हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भी रखे गये हैं। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ दिनों पहले यह घोषणा की थी कि हमारे यहां पर एक पुलिस कमीशन कायम करेंगे जो नये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने रख कर पुलिस विभाग के पुनर्गठन के बारे में हमें क्रियात्मक सुझाव दे सके और जिससे हम जनता की सेवा करके उसकी उम्मीदें पूरी कर सकें। यह बात मद्दे-नजर रख कर उन्होंने कुछ महीने पहले यह घोषणा की थी। सदन में बहस के दौरान यह कहा गया कि वह कमीशन आज तक नहीं बन पाया। मैं इसके कुछ कारण बताता हूं। भारत सरकार के और खास तौर से भिन्न भिन्न प्रान्तों के इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं उन्होंने मिल कर इस बारे में चर्चा की थी। कइयों ने अपने अपने यहां इस तरह के अलग अलग कमीशन मुकर्रर किये थे। इस पर भारत सरकार ने यह सुझाव दिया कि उन सब कमीशनों की रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री एग्जामिन करे और सब की जांच करके, छान-बीन करके भारत सरकार भी इसमें

(श्री मथुरादास माथुर)

कुछ सुझाव रखे। हम उन सुझावों का इन्तजार कर रहे थे कि वे आ जावें तो मुमकिन है हमें भी फायदा मिले। पर वे अभी तक नहीं आ पाये हैं। पर हम ज्यादा दिन इन्तजार करना भी मुनासिब नहीं समझते। इसलिये सरकार ने यह फैसला किया है कि शीघ्र ही इस कमीशन की नियुक्ति कर दी जावेगी। यह होने के बाद हम इस आशा को लेकर चलते हैं कि आपका भी सहयोग हमें बराबर मिलेगा। इस कमीशन के सामने जाकर माननीय सदस्य भी अपने अपने विचार और सुझाव पेश करेंगे।

इसके बाद में माननीय सदस्यों ने इस विभाग के अन्दर कटौती की कुछ बातें कही। पुलिस विभाग के पर-कैपिटा एक्सपेन्डीचर के बारे में भी कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर-कैपिटा की बात दूसरी स्टेट्स के मुकाबले आंका जावेगी तो दिक्कत महसूस होगी। इसका कारण यह है कि हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत लम्बा-चौड़ा है और काफी लम्बा बोर्डर एरिया है। दूसरे चम्बल के रेवीन्स हैं। जो हमें ही नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को हमसे भी ज्यादा परेशान करते हैं। बीच में अरावली के पहाड़ों की लम्बी श्रृंखला है, बड़े बड़े रेगिस्तानी हिस्से हैं इसलिये आबादी के लिहाज से हम मुकाबला नहीं कर सकते। आप यह भी आशा रखेंगे कि कम से कम आबादी वाले जैसलमेर, बाड़मेर जो हैं उनमें ७५ सौ स्क्वायर मील पर एक थाना रखना ही चाहिये, चाहे आबादी वहां की दस हजार की ही हो। तो इसलिये भी हमें अधिक खर्चा करना होता है। हिन्दुस्तान का ८०० मील लम्बा बोर्डर भी है जिसकी देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी है। तो इन हालतों को देख कर पर-कैपिटा ज्यादा ही नजर आवेगी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम करीब करीब दूसरी रियासतों के बराबर हैं। मैं कह सकता हूं इनके मुकाबले में भी हमारी पुलिस फोर्स ज्यादा नहीं है, बल्कि पंजाब और दूसरी कुछ जगहों से कम है।

जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ क्राइम्स बढ़ गए हैं। हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो इस मामले में बहुत बड़े कलाकार हैं उन्होंने सदन के सामने आंकड़े रखे हैं और आठ साल के आंकड़ों का टोटल करके सदन के सामने रखा। उन्होंने उसको किसी भी इरादे से रखा हो, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक साल में एक हजार क्राइम्स हुए तो ८ साल में ८ हजार क्राइम्स होंगे। हो सकता है उन्होंने जो क्राइम्स की संख्या बताई उससे सदन में यह भावना फैले कि बहुत ज्यादा क्राइम्स बढ़ गये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पुलिस विभाग से सम्बन्धित रहे हैं और भूतपूर्व पुलिस विभाग में कर्मचारी भी रह चुके हैं और आज भी पुलिस डिपार्टमेन्ट से आपको सहयोग मिलता रहा है, इसलिए उनके जो सुझाव हैं उनका स्वागत करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों से कि हमारे यहां क्राइम्स के अन्दर कोई ऐसी बढ़ोतरी हो गई हो कि जिसकी वजह से चिन्ता की जाये, ऐसी बात नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि हमारे यहां एनुअल क्राइम्स जो इम्पोर्टेन्ट होते हैं उनके आंकड़े सदन में पहले ही रखे जा चुके हैं। इसलिए मैं उन्हें यहां पढ़ कर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और

(श्री मथुरादास माथुर)

यह सदन की मेज पर रखे जा सकते हैं........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ८ वर्ष में प्रतिवर्ष ये आंकड़े बढ़े हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इससे भी इत्तफाक नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे यहां सन् १९५२ और ५० के अन्दर और खास तौर से ५१ के अन्दर बड़ी बड़ी डकैतियों की घटनायें घटी हैं और मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं, सदन को कान्फिडेन्स में लेना चाहता हूं कि केसेज के रजिस्ट्रेशन के जो फिगर्स हैं यह सरकार की नीति भी निर्धारित करती है। हमारी सरकार की नीति है, हम उसकी घोषणा भी कर देना चाहते हैं कि हम क्राइम्स की रजिस्ट्रेशन की संख्या को कम नहीं करना चाहते हैं, यह हमारी नीति है, ताकि जनता के सामने और खास तौर से सदन के सामने पूरे आंकड़े पेश हो सकें, ताकि आप समझ सकें कि समाज का ट्रैण्ड किस तरफ जा रहा है। इसलिए जो हमारी पुरानी वर्किंगपॉलिसी थी उसको हमने छोड़ दिया है और जो फैक्चुअल होता है उसको रेकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of information, Sir, ऐसे सैकड़ों जुर्म होते हैं जिनकी एफ०आई०आर० दर्ज कराने में ३-३ महीने हो जाते हैं और फिर भी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होती।

श्री मथुरादास माथुर : मैं सदन के सदस्यों से, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके सामने इस समय जो निवेदन कर रहा हूं वह नीति के ऊपर निवेदन कर रहा हूं। हो सकता है कि उस नीति के बारे में यहां के माननीय सदस्यों को आने वाले समय में कुछ शिकायतें हों। क्योंकि नीति निर्धारित होने के बाद नीति को पूरी तौर से अमल में लाने के लिए एक जो यह इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट है उसमें ह्यूमन फैक्टर भी काम करता है और उस ह्यूमन फैक्टर को किस तरह से एलीमिनेट किया जाये कि हम अपनी नीति को लोएस्ट लेवल तक डीसेन्ट्रलाइज तरीके से पहुंचा सकें, इसके लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। मैं, सभापति महोदय, इतना ही निवेदन करना पसन्द करूंगा कि माननीय सदस्यों के सामने नीति की अव-हेलना होने का कोई भी केस नजर आये तो आप उसको मेरे पास भेजें। मैं अपनी ओर से उसको हल करने का प्रयत्न करूंगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जब से यह नया सदन बना है और जब से हम आप मिलकर ५ साल में राजस्थान के निर्माण में सहयोग देकर कार्य करना चाहते हैं हमने इस बात की कोशिश की है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेन्ट जागरूक हो। कुछ ही महीनों से खास तौर से चुनावों के दौरान में जो खास तौर से जालोर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर के इलाकों में डकैतियों की घटना हुई है उनके प्रति हम पूरी तरह से जागरूक हैं और मैंने माननीय सदस्यों को हमेशा आश्वासन दिया है और आज भी देना चाहता हूं कि हम जागरूक हैं। हमने पूरी तरह से उसको रोकने के लिए कदम उठाये हैं और जो डकैत गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरा कदम उठाया है और बाड़मेर में और खास तौर से बीकानेर

(श्री मथुरादास माथुर)

का जो एरिया बोर्डर से लगा हुआ है उसके प्रति हम पूरी तरह जागरूक हैं। अभी अभी, माननीय सभापति महोदय, तार पहुंचा है कि बाड़मेर के एस०पी० श्री भटनागर हैं, उन्होंने डाकुओं से मुकाबिला किया और उसमें एक डकैत अर्जनसिंह मारा गया और दूसरा डकैत गिरफ्तार हुआ और उनके पास से कुछ राइफल, एम्यूनीशन आदि सामान भी बरामद हुआ है। अभी अभी मेरे पास मैसेज पहुंचा है कि जिसके अनुसार एक डकैती और कत्ल के अन्दर तुलसा नाम का कोई डकैत बाड़मेर जिले में था उसको डी०एस०पी० श्री भीमसिंह, जो दूसरी पार्टी के साथ गये थे, ने गिरफ्तार किया है। उसकी भी सूचना हमारे पास में आयी है। तो मैं आप से यह भी निवेदन करूंगा कि जो यह कहा गया कि सुजानगढ की चोरियां हुई है उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। इसके बाद सुजानगढ के पोस्टमास्टर के कत्ल की बात भी जब माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उस समय कही गयी। इसके लिए हमने काफी कोशिश की और मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि उसमें मुल्जिम गिरफ्तार किये गये हैं। और जो रुपया वहां से हटा था, उसमें एक हजार रुपया जो खर्च हो गया था उसको छोड़ कर बाकी सारा बरामद कर लिया है। सरदारशहर में जो कत्ल हो गया मैं इसको डकैती नहीं मानता, क्योंकि एक बच्चा १५ वर्ष का और एक आदमी सोया हुआ था। वहां पर आपसी झगड़े से वे लोग पहुंचे और पहुंच कर हमला किया और उसमें उस आदमी का कत्ल हो गया। इसका हमें दुख है। इसी का क्या राजस्थान में जो भी कत्ल होते हैं उन सब का ही हमें खेद है, लेकिन फिर भी वहां के थानेदार बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : On a point of information, Sir, शायद आपको मालूम नहीं है कि वह जो लड़का है उसने अभी खुदकशी करली है पुलिस से तंग आकर।

श्री मथुरादास माथुर : मामला तफ्तीश में है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इसमें मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पुलिस की तफ्तीश का यह नतीजा निकला है कि जो लड़का बाहर सोया हुआ था, पुलिस से तंग आकर उसने खुदकशी कर ली है।

श्री मथुरादास माथुर : यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहता हूं, आप इसकी जांच करा लें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य एस०एच०ओ० बनने की कोशिश न करें। आपकी पदवी बहुत ऊंची है। तफ्तीश पूरी होकर जब मामला आपके सामने आयेगा........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी की जिन्दगी और मौत को जानना है तो उसके लिए एस०एच०ओ० बनने की जरूरत नहीं है, इन्सान बनने की जरूरत है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं मानता हूं।

(श्री मथुरादास माथुर)

तो कत्ल हो गया उसकी तफतीश की जा रही है। आप कह रहे हैं कि पुलिस से तंग आकर उसने खुदकशी कर ली तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

तो मैं कह रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत मामले यहां पर रखे हैं। जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि भीलवाड़ा के अन्दर अभी पुलिस कस्टडी में एक कंजर का कत्ल हो गया और वह मर गया। इस तरह की बात उन्होंने रखी। मैं आप से निवेदन करता हूं कि पुलिस की कस्टडी में किसी आदमी की मौत हो जाती है, इसका हमें खेद है। मैं इसको बहुत ही सीरियस लेता हूं और मैं आपको इतना ही आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमने इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने का फैसला किया है और अगर पुलिस की कस्टडी में किसी आदमी की मौत हो जाती है तो जाब्ता फौजदारी के मातहत मजिस्ट्रेट इसकी इन्क्वायरी करता है। उसके बाद में मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देता है और क्योंकि अब हमने एग्जीक्युटिव और जुडिशियरी को सेपरेट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और इसमें काफी कर चुके हैं इसलिए उसकी जांच की रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है बल्कि हाईकोर्ट के पास जाती है। और उसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस जांच को, जो कि नियरेस्ट एस० डी०-एम० ने की है और नियरेस्ट मेडिकल ऑफिसर ने जांच की है और सब एवीडेन्स लेने के बाद में जो इम्प्रेस्ट का नतीजा निकला है, वह फिर देख सकता है, चेक कर सकता है और उसके बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार हाई कोर्ट में रिवीजन तक हो सकता है। इसमें सब कानूनी कदम उठाये जा सकते हैं....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसमें परिवर्तन क्या हुआ ? आपने नई बात क्या कही जांच करने की ? पुलिस कस्टडी में जो मौत होती है उसकी जांच पहले मुन्सिफ मजिस्ट्रेट करता है।

श्री मथुरादास माथुर : नई बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत से माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है तो इसलिये दे रहा हूँ। अगर आपको जानकारी तो है सन्तोष रखें।

मैं भीलवाड़े के केस का जिक्र कर रहा था जो कि जयपुर से आनेवाले साथी ने उठाया है। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जांच की और उसकी जो रिपोर्ट निकली है उसके अनुसार पुलिस, जो उस कंजर की डेथ हुई है, उसको नेचुरल डेथ मानती है लेकिन फिर भी दुबारा चैक करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि वे इस रिपोर्ट के बारे में अपनी रिपोर्ट हमारे सामने पेश करें ताकि मैं बाकायदा तौर से माननीय सदस्यों को कह दूं कि दूसरे बड़े ऑफिसर से जांच करा ली है।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, कि गंगानगर के इलाके में काफी कत्ल होते हैं, काफी जुर्म होते हैं और, गंगानगर से आनेवाले सभी माननीय सदस्यों ने इसके बारे में काफी रोष प्रकट किया है। मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ कि गंगानगर जिले में कुछ ऐसे हालात बन गये

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं–एक बढ़ती हुई आबादी है और दूसरे शिफ्टिंग आबादी, क्योंकि ज्यों ज्यों केनाल कमान्ड एरिया बढ़ता है, ज्यों ज्यों नया पानी आता है, नई आबादी आती है, बाहर से लोग आकर बसते हैं, सब हालात इस तरह के बने हैं जिसकी वजह से गंगानगर में खास तवज्जोह देने की जरूरत है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस के कर्मचारियों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। कुछ करप्शन के बारे में कहा गया है। पुलिस वहां पर इन्डिपेन्डेन्ट भी रही, उसकी तारीफ भी की। उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और उसके साथ साथ ज्यादा वक्त गंगानगर जिले के बारे में नहीं कह सकता हूं। सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि गंगानगर जिले की समस्या जो है वह खास समस्या है। मैं यह नहीं कहता कि गंगानगर जिले को क्रिमिनल ट्राइब्स का जिला डिक्लेअर करने-वाला हूँ, जिसकी वजह से खास कदम उठाये जायेंगे। लेकिन इतना ही निवेदन करना मुनासिब समझता हूँ कि किस तरह से वहां पर क्राइम की टेन्डेन्सी पर कन्ट्रोल किया जाय, यह एक प्रश्न है आपके और हमारे सामने। उस बारे में हम और आप चर्चा करेंगे और ऐसे कदम उठायेंगे जिस वजह से गंगानगर में क्राइम की टेन्डेन्सी नहीं बढ़ सके और जो विकास हो रहा है उसका फायदा जनता को पूरा मिल सके....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या स्टेप्स उठायेंगे, साहब, यह जरा बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस वक्त इस स्थिति में नहीं हूं कि सदन के सामने, जो हम कदम उठाना चाहते हैं, वह पेश करूं। मैं माननीय सदस्यों का पूरा पूरा सहयोग चाहूँगा और कुछ दिनों बाद जब आपको अवकाश मिलेगा....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बड़ा सरल कदम है कि एक तो शराब बन्द कर दी जाय।

श्री मथुरादास माथुर : यह भी हो सकता है। उससे अगर क्राइम कम हो सकते हैं तो इसके बारे में सरकार सोच सकती है। मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा, जो उससे कन्सर्न्ड हैं। वे भी चर्चा करेंगे और गंगानगर से जो चुन कर आने वाले सदस्य हैं उनसे भी मिलूंगा और उनसे भी सलाह लूंगा कि किस तरह से....

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : इसके साथ में भीलवाड़े को भी जोड़ लें।

श्री मथुरादास माथुर : किस तरह से आपका विचार है, वह जानकारी करके वह फाइनलाइज़ करेंगे।

आर० ए० सी० के बारे में यहां सुझाव रखा गया है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा और उनकी विचारधारा को मैं मान सकता हूँ कुछ हद तक कि आर० ए० सी० का खर्चा राजस्थान सरकार क्यों बर्दाश्त करे। इसके बारे में जब से आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी बनाई गई तब से आज तक भारत सरकार और हमारे बीच में काफी कॉरसपोन्डेन्स हुई है। लेकिन भारत सरकार इस बात को मानने

(श्री मथुरादास माथुर)

को तैयार नहीं है कि राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी का खर्चा भारत सरकार बर्दाश्त करे। वह यह मानती है कि यह बोर्डर है, लेकिन राजस्थान की रियासत का अंग है और इसलिए इस बोर्डर के ऊपर जो पुलिस का प्रोटेक्शन या पुलिस की जो कार्यवाही होती है चूंकि बोर्डर की पुलिस को आर्म्ड रखने की जरूरत है इसलिए आर्म्ड पुलिस का राजस्थान सरकार पर जायज खर्चा है। मगर वक्तन फ वक्तन उन्होंने और फाइनेन्स कमीशन ने हमारी इस डिमान्ड पर बहुत ही लिबरली गौर किया है और सरकार को वक्तन फ वक्तन धनराशि स्पेशली देते रहे हैं ताकि इस खर्चे को हम मीट करने में, इसको बर्दाश्त करने में कामयाब हो सकें। अभी अभी फाइनेन्स कमीशन ने ४५ लाख रुपये राजस्थान सरकार को देने की घोषणा की है और उसमें २२ लाख रुपये हमको मिल चुके हैं। इस राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी का विकास हो सके, इसकी तरक्की हो सके, इसको बेटर इक्विप्ड किया जा सके, इसके लिए ४५ लाख की बात कही है और उसमें से २२ लाखके करीब करीब तो मिल चुका है। इस लिए कि इस इलाके के अन्दर बेटर वेहीकल्स इस्तेमाल हों, अच्छा स्टेट्स वगैरह दे रहे हैं जिसकी वजह से जो काम वे करना चाहते हैं कर सकें। और अगर हिन्दुस्तान पर, ईश्वर करे ऐसा नहीं हो, कोई ऐसा वक्त आये तो उस वक्त आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी के साथ साथ भारत सरकार की अपनी जो डिफेन्स फोर्सेस हैं वे वर्क करेंगी। इसलिए मानना पड़ेगा कि यह जायज खर्चा है। इसका ८-१० साल से खतो-खिताबत के बाद यह फैसला हो चुका है।

दूसरी बात यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा था कि हमारे इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप से निवेदन करूं कि एक तरफ यह सुझाव दिया जाता है कि हमको पुलिस के तौर तरीकों को बदलना है और दूसरी तरफ यह सुझाव देते हैं कि मौजूदा पुलिस को एक आधुनिक पुलिस बनाना है। तो मैं फिर आप से निवेदन करूंगा कि इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट है चाहे उसका पास्ट के अन्दर काम यही रहा हो जैसा माननीय सदस्य कहते रहते हैं बिल्कुल पोलिटिकल इन्टेलीजेन्स करने का। मैं कह दूं कि इस विभाग के दो हिस्से हैं-एक क्राइम इन्टेली-जेन्स और दूसरा पोलिटिकल इन्टेलीजेन्स और जनरल इन्टेलीजेन्स। यह सब कलेक्ट करनी पड़ती है। इन्टेलीजेन्स-पुलिस का काम यह है कि वह पुलिस को तैयार कर देता है, वार्न कर देता है। जो इवेन्ट्स, या शेड ऑफ इवेन्ट्स आनेवाले हैं उसके पहले उनको वार्निंग मिल जाती है। यह विभाग की कमजोरी है कि वे काम नहीं कर पाते हैं। वह जुदा बात है। वह मेरिट्स की बात रहती है। इस विभाग की आवश्यकता पुलिस की पेरिटीज़ के अन्दर, पुलिस के काम के अन्दर जरूरी है। इसको कोई नहीं भुला सकता है। वर्ना मैं तो यह महसूस करता था कि पुलिस के इन्टेलीजेन्स विभाग को और मजबूत करने की जरूरत है। उसमें पढ़े-लिखे आदमियों की, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है क्योंकि इन्टेलीजेन्स का वर्क करना सबसे मुश्किल काम है और खास तौर से बढ़ती हुई जागृति में और सोशियल कॉन्श-सनेस में और भी काम कठिन हो जाता है। आप

(श्री मथुरादास माथुर)

और दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर लें। अपने यहां यू० के० का जिक्र किया गया। रूस के अन्दर भी इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट काम करता है। हमारे साम्यवादी साथी जो वहां का लिटरेचर पढ़ते रहते हैं वे भी जानते हैं। हर जगह इन्टेलीजेन्स पुलिस डिपार्टमेंट का एक इम्पोर्टेन्ट अंग है और उसको हमें ठीक बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिये जिसकी वजह से जो आनेवाली दुर्घटनाएं हैं उनकी इत्तला कर सकें। उनको यह पहले से ही मालूम हो जाय कि कहां से डकैत रवाना हुआ है और किस जगह डकैती करने के लिए जायगा। अगर इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट सतर्क हो तो वह वार्न कर देता है और डकैती को बचाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : इस डेमोक्रेसी में पोलिटिकल इन्टेलीजेन्स की क्या आवश्यकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : पोलिटिकल इन्टेलीजेन्स की इसलिए आवश्यकता है कि हजारों टूरिस्ट्स आते हैं बाहर से और वे कई इरादों से आते हैं। जयपुर टूरिस्टों के लिए आगरा और दिल्ली के बाद बहुत बड़ा स्थान है। उसको भी करना पड़ता है। माननीय सदस्य और वी० आई० पीज० की भी सेफ्टी रखनी पड़ती है। यह भी हमारा काम है। अगर हम इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट नहीं रखेंगे तो एक माननीय सदस्य की जीप का हब वगैरह वहां गवर्नमेंट होस्टल से चोरी हो जाय और सदन का आधा घन्टा लिया जा सकता है तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा....

श्री भैरोंसिंह : इसके लिए तो ऑर्डिनेरी पुलिस काफी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह थानेदार पहुंच गया था। उसके लिये तो धन्यवाद है।

श्री मथुरादास माथुर : तो इस विभाग की जरूरत है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जैसे यू० के० में स्कॉटलैण्ड यार्ड के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, हम तो यह चाहते हैं कि हमारे यहां इस विभाग के ऑफिसर्स, एनर्जेटिक यंग मैन बाहर जाकर, वहां किस प्रकार से काम करते हैं, यह सीखें ताकि सही माने में राजस्थान जो आगे आने वाला है उसमें अच्छी तरह से काम कर सके। उधर हमारे मुख्य मंत्रीजी राजस्थान का औद्योगीकरण करके लेबर और केपिटल को कन्सोलिडेट करने जा रहे हैं, राजस्थान का एग्रीकल्चर के जरिये प्रोडक्शन बढ़नेवाला है और यहां की आबादी बढ़ने वाली है। इन सब बातों से एक नया तौर तरीका होनेवाला है और नई टेन्डेन्सी डेवलप होनेवाली है। पहले जो तौर तरीका था वह बदलनेवाला है, पहले की टेन्डेन्सी बदलनेवाली है, उसे भी हमें अंजाम देना है। आप देखिये आज यू. के., यू. एस. ए. और यू. एस. एस. आर. में भी यह विभाग किस तरह से काम कर रहा है। यू.-एस. एस. आर. से हमारे यहां ५० पर्सेंट क्राइम्स कम हैं इसलिये यहां और तरीके से साधन रखने पड़ेंगे........

श्री भैरोंसिंह : सदन के एक माननीय सदस्य जो नाथद्वारा कांकरोली से आये हैं वे स्कॉटलैंड यार्ड जाकर काम सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी क्रिमिनल टेन्डेन्सी डवेलप्ड

(श्री भैरोंसिंह)

है। उनको वहां जाने और सीखने का मौका दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : आप पहले पुलिस में रह चुके हैं, आप यह काम अच्छी तरह से सीख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने शायद पहल की मिनिस्ट्री को लिख कर दिया था कि मेरी क्रिमिनल टेन्डेन्सी है, ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको पुलिस की पुरानी सेवाओं के लिए पेन्शन मिलती होगी। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपका उपयोग किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दोनों ही का उपयोग कर लिया जाय, क्योंकि एक की क्रिमिनल टेन्डेन्सी डवेलप्ड है और दूसरे को पुलिस विभाग का अनुभव है।

श्री सभापति : Order please! Please continue.

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो सदन के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इस पुलिस विभाग को ठीक करने में चाहता हूं। लेकिन मुझे खेद है कि वे सहयोग देने के बजाय हमारे विभाग का उपयोग न ले लें।

फिर हमारी रेलवे पुलिस के बारे में भी चर्चा आई। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस रेलवे पुलिस के दो हिस्से है, एक ऑर्डर पुलिस और दूसरा क्राइमा। इसका खर्चा १२ लाख और कुछ हजार है, उसमें से ६ लाख और कुछ हजार रुपये भारत सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री हमको देती है और क्राइम पुलिस पर जो खर्चा पड़ता है वह हम बर्दाश्त करते हैं। सदन के सामने पुलिस की आमदनी नहीं आती है, क्योंकि वह जनरल आमदनी में चली जाती है। हमारे कन्सोलिडेटेड फन्ड के साथ आ जाता है, इसलिए इस चर्चा में नहीं आती....

श्री रामकिशन (वैर) : इसकी क्या आमदनी होती है, उसके बारे में अलग बताया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : ६ लाख रुपये तो जो पुलिस भारत सरकार की सेवा करती है उसके भारत सरकार से मिल जाते हैं। पुलिस का एक्सपेन्डीचर तो बजट में है, लेकिन इन्कम बजट में नहीं दिखाई जाती इसलिये सूचना नहीं मिलती।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि रेलवे पुलिस किस प्रकार नेशनल मनी को वेस्ट करती है रेलवे में फ्री सर्विस करने के लिये। चित्तौड़ की एक हैड मिस्ट्रेस थी। उसके माल को चुराया गया, गार्ड को एन्टेंगल किया गया, यह बर्निंग एग्जाम्पल है रेलवे पुलिस के बारे में।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसे मैंने सुन लिया। इसको भी साफ करूंगा, क्या बात है और इस तरह की चीजों को रुकवाने की कोशिश करूंगा।

यह भी कहा गया कि हमारे यहां पर

(श्री मथुरादास माथुर)

जो पुलिस स्टेशन्स हैं उनमें भी भेद है। कहीं कम हैं, कहीं ज्यादा हैं और कहीं एक जिले से दूसरे जिले की हद को क्रॉस करते हैं। ये बातें कहीं और अलग अलग मिसालें माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सीज और डिस्ट्रिक्ट्स की सदन के सामने रखी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस बारे में फैसला किया था कि सबडिविजनल मजिस्ट्रेट और पुलिस थानों के जुरिसिडिक्शन में कॉन्करेन्स रहनी चाहिये और इसको पूरा करने के लिए हमने अभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेन्स में फैसला किया है, कमेटी बनाई है जो सब जगह जाकर आंकड़े लायेगी। फिर इस प्रकार की एनोमॉलीज को ठीक कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि १, २ महीनों में सारे राजस्थान के पुलिस स्टेशन्स का रेशनलाइजेशन और बाउन्ड्रीज का एडजस्टमेंट कर पायेंगे और माननीय सदस्यों को आगे से इस तरह की शिकायत नहीं रहेगी।

(करतल ध्वनि)

सदन के सामने यह भी कहा गया कि प्रजातंत्री शासन सन् ५२ से शुरू हुआ था और सन् ६२ तक पहुंचा है। पुलिस का खर्चा २ करोड़ से शुरू हुआ था और आज ५ करोड़ तक पहुँच गया है। यह जो बढ़ोत्तरी पुलिस में हो रही है वह अवांछनीय है, इसे रोका जाना चाहिये। मैं कभी भी आपके सामने पुलिस को ज्यादा रुपये मिलें, इसके लिये तब तक नहीं आऊंगा जब तक अनिवार्य न हो। २ करोड़ से ५ करोड़ तक रुपये बढ़े हैं। इससे पुलिस फोर्स ज्यादा बढ़ाई गई हो, ऐसी बात नहीं है। आप गौर करिये जब राजस्थान बना था उस समय जैसलमेर की पुलिस थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की भी पुलिस थी। पुलिस के कर्मचारियों के पास पहिनने को पूरे कपड़े नहीं थे, वर्दियां नहीं थी, उस वक्त यह बजट २ करोड़ का बना था। इसको ठीक करना पड़ा, इन्टीग्रेशन करना पड़ा, वर्दियां देनी पड़ी, आर्म्स देने पड़े और उसके बाद आप लोगों की वक्तन फ वक्तन मांग पर और जनता और कर्मचारियों की मांग पर डियरनेस अलाउन्स बढ़ाना पड़ा, मैस अलाउन्स बढ़ाना पड़ा, उनकी एन्युअल इन्क्रीमेंट हर साल बढ़ती है। फिर आर० ए० सी० की फोर्स नहीं थी वह बनी। पहले इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट ऐसा नहीं था तो डेढ़ करोड़ रुपया तो स्वाभाविक तौर पर, नेचुरल कोर्स में इन्क्रीमैन्ट्स में और अलाउन्सेज में, जो वक्तन फ वक्तन सदन ने मन्जूर किये, उनसे बढ़ जाते हैं। यदि सदन के माननीय सदस्य यह समझते हों कि २ करोड़ से ५ करोड़ रुपये पुलिस की नफरी बढ़ गई है इसलिये बढ़ गये हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पुलिस की नफरी या पुलिस फोर्स ज्यादा नहीं बढ़ा है और हम करीब करीब उसी फोर्स से वही काम कर रहे हैं और जनता की आबादी बढ़ती जा रही है फिर भी उसके लिये मांग नहीं की है।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमारे यहां पर रूलर्स के मकानों के बाहर, पैलेसेज़ के बाहर गार्ड रखी जाती है। इसके बारे में सदन के लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट सभी विचारधारा के माननीय सदस्यों ने कहा। मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ३ लाख और कुछ हजार की धन-राशि इस पर खर्च की जाती है। हमारे यहां राजस्थान बना था उस समय इन्टीग्रेशन में प्रिन्सेज से कॉवेनेन्ट्स

(श्री मथुरादास माथुर)

एग्रीमेन्ट हुआ था। उसके ऊपर आज नयी थिसिस रख दी गई कि राज्य राजाओं का नहीं था, कहीं जलंधरनाथजी का था और कहीं किसी नाथजी का था। राजा लोग उनके दीवान थे, इसलिये मन्दिरों के ऊपर गार्ड लगानी चाहिये, दीवानों के यहां नहीं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मैंने मन्दिरों के लिए नहीं, जनता जनार्दन के लिये अर्ज किया था। राजाओं को हक नहीं है कि वे प्रिवीपर्स लें।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत अच्छा होता, यदि मैं सहमत होता, व्यक्तिगत रूप से हो भी जाता। लेकिन यह विचारधारा मानी नहीं गई और जो रूलर्स के साथ एग्रीमेन्ट हुए हैं, अब....

श्री विजयसिंह झाला : आपके साथ और मिनिस्टरों के साथ यात्राओं पर गार्ड्स जाते हैं, उनको हटायें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मिनिस्टरों के साथ गार्ड्स जाते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : मिनिस्टरों के मकानों पर गार्ड नहीं लगती है। केवल चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के यहां लगती है। उसको आप ठीक न समझें तो हटा दी जा सकती है।

श्री विजयसिंह झाला : जब आप भ्रमण करने पधारते हैं तो पुलिस आपके साथ नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इससे जनता के अन्दर आप लोगों की लोकप्रियता नहीं रहती है।

श्री मथुरादास माथुर : वे वर्दी में नहीं रहते हैं। आप घबरायें नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : वर्दी में नहीं रहें, ऐसा प्रयोजन होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को सिर्फ इतना ही अधिकार है जहां तक प्रिन्सेज़ का सवाल है कि जो गार्ड्स हैं वह एडीकेट है या नहीं है। बाकी एग्रीमेन्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया और प्रिन्सेज़ में, जो कॉवेनेन्ट बन गये हैं, उनमें हो चुका है। इसलिये मुझे खेद है कि मैं उसमें तब्दीली नहीं कर सकूंगा। जब पब्लिक ओपीनियम बन जायगी, जब कॉवेनेन्ट और जनता के विचारों में फर्क आयेगा तब....

श्री जोरावरसिंह (गुढ़ा) : पुलिस के उच्चाधिकारियों के यहां जो गार्ड लगी रहती है....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : वायदे तो आपने लोगों से भी किये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वायदे लोगों से करते आ रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए यहां बैठे हैं।

श्री श्योपतसिंह : राजाओं के वायदों को पूरा किया है तो लोगों को किये वायदों को पूरा कीजिये।

श्री जोरावरसिंह : डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर पुलिस के उच्चाधिकारी महोदय हैं, उनके मकानों पर गार्ड्स लगी रहती हैं। जो दूसरों की रक्षा के लिए हैं वे खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जिससे गार्ड्स की जरूरत पड़ती है। उनके पास गार्ड नहीं रहनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे यहां पर हर ऑफिसर के यहां गार्ड्स नहीं रहती हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एस० पी०, आई० जी०, डी० आई० जी० आदि अधिकारियों के यहां रहती है, क्योंकि जिस तरह को ड्यूटीज़ को वे अन्जाम देते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, कि उन ड्यूटीज़ को भी देखना चाहिए। वैसे मैं बहुत सरलता से कह सकता हूं, मैं यह कह दूं कि गार्ड्स हट जायंगी। यह चीप पोपुलेरिटी गेन करने का तरीका हो सकता है। I can also play to galleries quite all right. मैं आपसे अर्ज करूं कि जो ड्यूटीज़ अन्जाम करनी पड़ती हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं तैयार नहीं हूं कि उनको वहां से हटा दिया जाय....

१२.० मध्यान्ह

श्री जोरावरसिंह : On a point of information, Sir, क्या उनकी ड्यूटीज मजिस्ट्रेट और सेशन जज से ज्यादा मुश्किल हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ज्यादा हैं।

श्री जोरावरसिंह : वह कैसे ?

श्री मथुरादास माथुर : आप उनकी ड्यूटी के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ता है ? अगर बलवा हो जाय तो १४४ लगानी पड़ती है, कर्फ्यू लगाना पड़ता है। लेकिन एस० पी० को वहां जाना पड़ता है, स्थिति का मुकाबला करना पड़ता है। किसी की उससे नाराजगी हो जाय तो तमंचा दाग देगा। पर मैं इसमें बहस नहीं करना चाहता। अपने अपने विचार हैं, लेकिन सरकार उसमें तब्दीली नहीं करना चाहती। यह ठीक है कि गैलेरी से प्ले किया जा सकता है इसमें, लेकिन कोई फायदा नहीं है।

मैं माननीय सभापतिजी, निवेदन करूं कि वायरलैस डिपार्टमेंट के बारे में कहा गया। हमारे जयपुर से आनेवाले साथी ने, जो इस वक्त सदन में नहीं हैं, वायरलैस के कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाई, उसके लिए आभार प्रगट करता हूं। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि वायरलैस पुलिस का अंग होते हुए भी टेक्निकल अंग है। वैसे तो सरकार के जनरल रूल्स जितने बनते हैं वे सरकारी नौकरी पर लागू होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल सरकारी ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल डिपार्टमेन्ट हैं, उन पर स्पेशल रूल्स लागू होते हैं, वे जनरल रूल्स से बरी हो जाते हैं। इस तरह जो वायरलैस और रेडियो डिपार्टमेन्ट है, उसके अन्दर हमारे यहां पर मैकेनिक की जगह भी है और हमारे ऑपरेटर्स भी हैं। उसके बाद असिस्टेन्ट ऑपरेटर, सुपरवाइजर हैं, जिनको इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर पहले कहते थे। अब वायरलैस टेक्निकल विभाग है, इसलिये सब-इन्सपेक्टर, वायरलैस भी टेक्निकल हैंड है। इसलिए जो उन्होंने प्रश्न उठाया और जिस पर क्वेश्चन के दौरान में भी चर्चा की गई, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस डिपार्टमेन्ट के आदमी सिविल पुलिस में ट्रान्सफर नहीं हो सकते उसी प्रकार सिविल पुलिसवाले यहां ट्रान्सफर नहीं हो सकते। इसमें भी पांच कैडर हैं, जैसे

(श्री मथुरादास माथुर)

पुलिस में है। जो हैड आपरेटर हैं टेक्निकल हैं, वे एस० आई० की तरह हैं और असिस्टेन्ट ऑपरेटर्स हैं उनकी ग्रेड्स और पे स्केल्स सिविल पुलिस से अच्छी हैं और बराबर इस श्रेणी में ये बढ़ सकते हैं। यह प्योरली टेक्निकल काम है। जो पुलिस को परेड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है वह इन्हें न देकर रेडियो और दूसरी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिये मेरा खयाल है कि मेरे इस जवाब के बाद में माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वायरलैस के कर्मचारी हैं, इनका कुछ इन्टीग्रेशन नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका इन्टीग्रेशन अभी जो नये पे स्केल्स आउट किये हैं, उनके आधार पर किया जा रहा है और जो उनके रिप्रजेन्टेशन्स वगैरह हमारे पास पेंडिंग हैं वे सरकार के पास विचाराधीन है और उन पर फैसला किया जायगा....

श्री विजयसिंह झाला : सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ हरकतें हुई, उनके बारे में भी जो कट मोशन्स रखे गये और उदाहरण दिये गये, उनके बारे में भी कहें।

श्री मथुरादास माथुर : I have not yet concluded. मैंने अभी खत्म नहीं किया है।

सदन के सामने यह भी प्रश्न रखा गया और खास तौर पर साम्यवादी साथियों में से कइयों ने रखा कि हमारी पुलिस पूंजीपतियों को मदद देती है। ऐसी बात भी कही गई। मैं, माननीय सभापतिजी, जो हमारी सरकार की नीति है उसकी साफ घोषणा कर देना चाहता हूं। जहां लेबर और केपिटलिस्ट में डिस्प्यूट हो, हमारी पुलिस कहीं भी तशरीह में नहीं जाना चाहती। मगर वे डिस्प्यूट चाहे लेबर और केपिटलिस्ट में हो, चाहे कॉलेज में स्ट्राइक हो, चाहे और किसी तरह सोशल डिमॉन्स्ट्रेशन हों, उन डिमॉन्स्ट्रेशन में जब तक लेजिटिमेट तरीके से कोई काम होता है तब तक पुलिस कर्मचारी और पुलिस नहीं आती। मगर जब वे वॉयलेन्स में परिणित हो जाते हैं और जब लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचूएशन बिगड़ती है उस वक्त पुलिस विभाग पिक्चर में आता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब मजदूर और मिल-मालिक में झगड़ा होगा और कानून और लेबर लॉज के अनुसार उसे निबटाने के लिए प्रयत्न करेंगे तो कभी सरकार इस पुलिस एपेरेटस को प्रयोग में नहीं लायेगी....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह गलत है। जामसर में कोई वॉयलेन्स नहीं हुआ, लेकिन राज्य की स्पेशल पुलिस पड़ी है और उस पर सरकार ने खर्च किया है। वहां का एक भी उदाहरण पेश नहीं कर सकते कि किसी ने वॉयलेन्स की है। मगर पुलिस दबाती है, गवर्नमेंट दबाती है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यह मैटर ऑफ ऑपीनियन है, पर्टीक्युलर वाकये में आपकी यह राय हो सकती है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक वॉयलेन्स नहीं होगा तब तक दस कदम पर, बीस कदम पर, सौ कदम पर या मील भर दूर पुलिस खड़ी रहेगी। लेकिन जब वॉयलेन्स होगा तो पुलिस को इन्टरफिय-

(श्री मथुरादास माथुर)

रेन्स करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारे सामने वाकयात आते हैं जिनमें पूंजीपति कहते हैं कि मजदूरों की तरफ से वॉयलेन्स होने वाली है, मजदूरों की तरफ से रिप्रजेन्टेशन होते हैं कि मिल-मालिक गड़बड़ी करते हैं, इसलिए आओ। हम दोनों की सुनते रहते हैं लेकिन जब वॉयलेन्स होता है तब पुलिस जाती है। वैसे अगर कोई पुलिस की बात हो तो उसे आप हमारे सामने लायें।

माननीय सभापतिजी, मैं मानता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को संतोष नहीं होता तो उसकी जांच की जा सकती है, इन्डीविजुअल केस के अन्दर। लेकिन हमारी सरकार की नीति है उसको हम पूरी तरह अमल में लाना चाहते हैं।

यह कहा गया कि पुलिस के कई कर्मचारी, माननीय सभापतिजी, हैं जो सस्पेन्शन में रहते हैं और पुलिस के कर्मचारी दो-दो, ढाई-ढाई साल बिना किसी फैसले के सस्पेन्शन में रहते हैं....

(विद्युत प्रकाश नहीं रहने पर)

श्री श्योपतसिंह : आपका मुंह नहीं दीखाई देता।

श्री मथुरादास माथुर : आप आवाज सुन कर संतोष करीयेगा मुंह तो रोज देखते हैं।

(पुनः विद्युत् प्रकाश)

अब आप देख लीजिये।

माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने फर्माया कि मिल में नहीं जाते हैं। चार-पांच रोज पहले भीलवाड़ा में बात हो रही है, उसमें मिल के अन्दर पुलिस गई या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : इन्डीविजुअल केस की बात बता रहे हैं। मैं नीति की बात बता रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नीति की बात है, वहां कोई वॉयलेन्स नहीं हुआ था, झगड़ा नहीं हुआ था। फिर क्यों गई ? पांच दिन पहले गई।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : यह पोइन्ट ऑफ इन्डीविजुअल केस है, इसमें यह बात कही जा सकती है....

श्री मोहरसिंह (चुरू) : There can never be collective cases.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मशीन की खराद किसने उतारी ? क्या आप गये थे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसकी जानकारी आपको हो सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : सदन में बैठनेवाले माननीय सदस्यों में ही दो राय है, यह एक मामला है। इसके लिए माननीय सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाता तो मैं जानकारी करके कह सकता था।

(श्री मथुरादास माथुर)

विचारों के बारे में नहीं वाकयों के बारे में। विचार तो आपके और हमारे भिन्न हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: On a point of information, Sir, पुलिस ऑफिसरों के सस्पेन्शन के बारे में सूचना दें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस ऑफिसर्स के सस्पेन्शन के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें दो-दो ढाई-ढाई साल लग जाते हैं और उनके केसेज तय नहीं हो पाते। मैं यह कहूँगा कि राजस्थान सरकार का बहुत पुराना नोटिस है कि जो लोग सस्पेशन में हों और जिनका फैसला दो साल तक नहीं हो सका हो तो वह ऑटोमेटिकली रीइन्सटेट हो सकता है। दो वर्षों से पुराने केसेज में तो यह निर्णय लागू है और अगर कोई साल, डेढ साल का केस हो और उसमें इन्क्वायरी हो रही हो तो जब तक इन्क्वायरी नहीं हो जाती है वह तय नहीं होता। जब इन्क्वायरी की जाती है और नोटिस दिया जाता है तो जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है वह ऑफिसर खुद जिसको सस्पेन्ड किया जाता है, छः छः महीने तक जवाब नहीं देता और जवाब देने के लिये समय मांगता रहता है।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो भावना सदन के सामने रखी है उसकी मैं बहुत कद्र करता हूं। हम भी यह चाहते हैं। खास तौर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरों की कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें मैंने कहा कि किसी को सस्पेन्ड किया जावे तो उस अधिकारी के पास उसका नोटिस जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहिये और जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी हो कर उसका फैसला हो जाना चाहिये। हम यह नहीं चाहते कि हमारे सस्पेन्डेड ऑफिसर माननीय सदस्यों से मिलते रहें और उन्हें परेशान करते रहें। इससे हमारा डिसिप्लिन बिगड़ता है। हम यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका फैसला हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : टाइम लिमिट लगानी चाहिये कि इतने समय में फैसला हो जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर: After two years, he is automatically reinstated even if the enquiry is not complete. Two years have already been fixed by the Government.

सभापति महोदय, सदन के सामने और भी कई माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव रखे। उनकी कद्र करता हूं। राजसमन्द से आनेवाले हमारे साथी ने कुछ सुझाव रखे हैं। मैं उनके सुझावों की बहुत कद्र करता हूँ और हम भी यह नहीं चाहते कि पुलिस विभाग एक वेक्युम में बन्द रहे और जनता के सम्पर्क में नहीं आवे। इसी तरह की नीति में परिवर्तन करना मेरे मित्र चाहते हैं। इसी तरह की नीति हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरों की कॉन्फ्रेन्स में तय की और फैसला किया कि एक कमेटी बनानी चाहिये। यह कमेटी बनाने से हमारा मकसद यह है कि उस इलाके की पुलिस सम्बन्धी दिक्कतें दूर की जा सकें और उसमें उस इलाके का मुखिया हो, चाहे वह एम० एल० ए० हो या न हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो समाज में अपना वक्त रखने वाला हो। ऐसे व्यक्तियों को उस कमेटी में लिया जाए।

(श्री मथुरादास माथुर)

खासतौर से वे उन बातों पर ध्यान दें। जैसे ट्रैफिक का मामला है। आप कहते हैं कि वन-वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिये। इससे हमको इतना चक्कर काट कर आना पड़ता है। इसके अलावा होली या मोहर्रम के समय उनसे सहयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार यह भी है कि शहरों में जैसे हमारे यहां बाहर से कभी कभी कोई गैंग चला आता है। खास तौर से आगरा से हमारे यहां आता है और चोरियां करके चला जाता है। उसके लिये भी उनका सहयोग मिल सकता है। मैं नहीं चाहता कि सब-जुडिस मामलों में भी उनका सहयोग लिया जावे क्योंकि सबजुडिस मैटर को हम सदन में भी नहीं रखते हैं। हमें यह देखना है कि पुलिस के मामलों में वे क्या सहयोग दे सकते हैं और हम उनसे क्या सहयोग ले सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि आपस में जनता और पुलिस में मेलजोल रहे। आप यह चाहते हैं कि किसी हद तक पब्लिक और पुलिस के रिलेशन्स ठीक हों, लेकिन पब्लिक का ट्रस्ट पुलिसवालों को नहीं मिलता है। जब हम हाथ आगे बढ़ाते हैं तो पब्लिक के नुमाइन्दों को और नेताओं को इसमें आगे आकर भाग लेना चाहिये। इस कमेटी का यही मकसद होगा....

श्री अब्दुलजब्बार : : आप तो इस प्रकार की पद्धति पर बहुत आगे बढ़ गये हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप असिस्टेन्ट बॉडी बना रहे हैं या सजेशन्स के लिए कोई कमेटी बना रहे हैं? इसका किस तरह से गठन होगा?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य बहुत परेशान न हों, आप बहुत परेशान मालूम होते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : इसमें परेशानी की बात नहीं है। आप किस प्रकार की कमेटी बना रहे हैं?

श्री सभापति : Order please! Order!! आप सुनने की कोशिश करें।

श्री मथुरादास माथुर : इनकी तत्परता की मैं तारीफ करता हूं। मगर मैंने अभी तक अपना पोइन्ट समाप्त नहीं किया कि किस तरह की कमेटी बनेगी। आप जरा सुनें तो आपको मालूम होगा। इस कमेटी को सरकार नोमीनेट करेगी और जैसा मैंने आपको बता दिया कि यह किस प्रकार से काम करेगी। इसमें ऐसे सदस्यों को लिया जावेगा जो गांव के मुखिया हों या और कोई प्रभावशाली व्यक्ति हों।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भी जो सुझाव रखा गया कि जिला परिषद् और पंचायत की मीटिंग में पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भी रहना चाहिये। जहां तक पंचायत राज्य के गठन का प्रश्न है, इसमें साइन ऑफ इन्टेरोगेशन लगा है। इसमें पड़ना उचित नहीं होगा। पंचायत राज्य को कायम हुए दो वर्ष हुए हैं। इसलिए पंचायत राज्य के बारे में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह मेरा विषय नहीं है। इस बात को देखते हुए कि जब पंचायत समितियों और जिला परिषद् की बैठकों में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी चुने हुए सदस्यों के साथ बैठते हैं तो वहां पर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

क्यों नहीं बैठते ? अगर यह आपकी विचार-धारा है तो मैं यह कहूंगा कि आपके दिमाग से इस विचारधारा को आपको निकाल देना चाहिये। अगर पंचायत समितियों के प्रधान पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को अपनी मीटिंग में बुलाना चाहें तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह भी जिला परिषद् की मीटिंग अटेन्ड करेंगे।

एक माननीय सदस्य : दूसरे अधिकारी तो पंचायत समितियों की मीटिंग में भाग लेते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उनका संबंध होता है। हमारा कोई सम्बन्ध नहीं होता है। हम भी कहते हैं कि अगर पुलिस अधिकारियों को वे बुला कर वहां की स्थिति का दिग्दर्शन करावें तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order, Sir.........

श्री मथुरादास माथुर : राजसमन्द से आनेवाले साथी की उस विचारधारा का मैं बहुत स्वागत करता हूं कि हलके हलके जब हमें पंचायत विभाग में तब्दीली लानी है तो हलके हलके इस विभाग को जनता के सम्पर्क में वक्त न फ वक्त न आना चाहिये। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस का एक मेगजिन निकाला जाना चाहिये। मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं। हम भी निकालने का विचार रखते थे और अब वह निकालेंगे। दूसरी बात पब्लिक रिलेशन्स को कायम करने के लिये कहा गया। इसके लिये भी हम पहले से सोचते हैं। सदन में इस प्रकार का सुझाव आने के बाद में हम इसका और भी स्वागत करते है और हमें इससे प्रेरणा मिलेगी।

इसके अलावा विलेज पुलिस चौकीदारी का जिक्र किया। बिहार में यह पंचायतों के जिम्मे है। मैं यह कहूंगा कि यह पॉलिसी का सवाल है। इस पर हमें विचार करना होगा। इस पर विचार करेंगे। अगर जनता इसका स्वागत करेगी तो हम इस पर विचार करेंगे। मगर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार होम गार्ड कायम करने के लिये कई दिनों से उत्सुक थी। इस सम्बन्ध में बिल कई दिनों से लाने की बात चल रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि होम गार्ड बिल सदन में लावेंगे, जिससे लोगों को पुलिस को सहयोग देने का अवसर मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग और पुलिस के कर्मचारी इस बात को जमाने की बदलती हुई हवा को अनुभव करते हैं कि जनता के चुने हुए नुमायन्दे आज की इस प्रजातन्त्र की प्रणाली में एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं और इस अहमियत को महसूस करते हैं कि आज डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन, विकेन्द्रीकरण के द्वारा सत्ता को गांव गांव तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। राजस्थान में ७ हजार पंचायतें हैं, ६० हजार पंच और सरपंच हैं और विलेज से लेकर पार्लियामेंट तक, पंचायत से लेकर लोक सभा तक ७० हजार के करीब नुमायन्दे हैं जो गांवों से लेकर देश तक को चलाते हैं। ७० हजार आदमियों में से राजस्थान में कई ऐसे आदमी भी हो सकते हैं, जिनसे अपना काम करते समय या काम करने के समय के अलावा कोई ऑफेन्स कमिट हो जाय। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान में कई

(श्री मथुरादास माथुर)

बातें कही गई कि काफी भ्रष्टाचार है पंचायती राज के पंचों में, कानून का उल्लंघन होता है। पर हमें एक तरीका अपनाना होगा और एक तरीका अपनाने की कोशिश की गई है, जैसे एम. एल. एज. और एम. पीज. के लिये प्रावधान है, प्रिविलेज है कि उनको अरेस्ट करने से पहले स्पीकर को सूचना देनी पड़ती है, उसी प्रकार जनता के चुने हुए नुमायन्दे पंच, सरपंच द्वारा कोई ऑफेन्स कमिट करने की हालत में इनको हथकड़ी लगा कर पेश नहीं करना चाहिये। पुलिस के अधिकारी उनको अदालत में पेश कर दें फिर अदालत जमानत ले सकती है। धीरे धीरे ऐसे कन्वेन्शन्स डालने पड़ेंगे। पर चुना हुआ आदमी, चुनाव प्रणाली में कोई भी चुना जा सकता है, कोई कत्ल का केस करता है और दो, चार दफा भाग चुका है, उसके भागने का डर है तो और बात है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे खयाल से इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि किसी पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव को गिरफ्तार करे तो पुलिस को उसकी सूचना होम मिनिस्टिर को देनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : एम. एल-एज. और एम. पीज. की सूचना स्पीकर साहब के पास आती है। मेरे खयाल से ७० हजार आदमी चुने हुए हैं। डिपार्टमेंटली तय किया है कि चुने हुए आदमी द्वारा जुर्म हो तो चालान होने से पहले डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस देख ले कि जुर्म बनता है कि नहीं। होम मिनिस्टिर के पास इलेक्टेड परसन्स की इत्तला माननीय सदस्यों के जरिये या और कई तरीकों से पहुंच सकती है। तो इसको तो मैं मंजूर नहीं कर सकता। पर एस. पी. के लेवल तक यह रख दिया गया है कि वह पहले देख ले कि जुर्म बनता है या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : महिलाओं के हथकड़ी लगाना बन्द हो।

श्री मथुरादास माथुर : महिलाओं के केस ज्यादा नहीं होते।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी आठ दिन पहले फुलेरा में एक क्रिश्चियन महिला को हथकड़ी लगा कर बाजार में घुमाया गया।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य को सूचना मिलती है, उनकी इन्फॉर्मेशन की तो तारीफ करता हूं पर मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है, मैं जांच करूंगा। आम तौर से बुड्ढे आदमियों और महिलाओं के हथकड़ी लगाते नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मुर्गियां रखली घर में, इस मामले में हथकड़ी डाल कर उस महिला को घुमाया गया।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे खेद है कि आप जो सूचना दे रहे हैं उसकी इत्तला मेरे पास नहीं आई है।

सरकार महसूस करती है और लॉ एण्ड ऑर्डर और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए....

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिये हर जिले में महिला पुलिस भी कायम की जाय।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर सिटी में महिला पुलिस है और महिलाओं इतने में

(श्री मथुरादास माथुर)

जुर्म और ऑफेन्स नहीं बढ़े हैं जितने कि पुरुषों में ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑफेन्सेज का कारण महिलाएं ही हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदय, सदन के सामने कई व्यक्तिगत केसेज भी मुख्तलिफ थानों के आये । मैं अपनी भरसक कोशिश कर रहा हूं कि जिन जिन बातों को माननीय सदस्यों ने यहां रखा है उनके बारे में पूरी छानबीन की जाय । वैसे जो मामले रखे गये हैं उनमें बहुत से मामलात एक साल, दो साल और ढाई साल पुराने हैं और चूंकि वे पुराने हैं, उनकी जांच भी एक दफा नहीं दो–दो, तीन–तीन दफा हो चुकी है । फिर भी माननीय सदस्यों ने रखा है तो मैंने जानने की कोशिश की है । कइयों की सूचना मिल गई हैं, कइयों की नहीं मिल पाई है । सदन में कल भी बहस हुई और आज भी बहस हुई । कल के मामलात की मैंने पूछताछ की है पर जो मामले आज रखे गये हैं उनको आज ही जानना मुश्किल है । हमारे रेकॉर्ड में जो मिले उनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा । पर सब मामलात को रखना मुश्किल है । मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मामले रखे गये हैं उनकी मैं पत्र द्वारा माननीय सदस्यों को सूचना दे दूंगा, जो उनकी पोजिशन होगी उनके बारे में मैं निवेदन कर सकूंगा । पर कुछ मामले ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ सियासत की बू माननीय सदस्यों के नुक्ते निगाह में आती है । इसलिये उसको साफ कर देना जरूरी है ।

हमारे मुख्य मन्त्री जयपुर से उदयपुर जा रहे थे चितौड़ होते हुए । मैं मुख्य मंत्रीजी को वैसे रोज कहता हूं कि दौरे कम किया करें पर वे दौरे बहुत करते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : खुद ड्राइव कर रहे थे ?

श्री मथुरादास माथुर : वे ड्राइव नहीं करते । मैं तो ड्राइव कर लेता हूँ ।

श्री मुरलीधर व्यास : उस दिन तो वे ही ड्राइव कर रहे थे ।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं कर रहे थे, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था । माननीय सदस्य को इतना तो अपने कलीग के प्रति चाहे वे इधर के हों, चाहे उधर के हों कॉन्फिडेन्स रखना ही पड़ेगा । वे कभी भी दौरे में ड्राइव नहीं करते । ड्राइवर ड्राइव कर रहा था । आदमी मोटर के नीचे आ गया और मर गया । पुलिस थाने में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और यह पाया गया कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं, ड्राइवर रेश नहीं चला रहा था । इसलिये अदम–वकुवा मुकदमा खारिज कर दिया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : आदमी मर गया और........

श्री मथुरादास माथुर : The Hon'ble Member must have been:......

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत तेजी से गाड़ी चल रही थी, आदमी मोटर के नीचे

(श्री मुरलीधर व्यास)

आ गया और चार गुलाचें खाकर वहीं पर मर गया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमद) : आपके बीकानेर के नजदीक ही था ।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं, नजदीक तो आप हैं इसीलिये ऐसी बात करते हैं । गाड़ी सरकार की थी या किसकी थी ?

श्री मथुरादास माथुर : गाड़ी सरकारी थी, ड्राइवर सरकारी था । आप चाहें तो मैं ड्राइवर का नाम व घटना की तारीख सब बता दूंगा । पर जो अहमियत दी जाती है वह ठीक नहीं । पोलिटिकल अहमियत मत दीजिये कुछ डेकोरम रखना पड़ेगा ।

माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कहा यह गया कि हमारे डी. आई.-जी., बीकानेर की गाड़ी से कोई एक्सीडेन्ट हो गया । मैं कहना चाहूंगा कि उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेन्ड नहीं हुआ, यह मैंने दरियापत कर लिया है । बीकानेर स्टेट थी उस वक्त में कोई डी. आई. जी. थे उनकी गाड़ी से एक्सीडेन्ट हुआ है ।

श्री मुरलीधर व्यास : डी. आई. जी. का नहीं, उनके रिश्तेदार का मैंने नाम लिया था।

श्री मथुरादास माथुर : प्रोसीडिंग्स की बात कह रहा हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास - मैंने डी.आई.जी. के लिए नहीं किन्तु उनके रिश्तेदार के लिए कहा था ।

श्री मथुरादास माथुर : किसकी डेथ हुई किस डी.आई.जी. की कार से ?

श्री मुरलीधर व्यास : रिटायर्ड आदमी है । कार डी.आई.जी. का रिश्तेदार चला रहा था । उसके हाथ से उसकी मृत्यु हुई ।

श्री मथुरादास माथुर : भूतपूर्व डी० आई०जी० की गाड़ी उनका लड़का चला रहा था । एक आदमी मरा गया है । मुकदमा पुलिस में दायर हुआ है और पुलिस मुकदमे की तफ्तीश कर रही है ।

सदन के माननीय साथियों ने सुझाव रखे हैं और गंगानगर के साथी पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं........

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : On a point-of information, Sir, भाषण की बातें पूरी हो गई हैं और मैं इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि अमेरिकन फीचर्स लगते हैं, यह जो जुआ यहां जयपुर में होता है और राजस्थान के हर एक कस्बे में होता है और जयपुर में तो खास तौर पर होता है उसको भी हल्के हल्के कम करेंगे या कोई इसके लिए दूसरा प्रोग्राम है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्य का बहुत शुक्रगुजार हूं ।....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बुढ़िया को असुविधा होगी ।

श्री मथुरादास माथुर : इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब से

(श्री मथुरादास माथुर)

मैंने इस विभाग का चार्ज सम्हाला है, इस समस्या की ओर मैं काफी जागरूक हूं । जुए के सिलसिले में ४४ गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें अमेरिकन फिचर भी आ जाता है । यहां गेम्बलिंग चलता है, मैं इससे इन्कार नहीं करता । माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा, जैसा उन्होंने कहा कि जनसंघ के दफ्तर के बाहर चलता है, ऐसी कोई और सूचना........

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में कांग्रेस के दफ्तर के सामने चलता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारे यहां सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर के नीचे होता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसी सूचना है तो पकड़वाइये ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : शराब-खोरी, जुआ........

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : ब्यावर में बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापतिजी, मैं जुए को बन्द कराने के लिए सोचता हूं और आपका सहयोग चाहता हूं । लेकिन पोलिटिकल गेम्बलिंग को रोकना तो मेरे लिए मुश्किल है । इसको रोकने के लिए आपका सहयोग मिलेगा । जहां जहां दौरे पर गया, मैंने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दे दी है । मैं चाहता हूं कि गेम्बलिंग बन्द हो, सट्टा-फीचर्स बन्द हों । इनको बन्द करना चाहिये । यह बीमारी काफी हद तक बढ़ी हुई है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : On a point of information, Sir, ऑफिसर्स क्लबों में ताश का सट्टा बहुत फैला हुआ है । उसको भी बन्द करिये ।

श्री मथुरादास माथुर : बात यह है कि हाईकोर्ट की रूलिंग प्लेस वगैरह के बारे में अलग अलग हो गयी है ।

किसी झोंपड़े में या किसी भी जगह पर जुआ अगर होता है तो बन्द होना चाहिये, इसमें किसी की दो राय नहीं है । उसको बन्द किया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : मिनिस्टरों के क्लब में होगा तो ?

श्री मथुरादास माथुर : मिनिस्टरों का क्लब बन नहीं पाया है । आप लोगों का क्लब है । अगर हुआ तो मैं सोचूंगा ।

श्री हरदत्तसिंह : मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि जिस स्थान का मैंने जिक्र किया है कि जहां जनसंघ का कार्यालय है वहां मालूमचन्द की दूकान के सामने, यहां पर भाषण देने के बाद, आपकी निगाह में लाने के बाद भी रात को सट्टा हुआ था और वहां पर सैकड़ों ही आदमी मौजूद थे । हल्के हल्के नहीं, इसको तेजी से रोका जाय । जयपुर इन्टरनेशनल विजीट की जगह है । यहां पर बाहर के लोग बहुत आते हैं । यह बदनामी की बात है, उसको रोक दीजिये ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सदस्य भी वहां जाते पाये गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी माननीय सदस्यों की सूचना की बहुत कद्र करते हैं और इस बारे में सोच रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : रोज ११ बजे सोचते हैं।

श्री सभापति : Order ! Order please !! Please Continue.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापतिजी, हमारे यहां पर बहस के दौरान में तो इस तरह की चर्चा नहीं हुई, लेकिन सदन के साथी मेरे पास आये थे यह बताने के लिए कि आज कल एक नया नया ऑफेन्स चला है। बड़े बड़े शहरों में नये मोडर्न रोमियोज हो गये हैं। वे पेंट और कोट पहिनते हैं और अपने आपको कहते हैं कि हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों को वे बदनाम करते हैं। विद्यार्थी उनमें से बहुत कम निकलते हैं। अखबारों में पढ़ते हैं कि इन मोडर्न रोमियोज ने काफी परेशानियां पैदा की हैं। जहां जहां पर पब्लिक पॉर्क्स हैं, गर्ल्स इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जहां जहां पर महिलाओं का, लड़कियों का आना-जाना होता है वहां पर पुलिस का माकूल इन्तजाम कर दिया गया है और यदि प्रतिनिधियों के सामने ऐसी कोई घटना आये तो उसकी वक्तन फ वक्तन सूचना देते रहें। राजस्थान ऑफेन्सलैस स्टेट तो हो नहीं सकती किन्तु स्टेटलैस सोसाइटी हो सकती है। ऑफेन्सलैस स्टेट बन जाय, ऐसी बात सोची नहीं जा सकती। रेडियो ग्राम हमारे पास आते हैं कि यहां पर डकैती हो गई, यहां पर चोरी हो गई........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धाधड़ा में डाका पड़ा और पच्चीस G. B. में डाकू पड़े हैं, उनका क्या हुआ ?

(१२.३४ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

श्री मथुरादास माथुर : आ रहा हूँ। I am collecting the figures. You have given me only yesterday.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ५० हजार का डाका पड़ा है।

श्री मथुरादास माथुर : पहले कह चुका हूं और वैसे ही फिर सूचना दूं कि बीकानेर डिविजन, बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर we have already started our operations. इस पर्टीकुलर केस में मैं जानकारी कर रहा हूँ।

अन्त में, मैं यह निवेदन करूंगा कि काम बहुत कठिन है। आप लोगों ने मेरे से बहुत आशायें लगायी हैं। आपने दो लफ्ज़ मेरे लिये अच्छे कहे हैं। मैं उनके लिये बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। आप और हम मिल कर कुछ कर सकें तो अच्छा है।

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of information, Sir, ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : पुलिस कस्टडी में जो मर्डर्स हुए हैं उनके लिए मैंने एक नॉन ऑफिशियल बोडी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बैठाने के लिए सुझाव दिया था, जिसमें चार इस तरफ के और चार उस तरफ के और एक ऑफिशियल हो तो उसके लिए आप क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पुलिस, का नाम बदलने के लिए कहा गया, वह बदला जा सकता है या नहीं ?

श्री सभापति : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : पहले सभापति से इजाजत ले लें, कुछ कहना चाहते हैं तो....

श्री सभापति : अब बहस नहीं होगी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस के सम्बन्ध में........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : We have not withdrawn our cut motions.

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of order, Sir ....

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,३३,५७,-०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of Order Sir....

श्री सभापति : जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(हां)

(विराम)

'हां' पक्ष जीता।

मांग संख्या १२ स्वीकार की गई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अब आपकी इजाजत हो तो अब पूछ लें।

श्री सभापति : अब इजाजत नहीं मिल सकती।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : On a point of order, Sir.

कट मोशन्स को विड्रा करने के लिए पहले इसकी इजाजत तो ली होती। जो मांग पास की है वह इर्रेगुलर हुई है। यह सब इर्रेगुलर हुआ है।

(विराम)

इस सम्बन्ध में निर्णय दे दीजिये।

जो कट मोशन्स मूव किये गये हैं वे पहले विड्रा हो जाते। इस पर तो कुछ हुआ ही नहीं और पहले ही मांग ले ली गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह होना आवश्यक है।

श्री सभापति : जब डिमान्ड स्वीकार कर ली जाती है तो कट मोशन्स निगेटिव हो जाते हैं।

Page No 92

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of Order, Sir. मेरा यह निवेदन है कि पहले कट मोशन्स को विथ्ड्रा करने का मौका दिया जाना चाहिये और उस पर उत्तर देने का मौका दिया जाना चाहिये। उससे पूर्व डिमांड पास नहीं की जा सकती।

श्री सभापति : कट मोशन्स के बारे में रिप्लाई देने का कोई राइट नहीं होता है। अब मांग स्वीकार कर ली गई है। सब कट मोशन्स निगेटिव समझे जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of Order, Sir, जहां तक रिप्लाई का सवाल है, यह तो सभापतिजी पर निर्भर है कि वे इसके लिये आज्ञा दें या न दें लेकिन जो कट मोशन्स हैं, कानून के मुताबिक उनके लिए विथ्ड्रा करने का प्रस्ताव किया जाता है। उसके बाद इजाजत मिलने पर वे विथ्ड्रा होते हैं और उसके बाद डिमान्ड आती है।

श्री सभापति : यह आप कौन से रूल का हवाला दे रहे हैं?

श्री मुरलीधर व्यास : यह आप किन रूल्स के अन्तर्गत कर रहे हैं?

श्री सभापति : The ruling has been given.

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस संबंध में निर्णय हो गया?

श्री सभापति : अब कोई कटमोशन नहीं है।

जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय में वृद्धि)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन करने के नियत समय को १ मई, १९६२ तक बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह लिस्ट ऑफ बिजनेस में है या नहीं?

श्री सभापति : I allow it.

श्री भैरोंसिंह : It should not be allowed.

श्री सभापति : I have allowed it.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir...

श्री सभापति :The ruling has been given.

श्री भैरोंसिंह : Point of order should be disposed of first.

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): This is a question of privilege. There is a point of order. The Chairman must hear it and then dispose it of.

श्री सभापति : इन्होंने फरमाया कि यह लिस्ट ऑफ बिजनेस में है या नहीं; मैंने

(श्री सभापति)

कहा, इसकी इजाजत मैंने दे दी है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय को १ मई, १९६२ तक बढाया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कारण नहीं बताये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : काम पूरा नहीं हो सका, यही कारण है।

श्री सभापति : समय बढा दिया गया।

(विराम)

मांग संख्या ३५

मांग संख्या ३५-विविध

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२८,९१,-०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस मांग पर आज निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : (१) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय-(१) नगरपालिका व परिषदों की व्यवस्था पर विचार करने हेतु) (२) पंचायती व्यवस्थाओं पर विचार करने हेतु)।

(६४) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० तक की कटौती की जावे (१) सरकार द्वारा नगर परिषदों के कर्मचारियों की नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने की नीति का विरोध करने हेतु, (२) सरकारी व नगर-परिषद् के कर्मचारियों में वेतन ग्रेड के अन्तर का विरोध करने हेतु)।

(६५) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा नगर परिषदों की सीमाओं में काश्त भूमि को विक्रय करने की नीति के विरोध में बहस करने हेतु)।

(६६) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नगर परिषदों को उनके क्षेत्र में नल व बिजली विभाग स्थानान्तरित कर दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

(६७) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नगर परिषदों की सीमा-विस्तार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को उसमें मिलाने की नीति के विरोध में विचार प्रस्तुत करने हेतु)।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : (३) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-

(श्री श्योपतसिंह)

विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (घग्घर नदी की बाढ़ से काश्तकारों को भारी क्षति हुई है व सरकार उन्हें मदद देने में असफल रही है, इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रस्तुत मांग पर पांच कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । उन कटौती प्रस्तावों के संबंध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

माननीय सभापतिजी, नगरपालिकायें और नगरपरिषदें डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की एक इकाई हैं और नगरपालिका और नगरपरिषदों की सफलता जनतंत्र की सफलता मानी जाती है । अगर नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा तो उनकी सीमा में रहनेवाली जनता का जनतन्त्र में विश्वास बढ़ता जायगा । आज नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों की जिस प्रकार की अवस्था है और जो व्यवस्था चल रही है उससे साधारण व्यक्ति और शहर में रहनेवाले लोगों की जनतन्त्र के ऊपर से आस्था उठती जा रही है । आज जिस प्रकार की नगरपालिकाओं में व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार का ढांचा है, उस ढांचे को देख करके तथा उसके जरिये जो कार्य होता है उससे वहां के लोगों में मायूसी पैदा हो रही है । उसके कार्य को लोग मायूसी से देख रहे हैं । इससे उनका इस जनतन्त्र से विश्वास उठता जा रहा है । इस कारण मैं यह नहीं चाहता कि इनको समाप्त कर दिया जाय लेकिन इसके निराकरण के लिए जो व्यवस्था नगरपालिका और नगरपरिषदों में है उस व्यवस्था में किसी प्रकार से परिवर्तन लाया जाय । आज नगरपालिका में जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों की अवस्था को देखा जाय तो मालूम पड़ जायगा कि जो असली कारण हैं, जिनके कारण नगरपालिका पूरी तरह से काम नहीं कर पाती और उन नगरपालिकाओं में किस प्रकार का वातावरण है । नगरपालिका के इस स्तर व इस समस्या की अन्य विभाग में काम करनेवाले जो कर्मचारी हैं उनसे तुलना की जाय तो यह मालूम होगा कि अन्य विभाग के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ किस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जाता है ? अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन के अलावा कई अन्य सुविधायें भी दी जाती हैं । उनको मेडिकल फेसिलिटीज़ दी जाती हैं । उनकी पोस्ट पेन्शनेबल है । लेकिन नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं वे केवल वेतन पाते हैं और वह भी अन्य विभागों की तुलना में कम है । उसी में अपने आपको स्थिर पाते हैं । इसी अल्प-वेतन के कारण उन्हें भ्रष्टाचार का मुंह देखना पड़ता है, रिश्वत लेनी पड़ती है, मजबूरी से लेनी पड़ती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए । यह समस्या केवल मिनिस्टीरियल स्टाफ तक ही सीमित नहीं रहती । आज राजस्थान के अन्दर आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न नगरपालिकायें और नगरपरिषदें हैं और जो हरिजन उनमें काम करते हैं उनकी यह स्थिति है कि वे समय पर अपनी डिमान्ड्स-को लेकर हड़ताल करते हैं । चाहे उस मांग को आप अनुचित कहें लेकिन जिस प्रकार का कार्य वे करते हैं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उसको दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता। इस कारण दबाव डाल कर मजबूर करते हैं अपनी मांग मनवाने के लिये। जो उनका कार्य है, जो उनकी महिलायें हैं वे घर पर काम करके अपने सिर पर मैले की टोकरी उठा कर डाल आती हैं और बासी रोटी पर पेट पालती हैं। उनको अगर हम थोड़ा सा वेतन दे देते हैं ताकि वे उसी से सन्तोष कर लें तो इससे मैं समझता हूँ, समस्या का हल नहीं होगा। इन सब बातों पर सोच विचार करने के लिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक हाई पावर कमेटी का निर्माण किया जाय जो नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों की समस्या पर सोचे, विचारें और उनके वेतन-स्तर को ऊंचा करने के लिये सुझाव दे। उनको वे सुविधायें भी प्राप्त होनी चाहिये जो अन्य विभाग के कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि नगरपालिका का कार्य केवल कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला के कारण अवरुद्ध नहीं हो रहा है। नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं उनके अन्दर इस प्रकार की भावना पैदा होती जा रही है कि नगरपालिका और नगरपरिषद् के अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं उनमें उनकी किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं होती। इसीलिये उनको उनसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। महज अपोइन्टमेंट करने का और डिसमिसल करने का उनको कोई अधिकार नहीं। वह सोचता है कि अगर मैं कोई बेजा काम भी करता हूं तो चेयरमैन या अध्यक्ष मुझे हटा नहीं सकता। वह तो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जिस प्रकार अन्य विभागों में नियुक्ति का अधिकार, डिसमिसल का अधिकार, ट्रान्सफर का अधिकार आदि प्रश्नों को लेकर जिस प्रकार की समस्यायें सामने आती हैं, उसी प्रकार के अधिकार नगरपालिका के चेयरमैन और अध्यक्ष को होने चाहिए, ताकि यह अनुभव हो कि सुप्रीम ऑथेरिटी हमारी नगरपालिका की है। यह बहुत आवश्यक है। जहां जहां नगरपालिकाओं में पार्टी पोलिटिक्स चलती है वहां वहां चेयरमैन के साथ साथ वहां के कर्मचारी भी हटाये जाकर उसी पार्टी से सम्बन्ध रखनेवाले कर्मचारी अपोइन्ट किये जाते हैं और इस तरह जहां जिसकी नगरपालिका है वहां उस पार्टी के अन्दर दिलचस्पी रखनेवाले कर्मचारी देखने को मिलते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस समस्या का निराकरण इस आधार पर किया जा सकता है कि उनकी सर्विसेज़ को भी अन्य विभागों की तरह ट्रान्सफरेबल कर दिया जावे। उनके वेतन और ग्रेड भी इसी तरह से एक तरह के कर दिये जावें। इन सब मुद्दों पर विचार करने के लिये एक हाई पावर कमेटी बैठाई जानी आवश्यक है, अगर हम नगरपालिकाओं की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो।

सभापति महोदय, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का नया नारा सरकार ने दिया है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण कहने को किया है। पर नगरपालिकाओं की हालत देखें तो मालूम होगा कि यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने की बात केवल ढकोसला मात्र है। आज कहा जाता है कि नगरपालिका ऑक्ट्राय, हाउस टैक्स आदि लगायें और अपनी आमदनी का जरिया निकाले। आज नगरपालिकायें इतने पर भी घाटे में चल रही हैं। उन्हें सरकार का मुंह ताकना पड़ता है जबकि उनकी आमदनी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के श्रोत उनके पास हैं; पर वे दिये नहीं जाते। उनके पास अपनी जमीन है, उसे बेच कर नगरपालिकाएं अपना काम बखूबी चला सकती हैं। पर आज वह अधिकार बेचने का नगरपालिका को यह सरकार नहीं देना चाहती और बातें सत्ता के विकेन्द्रीकरण की करती है ! मैं कोटा के बारे में अर्ज करूं कि यह सरकार किस तरह की चालें चलती है। सरकार ने कॉलोनाइजेशन मण्डी कमेटी वहां बनाई, जो जमीन बेच कर रुपया इक्ट्ठा करती है। वही जमीन बेच सकती है, नगरपालिका नहीं। अब कौनसी भूमि इसके क्षेत्र में, आती है और कौनसी नगरपालिका के क्षेत्र में इसे डिफाइन नहीं किया गया। अब यह होता है कई जगह तो किसी जमीन को मण्डी कमेटी ने बेच दिया किसी को तो नगरपालिका उसका चालान करती है। कहीं नगरपालिका ने बेच दिया तो मण्डी कमेटी चालान करती है। आम आदमी परेशान हैं। तो इस तरह इस मण्डी कमेटी को ढील दे रखी है सरकार ने और इस कमेटी ने कीमती कीमती जमीन लाखों रुपयों की बेच दी। अब मामला यहीं तक नहीं है, जमीन बेच कर रुपया मण्डी कमेटी ले लेगी, पर वहां बननेवाली इमारत है, डवेलपमेन्ट है, उसकी वेल्यू लगाने का काम, बिजली की, पानी की व्यवस्था करने का काम सारा नगरपालिका के जिम्मे होगा। तो अगर सरकार वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है तो यह, जमीन बेचने की सारी शक्ति भी नगरपालिका को देनी चाहिये ताकि ठीक ढंग से वह विकास कर सके।

कहा जाता है कि आज उद्योगों का विकास आवश्यक है और इसलिये सरकार बड़े बड़े केपिटलिस्टों और उद्योगपतियों को आवश्यक सुविधाएं भी देती है, घाटा खाकर भी देती है। कोटा में नाइलन फैक्ट्री को पावर, प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम कीमत पर सरकार ने देने का निश्चय इसी बिना पर किया है। इधर तो आप यह करते हैं, उधर जब हम कहते हैं कि नगर का विकास करने के हेतु नगरपालिका को भी आप इसी दर पर बिजली और पानी दीजिये तो आप इन्कार कर देते हैं। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर भी मांगें तो आप इन्कार करते हैं। आज हम कहते हैं, हम बिजली, नल को कॉमर्शियल बेसिस पर चलाना चाहते हैं। वैसे तो यह होना नहीं चाहिये, क्योंकि ये दोनों बड़ी जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, अत्यावश्यक वस्तुएं हैं। पर खैर, सरकार की अगर ऐसी ही नीति है तो कॉमर्शियल बेसिस पर भी खयाल रखते हुए जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पर आता है उसी आधार पर नगर परिषद् को देने की व्यवस्था करें।

कोटा में आठ आने हजार गैलन के हिसाब से पानी पहले मिलता था। कोटा नगर के नीचे चम्बल नदी बहती है, जिसमें अथाह पानी है। उसका खर्चा नगण्य सा है। अब तो बान्ध बन गया है तो यह खर्चा और भी कम हो गया है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कॉमर्शियल बेसिस के नाम पर भी पानी महंगा दिया जाता है। इस आठ आने की रेट को जब सरकार ने एक रुपया किया तो जनसंघ और समाजवादी पार्टी ने मिलकर संयुक्त मोर्चा इसके विरुद्ध लिया। यहीं पर एक माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने इस पर कहा था कि क्या वहां के लोगों के सुरखाब के पर हैं कि उनको सस्ता पानी दें। पर इसकी प्रति-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

क्रिया क्या हुई ? यह उन्हीं मन्त्री महोदय ने वहां जाकर देखा । केवल यह उन्हीं ने नहीं देखा बल्कि बहुतों ने यह भी देखा कि उचित स्वागत-सत्कार तक उन लोगों को वहां किसी भी नागरिक से नहीं मिला । तो नागरिकों की वाजिब मांग की इस तरह से अवहेलना करना ठीक नहीं है । ठंडे मस्तिष्क से इस पर विचार करना चाहिये । केवल यहां बैठ कर जोश में कुछ कह देना उचित नहीं है । मैं निवेदन कर रहा था कि कोटा में पावर भी कम खर्चे में आ सकता है । वहां पानी में भी कम खर्चा होता है । तो इन दोनों बातों को सामने रख कर जिस कसौटी पर कस कर आपने उद्योगों को पानी–बिजली दी है उसी कसौटी पर नगरपरिषद् को क्यों नहीं देते ? लागत पर भी वह तो मांग रही है, जबकि बहुत से उद्योगों को लागत से भी कम कीमत पर दी है ।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की हालत नगर परिषद् की इस सरकार ने कर रखी है कि उसका चलना मुश्किल हो गया है । टैक्स लगाने को कहते हैं, पर यह जरूरी नहीं है । बिना टैक्स भी काम चलाया जा सकता है । तो मैं निवेदन कर रहा था कि कोटा नगर परिषद् में नल–बिजली की समस्या को लेकर जनसंघ ने अपना बहुमत बनाया तो अब सरकार ने ऐसा रवैया अपनाया है कि ऐसा लगता है कि वह डेमोक्रेसी को ही समाप्त करने पर आमादा है और साधारण व्यक्ति यह अनुभव करने लगे हैं कि प्रजातन्त्र केवल मखौल है । अब एक तरफ तो नगर परिषद् चाहती है कि जनता को सहूलियत दी जाय, पानी और बिजली की दरें सस्ती की जायं पर इधर क्या हुआ पावर हाउस और वाटर वर्क्स की तरफ से कोटा नगर परिषद् को नोटिस मिला कि जितना पहले का पानी–बिजली का बकाया है, एरियर है वह चुकता किया जावे, नहीं तो पानी का एक्सटेन्शन नहीं दिया जावेगा और बिजली भी नहीं दी जावेगी । यहां तक हुआ कि बीच में डाइरेक्टर साहब आये तो इसका निराकरण करने का प्रयत्न किया । कोटा नगर परिषद् ने एक एक गली में लाइन खिंचवा दी । चुनाव से पहले सभी बातें होने वाली थी । पर बाद में लगे हुए नलों में कनेक्शन नहीं दिया और अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि किसी भी प्रकार से एरियर चुकाये बगैर कनेक्शन नहीं दिये जावें, ऐसा सरकार ने आदेश भी दे दिया है । मैं अभी अभी वहां से आया हूं । वहां के इन्जीनियर से मालूम हुआ है मुझे यह । तो मैं पूछता हूं यह जनतन्त्र है या मखौल ? एक तरफ आप यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनतन्त्र के सिवाय दूसरा रास्ता देश में नहीं हो सकता, इसके लिये आप डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का नारा देते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से डेमोक्रेसी का आप गला घोंट रहे हैं । इसी प्रकार से दूसरी समस्या कोटा नगर परिषद् के सामने आई । वहां एक म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ऐसे भेजे गये कि जिस प्रकार की उनकी हिस्ट्री है उसे अगर मैं सदन के सामने निवेदन करूं तो कुछ उचित नहीं मालूम पड़ेगा । वह कमिश्नर महोदय ऐसे हैं कि अजमेर से उनको २४ घन्टे का नोटिस देकर अजमेर खाली कराया गया था और कलेक्टर साहब ने उनका ट्रान्सफर उदयपुर कर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दिया तो उदयपुर के अन्दर वहां की नगर परिषद् ने प्रस्ताव पास करके उनको लेने से इन्कार कर दिया और उन्हीं कमिश्नर महोदय को अब कोटा भेज दिया गया है। तीन महीने से वे छुट्टी लेकर जयपुर में पड़े हुए हैं। जब से कोटा में आये हैं उनका रवैया इस प्रकार का रहा है कि वहां की नगर परिषद् ने अविश्वास का प्रस्ताव पास करके यहां भेजा है, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है।

इसी प्रकार से जब से म्युनिसिपल एक्ट बना है उसमें जितने भी प्रावधान हैं उनके तहत कोई भी बाई-लॉज़ या रूल्स नहीं बनाये हैं। यह एक्ट १६५६ में पास हो गया है, लेकिन आज तक बाई-लॉज़ और रूल्स नहीं बनाये गये। बड़ी समस्या पैदा हो गई है। वहां पर प्रसीडेन्ट के चुनाव हुए, वाइस प्रसिडेन्ट का हुआ और कमेटी के चेयरमैन नियुक्त हो गए लेकिन उन कमेटीज़ के चेयरमैन को मालूम नहीं है, मेम्बर्स को मालूम नहीं है कि इन कमेटीज़ का कार्य किस प्रकार से चलाया जाये। कोई रूल्स ही नहीं हैं। कोटा नगर परिषद् ने चुंगी के प्रश्न को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर अपनी तरफ से कुछ रूल्स बना कर भेज दिए लेकिन यहां से उनका जवाब जाता है कि हम सारे राजस्थान के लिए एक ही प्रकार के नियम बना रहे हैं इसलिए आप चुप रहें। चुंगी के अन्दर क्या होता है कि जो असली पैसा होता है उसके अलावा बारदाना का खर्चा, रेलवे फ्रेट का खर्चा वगैरह मिला कर चुंगी ली जाती है, जब कि राजस्थान में कहीं भी ऐसी बात नहीं है। कोटा नगर परिषद् ने सुझाव दिया था कि यह अनुचित है। लेकिन यहां डाइरेक्टर साहब के यहां से कोई जवाब उसका नहीं आया और अगर जवाब आता है तो भी यह कि हम रूल्स बना रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे नगर परिषदों का कार्य सुचारू रूप से चले और लोग विश्वास करने लगें कि जनतन्त्र सच्चे रूप में कार्य कर रहा है।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि घग्घर नदी की बाढ़ से आज तक हनुमानगढ़ क्षेत्र में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी तरफ सरकार ने आज तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। घग्घर नदी राजस्थान में जो पंजाब से आती है तलवाड़ा झील के पास से शुरू होकर करीब ६०–७० मील के एरिया में राजस्थान के हिस्से में बहती है। तीन मील की चौड़ाई में ६०–७० मील के एरिया में जाती है। पिछले चार साल से यह घग्घर नदी लगातार आ रही है उस इलाके में। इससे पहले घग्घर नदी में कभी १० साल बाद या १५ साल बाद अमूमन बाढ़ आया करती थी लेकिन इन पिछले ४ सालों में लगातार घग्घर नदी में बहुत भारी बाढ़ आ रही है जिससे उस इलाके के किसानों की हालत बहुत अजीबोगरीब हो गयी है। वहां का किसान जहां एक तरफ इस बाढ़ से मुसीबतज़दा है तो दूसरी ओर सरकार का रवैया यह है कि इस तरफ बहुत ही ढिलाई बरत रही है और उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है।

सन् १६६० में यही बात रबी की फसल के समय आई। इससे पहले यह घग्घर नदी लगातार वर्षा काल में आया करती थी और

(श्री श्योपतसिंह)

सिर्फ खरीफ की फसल में भी नुकसान पहुंचाया करती थी। लेकिन १९६० में जिस समय सारे इलाके में ६०–७० मील के एरिया में जहां कि लाखों बीघा जमीन पर रबी की फसल खड़ी थी और इतनी बम्पर क्रोप थी उस समय बाढ़ आयी तो वहां के किसानों ने सरकार को चेतावनी के तौर पर दरख्वास्तें भेजी, इमदाद देने के लिए कहा ताकि वे अपने बांध बना लें या उन्हें राहत पहुंच जाये, जिससे वे इस बाढ़ से बच सकें, लेकिन आज तक सरकार ने किसी तरह का कोई भी गौर नहीं किया और उन लोगों को बाढ़ के जिम्मे सौंप दिया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बाढ़ को देख कर कि सन १९६० में जो फरवरी में बाढ़ आई और लाखों बीघा भूमि पर फसल खड़ी थी उसने उसे तबाह कर दिया और किसान को इस हालत में ला दिया कि रबी की फसल उसकी डूब चुकी थी और उसने रबी की फसल बोने में सारी ताकत लगाई थी और ३--४ महीने तक उसको पाला-पोसा था, उसकी सारी पूंजी खत्म हो गयी। करीब ३० गांवों में उस बाढ़ के कारण नुकसान हुआ। उस समय किसानों की हालत यह थी कि किसानों के पास खाने को अनाज नहीं था,न पशुओं के लिए चारा था। उस हालत में लोगों के घर गिर चुके थे और सरकार ने लोगों की तरफ कोई भी हमदर्दी का रुख नहीं अपनाया। सदन में भी बातें होती हैं, इस तरह की घोषणायें भी होती हैं कि राजस्थान के हर आदमी की हर मुसीबत के दौरान सरकार इमदाद करेगी, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान सरकार का जो रुख हनुमानगढ़ के इलाके के लोगों के प्रति है वह कतई गलत है और मैं समझता हूं कि वहां के काश्तकारों के साथ काफी ज्यादती हुई है। मैं कहूंगा कि जो भी सम्बन्धित मन्त्री महोदय जवाब दें वे बतायें कि उस इलाके में कितने करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, कितने घर उजड़े, बाढ़ने कितने घर तबाह किये और उन किसानों को मुआवजे के तौर पर, कर्जे के तौर पर या तकावी के तौर पर कितने पैसे दिये गए? उस समय खरीफ की फसल उजड़ जाने के बाद रबी की फसल बोई और उसके बाद दूसरी खरीफ की फसल बोई। राजस्थान सरकार ने उस इलाके के किसानों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया है। मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही है और उसके बारे में मैं कहूँगा वहां पर लगातार बाढ़ आ रही है, अभी भी वहां पर पानी चल रहा है, बाढ़ पूरी तरह से बन्द नहीं हुई है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी उन लोगों को नुकसान हुआ है उन लोगों को तकावी या कर्ज के तौर पर इमदाद दी जाये और मुसीबतजदा किसानों को राहत पहुंचाई जाये। इसके साथ ही इस नाली को बन्द करने के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए जल्दी सरकार प्रयत्न करे। जहां तक इस नाली को रोकने का सवाल है, यह एक बड़ी अजीबो-गरीब सी चीज है। अगर नाली बिल्कुल बन्द कर दी गयी उस हालत में भी लोगों को नुकसान पहुंचेगा और अगर उसको रोका नहीं गया तो भी उस इलाके के लोगों को बड़ा भारी नुकसान होगा। इसलिए इस तरह का इन्तजाम किया जाये कि वर्षा के मौसम में उस इलाके के लोगों को पानी नाली का मिल सके और इसके बाद में इसे रोका जा सके और

(श्री श्योपतसिंह)

उसको डाइवर्ट करके दूसरी जगह ले जाया जाये, जहां राजस्थान के किसानों को फायदा भी पहुंचे और साथ में सरकार के सामने भी दिक्कत न आवे कि सालों साल वहां का किसान उजड़ता रहे और बाढ़ से पीड़ित रहे। मुझे खेद है कि हम देखते हैं कि दूसरे स्थानों में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन राजस्थान सरकार का जो रवैया बाढ़-पीड़ितों की तरफ रहा है वह खेदजनक रहा है। इससे ज्यादा न कहते हुए यह उम्मीद करूंगा कि जो मांग रखी है और जो इसके कन्सर्न्ड माननीय मंत्री महोदय हैं वे उन सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए किसानों का ध्यान रखेंगे।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रात: ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १.०० बजे गुरुवार, दिनांक १९ अप्रैल, १९६२ के प्रात: ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

—

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, १८ अप्रेल, १९६२)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ४२३५

तृतीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशें ।

सड़क निर्माण ।

तहसील पंचायत, उनियारा के गल्ले के हिसाब की जांच ।

पुलिस द्वारा निम्बाहेड़ा में भूमि पर अनधिकृत कब्जा ।

विकास-खंड ।

सड़क निर्माण ।

विद्युत-वितरण ।

पंचायत समिति के निर्णय के विरूद्ध दी गयी निषेधाज्ञा ।

जलप्रदाय-योजना ।

पुलिस रेडियो शाखा के कर्मचारी ।

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन ।

जयपुर शहर में पानी की समस्या ।

सड़क-निर्माण ।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, मासलपुर ।

सड़क-निर्माण ।

स्तम्भ

सड़क-निर्माण ।

भाखरा से ग्राम गांधी तक सड़क का निर्माण ।

स्थगित प्रश्न

गुड़-खांडसारी समितियां-खमनोर पंचायत समिति ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ४२८१

निम्नांकित पत्रादि सदन की मेज पर रखे गये :

(१) श्री नाथूराम मिर्धा, ने निम्नांकित अधिसूचनायें पुनः सदन की मेज पर रखी :

(क) अधिसूचना संख्या एफ० ११६ (४) पी० एस० । रूल्स । कोऑर्ड । डी० डी० ।६१।७२३-८३-९८५ दिनांक २१ अप्रेल, १९६१ (शुद्धि-पत्र संख्या एफ० ११६ (४) पी० एस० । रूल्स । कोऑर्ड । डी० डी० । ६१।८८२-४३-८४५ दिनांक ११ मई, १९-६१ सहित) जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (कन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेन्डिंग कमेटीज) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं ।

(ख) अधिसूचना संख्या एफ० २ (४) प्लान । बी । ५६ दिनांक २० फरवरी, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (कोऑप्शन ऑफ मेम्बर्स) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं।

(ग) अधिसूचना संख्या एफ० २ (१६) प्लान । बी । ५६ । १०६-८६ दिनांक २४ मार्च, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान जिला परिषद् (कोऑप्शन ऑफ मेम्बर्स) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं।

(घ) अधिसूचना संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५।१४।४१६७० दिनांक २६ जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एण्ड न्याय पंचायत इलेक्शन रूल्स, १९६० में संशोधन किये गये हैं।

(ङ) अधिसूचना संख्या एफ. पी. एस. । रूल्स । ६० । ए. ए. । ७२६४३-४५ दिनांक २८ नवम्बर, १९६० जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कन्डक्ट ऑफ बिजनेस) नियम, १९६० प्रकाशित किये गये हैं।

(च) अधिसूचना संख्या एफ. ११६ (१५) पी. एस. ।रूल्स। कोऑर्ड । डी. डी. । ६१।७१०-८२-६८२ दिनांक १४ अप्रैल, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कन्डक्ट ऑफ बिजनेस) नियम, १९६० में संशोधन किया गया है।

(छ) अधिसूचना संख्या एफ. २३ (६) नियुक्ति । (ए) ६० । ग्रुप ३ दिनांक २५ मई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस (पनिश्मेन्ट एण्ड अपील) रूल्स, १९६१ प्रकाशित किये गये हैं।

(उपरोक्त नियम आदि द्वितीय राजस्थान विधान सभा के ग्यारहवें सत्र में सदन की मेज पर रखे गये थे। चूंकि सम्बन्धित अधिनियम में उल्लिखित कालावधि पूरी नहीं हो सकी थी, अतः इनको प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १९९ (२) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया)।

(२) श्री हरिश्चन्द्र, यातायात मन्त्री, ने होम "बी" विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी :—

(क) अधिसूचना संख्या एफ. १ (७) (१) एच. (बी. जी. आर. १) ।५९, दिनांक २९ मई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम १०.८ में संशोधन किया गया है, तथा

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. १ (१) (६) एच. वी. जी. आर. १।६१ दिनांक १० जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स कर नियम, १९-५१ के नियम १६ में संशोधन किया गया है।

(उपरोक्त दोनों अधिसूचनायें द्वितीय राजस्थान विधान सभा के ग्यारहवें सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी, किन्तु सम्बन्धित अधिनियमों में उल्लिखित काला-वधि पूरी नहीं हुई थी अतः प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १९६ (२) के अन्तर्गत इन नियमों को पुनः सदन की मेज पर रखा गया)।

(ग) अधिसूचना संख्या एफ. १ (४) (३) एच. वी. जी. आर. १।६० दिनांक १० जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम ११५ में संशोधन किया गया है।

(घ) अधिसूचनायें संख्या एफ. २ (६) एच. वी. जी. आर. १।६० दिनांक १० जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम २०३ में संशोधन किये गये हैं।

(ङ) अधिसूचना संख्या एफ. १ (४) (३) एच. वी. जी. आर. १।६० दिनांक १० जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम १४० में संशोधन किया गया है।

(च) अधिसूचना संख्या एफ. १ (४) (३) एच. वी. जी. आर. १।६० दिनांक १० जुलाई, १९६१।

(छ) अधिसूचना संख्या एफ. १ (३) (८) एच. वी. जी. आर. १।६१ दिनांक २१ सितम्बर, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के नियम ७७ में संशोधन किया गया है।

३. आय-व्ययक, १९६२-६३

द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस ४२६१

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा २३ कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत किये गये।

गृह मन्त्री श्री मथुरादास माथुर के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

स्कम्भ

४. विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय की वृद्धि

४४१८ श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर जोधपुर युनिवर्सिटी विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को दिनांक १ मई, १९६२ तक बढ़ा दिया गया।

५. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध

४४१९ उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर आज ६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

स्कम्भ

सदन की बैठक ठीक १ बजे गुरुवार, दिनांक १९ अप्रैल, १९६२ को प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक १९ अप्रैल, १९६२ की कार्य-सूची

१. कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

२. मांग संख्या ३५-विविध (पूर्व क्रम से)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३६ का उत्तर देखिए)

DETAILS OF SUBSIDY RECEIVED IN 1961-62 AND TO BE RECEIVED DURING 1962-63 (AS PERRECOMMENDATION OF THIRD FINANCE COMMISSION) FROM CENTRAL GOVERNMENT.

	Budget Estimates 1961-62	Budget Estimates 1962-63
1. State's share of Income Tax.	336.83	356.00
2. State's share of Union Excise Duties-		
a. Basic Duties.	171.02	433.00
b. additional Excises.	121.74	118.00
3. State's share of Estate Duty.	12.00	17.00
4. Grants-in-aid from Central Government-		
a. Grant-in-aid under Art. 275 (1) of Constitution.	250.00)	
b. For Welfare Schemes in Scheduled Areas.	15.00)	585.00
c. To cover reduction in share of Income Tax.	110.00)	
5. Ad-hoc grant in lieu of tax on Railway Fairs.	92.00	85.00
Total	1,108.59	1,534.00

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५१ का उत्तर देखिये)

List of Roads proposed in Bikaner District during the III Five Year Plan.

S. No.	Name of work.	Miles propcsed in III Five Year Plan.	Miles proposed in subsequent plans.
1	2	3	4
1.	Metalled road from Bikaner to Dungargarh.	14	—
2.	Partly'gravelled and partly Metalled road from Bikaner to Chattargarh.	29	—
3.	Metalled road from Bikaner to Lunkaransar Via Dulmera.	4	—
4.	Gravelled road from Bikaner to Bap (Remaining miles)	2	—
5.	Bitumen treatment of road from Lunkaransar to Kalu.	6	7
6.	Gravelled road from Nokha-Panchun.	8	12
7.	Gravelled road from Kolayat to Panchun.	16	9
8.	Reconditioning- bitumen treatment of remaining Miles of road from Nokha to Talchappar.	7	2

1	2	3	4
9.	Approach road from Village Himatsar to Sarmarthal ka Dhora Via Jambharo Temple.	2	—
10.	Apprcach road from Ridmalsar-Sipahiyan ka Bas-Bikaner-Napasar Road.	½	—
	Total	88½	30
	Extending Bikaner-Lunkarnsar Road up to Suratgarh.	6	37
	Total	94½	67

परिशिष्ट ३

(कृपया स्थगित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क)

१. **सांचोर बहुधन्धी सहकारी समितिः—**

इस समिति का कार्य चालू है। इसे १२,३०५ रु०, २६ नये पैसे का लाभ हुआ।

२. **प्रताप गुड खांडसारी सहकारी समिति लि० सलोराः—**

इस समिति का कार्य सदस्यों में आपसी मतभेद होने के कारण बन्द है। इसे कोई ऋण व अनुदान नहीं मिला है। इसे कोई लाभ–हानि नहीं है।

३. **जवाहर गुड खांडसारी सहकारी समिति लि० झालों की मदारः—**

इस समिति का कार्य गोदाम निर्माण न होने के कारण बन्द है। इसे १,६६६ रु०, ४२ नये पैसे की हानि हुई।

४. **श्री गणेश वृहत् कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि०ः—**

यह समिति वृहत कृषि ऋणदात्री है। इसके उपनियमों में गुड खांडसारी कार्य नहीं आता। अतः इसने पहले जो यह कार्य अपनाया उसे यह नहीं कर रही है। इस कार्य में इसे सन् ५७–५८ में ३,६१० रु०, ६० नये पैसे का लाभ और उसके बाद से सन् ६०–६१ तक ४,२८२ रु०, ६१ नये पैसे की हानि हुई।

———

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १८ अप्रैल, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४२४५	अंतिम से ५	गिर्माण	निर्माण
,,	,, ,, ३	हैडक्वाटर्स	हैडक्वार्टर्स
४२४८	५	अगर, चार पांच	अगर चार-पांच
,,	अंतिम से २	पार्टीक्युलर	पर्टिक्युलर
४२४९	८	अब्दलजब्बार	अब्दुलजब्बार
४२५५	४	कॅगे	करेंगे
,,	१६	र्जी हां	जी हाँ
४२५८	२५	Honble	Hon'ble
४२५९	३	againstt hose	against those
४२६३	४	भेंरोंसिंह	भैरोंसिंह
४२६५	शीर्षक	१८ अप्रल, ६२	१८ अप्रैल, ६२
४२६६	२०	अक्सटेन्शन	एक्सटेन्शन
४२६८	११	चोच	चीज़
४२६९	१३	ब्रय	विरय
४२७२	३	है	हैं
४२९२	२५	memders	members
४२९६	२४	सकता हैं	सकती है
४२९८	५	Ploice	police
४३००	४	remobing	removing
४३२४	२६	मुश्कल	मुश्किल
४३३१ व ४३३२	शीर्षक	-१६ अप्रेल, ६२	१८ अप्रैल, ६२

१	२	३	४
४३३९	६	का श्रीनाथजी का	का, श्री नाथजी का,
४३४६	१३	dcision	decision
४३५६	१९	ट्रान्सर	ट्रान्सफर
४३६३	१३	है	हैं
४३६८	२८	हांसिल	हासिल
४३८३	२५	स्टेट्स	स्टेटस
४३८७	अंतिम से २	काइमा ।	काइम ।
४३८९	१०	जुरिसिडिक्शन	जुरिस्डिक्शन
४३९८ व ४४००	शीर्षक	पलिस	पुलिस
४३९८	११	श्री मानिकचेन्द सुराणा	श्री मानिकचंद सुराणा
४४०३	अंतिम से ४	अव	अब
४४०४	२	है	हैं
४४१०	४	श्री मुरलीपर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
४४२९	१६	प्रसीडेन्ट	प्रेसीडेन्ट
४४३८	अंतिम से २	१०.८	१०८
४४४४	५	Miles proposed	proposed